अध्याय - 1

उद्देश्य और संगठन

कोयला विभाग के कार्य

1.1 कोयला विभाग भारत में कोयले और लिग्नाइट के भंडारों के विकास तथा दोहन के उत्तरदायी है । इस विभाग को समय-समय पर यथा-संशोधित भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियमावली, 1961 के अधीन सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं : -

1) भारत में कोककर तथा अकोककर कोयले और लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण और विकास ।

2) कोयले का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा कीमतों से संबंधित सभी मामले।

3) ऐसी वाशरियों को छोड़कर, जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वाशरियों का विकास और कार्य-संचालन ।

4) कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से सिंथेटिक तेल का उत्पादन ।

5) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन ।

6) कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।

7) कोयला खान कल्याण संगठन ।

8) कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन ।

9) कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन ।

10) खानों से उत्पादित तथा प्रेषित कोक एवं कोयले पर उत्पाद शुल्क लगाने तथा उसकी वसूली और बचाव कोष के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत बनाए गए नियम ।

11) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास), अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन ।

12) कोयले तथा लिग्नाइट से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान ।

13) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन,जहां तक उक्त अधिनियम तथा कानून कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई एवं विभिन्न राज्यों से संबद्ध प्रश्नों सहित इस प्रकार के प्रशासन के प्रासंगिक कार्यों से सम्बद्ध है ।

कोयला विभाग का संगठन

1.2 सचिवालय स्तर पर विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और उनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, तीन संयुक्त सचिव (जिसमें एक वित्त सलाहकार भी शामिल है), एक परियोजना सलाहकार, नौ निदेशक/उप सचिव, चार अवर सचिव, 11 अनुभाग अधिकारी, एक डेस्क अधिकारी, एक सहायक निदेशक(राजभाषा), एक अर्थ-शास्त्री, एक उप - लेखा नियंत्रक और उनका सहयोगी स्टाफ कार्यरत हैं ।

कोयला विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)का प्रसार विश्व भर में हो रहा है । सरकारी निगमित, सहकारी तथा निजी क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में एक उच्च लाभकारी समर्थवान साधन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन की सर्वत्र मान्यता है । आई.टी. के उपयोग से दैनंदिन कार्य प्रक्रियाओं में वृद्धि तथा सुधार, महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों की निगरानी को सुदृढ़ बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए नए अवसर उपलब्ध हुए हैं । वांछित समय, स्थान तथा लागत पर जनता को आई.टी. के उपयोग द्वारा इष्टतम गुणवत्ता वाली "स्मार्ट " - सरल, नैतिक, जवाबदेह, प्रतिक्रियाशील तथा पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-शासन केन्द्र सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों की नीति बन गया है । मंत्रालय में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा स्थापित एक आई.टी. आधारित कम्प्यूटर केन्द्र निर्णय लेने में सहायता हेतु विभिन्न ऐप्लीकेशन सिस्टम के विकास, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण के लिए कार्य कर रहे है । यह विभाग के स्टाफ को उनके दैनंदिन कार्यकलापों में आई.टी. के उपयोग के बारे में

जागरूकता उत्पन्न करने में भी सहायक है । एन.आई.सी. का कम्प्यूटर केन्द्र समूचे देश तथा पूरे विश्व में संपर्क स्थापित करने के लिए सर्वर, क्लाइन्ट मशीनों, निकनेट तथा इन्टरनेट सुविधाओं से लैस है । कोयला विभाग ने एन.आई.सी. के निकट सहयोग से विभाग के भीतर निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आई.टी. अवसंरचना बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया हैः-

कार्य प्रवाह, कार्य प्रबंधन तथा निगरानी में सुधार ।

प्रबंध सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के माध्यम से विश्लेषण करने, निर्णय लेने तथा कार्यक्रम निर्धारित करने में सहायता ।

डाटा का एकत्रीकरण, विश्लेषण तथा डाटाबेस का रख-रखाव ।

ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जी.यू.आई.) आधारित वातावरण उपलब्ध करना ।
उपयोगकर्ताओं के मध्य संसाधनों में भागीदारी के लिए "लैन" ।

कोयला विभाग तथा घटक इकाइयों के मध्य नेटवर्किंग ।

जनता के बीच सूचना के प्रसार को सरल तथा प्रतिक्रियाशील बनाना ।

इस प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग में सभी कार्मिकों को प्रशिक्षित करना ।

वर्तमान वित्त वर्ष में, विभाग ने सभी अधिकारियों, पी.पी.एस./पी.एस./पी.ए. तथा अनुभागों को विन्डो आधारित पी.सी. दिए हैं । मंत्रालय के लिए एन.आई.सी. द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लैन) स्थापित किया गया है और परस्पर संपर्क,इंटरनेट सुविधा, सर्वर कार्यक्रम का प्रयोग करने के लिए एन.आई.सी. कम्प्यूटर केन्द्र के सर्वर से सभी पी.सी. को "लैन" से जोड़ा गया है। लोक नायक भवन के अधिकारियों को भी इंटरनेट तथा ई-मेल सुविधाओं के साथ "लैन" प्रदान किया गया है । विभाग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में एक वैबसाइट बनाई गई है और संपूर्ण विश्व में पहुंच सुलभ करने के लिए एन.आई.सी. द्वारा इसका अनुरक्षण किया जा रहा है । यह विभाग के संगठनात्मक ढांचे, इसके कार्यकरण, अधीनस्थ कार्यालयों तथा विभिन्न नीतियों और क्रियात्मक मुख्य मानदंडों के संबंध में सांख्यिकी आंकड़े/सूचना उपलब्ध कराती है । विभाग ने सभी संबंधित अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं/ आदेशों आदि की सुलभ पहुंच के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रति बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि इन्हें वैबसाइट के माध्यम से जनता में प्रसारित किया जा सके। एन.आई.सी. द्वारा विभाग में इलैक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड विकसित और क्रियान्वित किया गया है । इस तंत्र का उपयोग,विभाग के भीतर वैयक्तिक पी.सी. पर जारी की गई विभिन्न मदों को प्रदर्शित करने और ,विभाग के विभिन्न अधिकारियों/अनुभागों से प्राप्त सूचना से बनाए गए ज्ञान संग्रह (बेस) पर

पहुंच सुलभ कराने के लिए, किया जा रहा है । कोयला विभाग को इसके सभी संघटक इकाइयों से आपस में जोड़ने के लिए,विभाग द्वारा "कोलनेट" क्रियान्वयन के पहले चरण में, कोयला विभाग को सी.आई.एल. मुख्यालय तथा इसकी अनुषंगियों के मुख्यालयों से जोड़ा जाएगा । आंकड़े (डाटा) तथा ध्वनि संचार के साथ-साथ वीडियो कान्फ्रेन्सिंग को सुकर बनाने के लिए "डैनिया" आधारित वी-सेट द्वारा जोड़ा जाएगा । कोयला विभाग ने कार्यात्मक कुंजी प्रचालों पर आधारित 28-एम.आई.एस. प्रारूपों को अंतिम रूप दिया है, जो कोलनेट पर ऑन-लाइन उपलब्ध होगा । विभिन्न स्थलों पर "वी-सेट" की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है । विभाग ने अगले वित्त वर्ष में कोयला विभाग हेतु इंटरानेट आधारित पोरटल के माध्यम से उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं तथा कार्यक्रमों (ऐप्लीकेशन) को समेकित करने के लिए योजना बनाई है । विभाग में एन.आई.सी. की सहायता से अभिकल्पित, विकसित तथा क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न स्वचालन कार्यक्रम (ऐप्लीकेशन) पैकेज में से कुछ निम्नानुसार हैं-

वी.आई.पी. संदर्भ निगरानी तंत्र
लोक शिकायत निवारण तंत्र
अवकाश निगरानी तंत्र
कार्यालय कार्यविधि स्वचालन (फाइल संचालन निगरानी हेतु)
भंडार वस्तु-सूची प्रबंधन तंत्र

उपर्युक्त तंत्रों के अतिरिक्त, विभाग ने एन.आई.सी. दल के साथ अपने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों/प्रक्रियाओं के पुर्न-अध्ययन की योजना बनाई है जिससे कार्यकरण में दक्षता में वृद्धि के लिए आई.टी. उपकरणों के उपयोग की संभाव्यता का पता लगाया जा सके ।

1.3 इसके अतिरिक्त, कलकत्ता मे दो अधीनस्थ कार्यालय हैं जिनके नाम हैः-(1) कोयला नियंत्रक का संगठन (2) भुगतान आयुक्त का कार्यालय । इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्तशासी निकाय है, जिसका नाम कोयला खान भविष्य निधि संगठन है और जिसका मुख्यालय धनबाद में है । इस संगठन के प्रमुख कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त हैं ।

कोयला नियंत्रक का संगठन

1.4 कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में तथा क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद,रांची, बिलासपुर तथा नागपुर में स्थित हैं । कोयला नियंत्रक को कुछ सांविधिक कार्य करने होते हैं

विभिन्न संविधियों के अंतर्गत कुछ प्रमुख कार्य नीचे दिए गए हैं -

कोलियरी नियंत्रण 2000 के अंतर्गत

(1) किसी कोलियरी में खनित कोयले के ग्रेड की घोषणा तथा अनुरक्षण हेतु कोयले के नमूनाकरण तथा विश्लेषण की पद्धति तथा प्रक्रिया निर्धारित करना ।

(2) कोयले की गुणवत्ता की जांच करना तथा जहां आवश्यक हो, इसका सत्यापन करना तथा ग्रेडों को घोषणा के संबंध में विवाद निपटान मशीनरी के रूप में कार्य करना ।

(3) कोयला खानों से कोयले के स्टाक अथवा कोयले के संभावित उत्पादन के निपटान का विनियमन ।

(4) कोई कोयला खान, सीम अथवा किसी सीम के एक भाग को खोलने की पूर्व अनुमति प्रदान करना ।

कोयला(संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गतः

कोयला नियंत्रक सदस्य सचिव होने के नाते, कोयला संरक्षण तथा विकास सलाहकार समिति के सभी सचिवालीय कार्यों का निष्पादन करता है । इसमें कोयला खानों आदि में अनुसंधान एवं विकास,कोलफील्डों में सड़क/रेल विकास, रेत भराई तथा सुरक्षात्मक कार्यों हेतु सहायता के लिए विभिन्न कोयला कंपनियों के अनेक दावों तथा प्रस्तावों की बहु - स्तरीय जांच शामिल है ।

कोयला कंपनियों से उपभोक्ताओं को प्रेषित कच्चे कोयले पर प्रभारित उत्पाद शुल्कों का संग्रहण तथा निर्धारण ।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 के अंतर्गत

देश में कोयले तथा लिग्नाइट पर सांख्यिकीय सूचना के संग्रहण तथा प्रकाशन हेतु सांख्यिकीय प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है ।

कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम - 1957 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत

कोयला धारी क्षेत्रों के अधिग्रहण में आपत्तियों का निपटारा करने के लिए सुनवाई प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है ।

1.5 उपर्युक्त सांविधिक कार्यों के अतिरिक्त, कोयला नियंत्रक तत्कालीन कोयला बोर्ड के शेष कार्य तथा समय-समय पर कोयला विभाग द्वारा सौंपे गए अन्य प्रकीर्ण कार्यों की देखभाल करने की जिम्मेदारी का निर्वहन भी करता है ।

भुगतान आयुक्त

1.6 भुगतान आयुक्त के दो कार्यालय थे, जिनमें एक का मुख्यालय धनबाद में स्थित था, जो राष्ट्रीयकृत कोककर कोयला खानों में मुआवजे, आदि के निर्धारण के लिए था और दूसरा कार्यालय राष्ट्रीयकृत अकोककर कोयला खानों के मुआवजे, आदि का निर्धारण करने के लिए था जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित था । चूंकि धनबाद कार्यालय का काफी काम समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय को बंद कर दिया गया था और इसका बकाया कार्य भुगतान आयुक्त (अकोककर) कोलकाता के कार्यालय को अन्तरित कर दिया गया है । इस समय कोयला नियंत्रक स्वयं ही भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सी.एम.पी.एफ.ओ.)

1.7 कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्तशासी संगठन है । इस संगठन के प्रशासन के अधीन कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948, कोयला खान जमा-सहबद्ध बीमा योजना, 1976 तथा कोयला खान पेंशन योजना, 1998 आती हैं । यह सभी योजनाएं 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार की गई हैं ।

कोयला विभाग के अंतर्गत कोयला कंपनियां

1.8 निम्नलिखित दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विभाग के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं : -

1) कोल इंडिया लि0., तथा

2) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.

कोल इंडिया लि0 (सी.आई.एल.)

1.9 कोल इंडिया लि0, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, एक धारक कंपनी है । इसकी सात उत्पादक सहायक कंपनियां हैं तथा एक आयोजन तथा डिजाइन अनुषंगी कंपनी है, अर्थात् : -

1) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 (ई.को.लि.),संकतोड़िया (प.बंगाल)
2) भारत कोकिंग कोल लि0 (भा.को.को.लि.),धनबाद (झारखंड)
3) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि0 (से.को.लि.), रांची (झारखंड)
4) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0 (ना.को.लि.), सिंगरौली (मध्य प्रदेश)
5) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि0(वे.को.लि.), नागपुर (महाराष्ट्र)

6) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0(सा.ई.को.लि.),बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
7) महानदी कोलफील्ड्स लि0 (म.को.लि.), संबलपुर (उड़ीसा)
8) सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0(सी.एम.पी.डी.आई.एल.),रांची (झारखंड) ।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 (ने.लि.का.)

1.10 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0, जिसका मुख्यालय नेयवेली, तमिलनाडु में स्थित है, मुख्यतः तमिलनाडु में लिग्नाइट भंडारों के दोहन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन में लगा हुआ है ।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि0 (सिं.को.कं.लि.)

1.11 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि0 1920 में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित की गई थी तथा यह 1956 में एक सरकारी कंपनी बन गई है जिसका मुख्यालय कोठागुडम, आंध्र प्रदेश में है । यह कंपनी आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है । इस कंपनी की शेयर पूंजी आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के पास 51:49 के अनुपात में है । यह कंपनी आंध्र प्रदेश राज्य में कोयले के भंडारों के दोहन का कार्य करती है।

अध्याय-2

आर्थिक कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप

2.1 विभाग तथा इसके उपक्रम मुख्य रूप से कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन की ओर, इनकी बढ़ती मांग को पूरा किए जाने के लिए उन्मुख हैं । इसके साथ-साथ, कोयले का परिष्करण/धुलाई, लदान तथा प्रेषण सुविधाओं जैसी सभी परियोजना आवर्ती गतिविधियों और कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण के उपायों पर आवश्यक तथा उचित समय पर कार्रवाई करना भी अपेक्षित है । साफ्ट कोक का उत्पादन, धुआं-रहित ईंधन के लिए निम्न तापीय कार्बनीकरण, कोयले का गैसीकरण जैसे अन्य सहायक/मूल्यवर्द्धन क्रियाकलाप भी शुरू किए गए हैं । नए भण्डारों का अन्वेषण तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं भी विभाग के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं । इसके अतिरिक्त, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिग्नाइट के भण्डारों के अन्वेषण तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के उत्पादन में कार्यरत है ।

2.2 कोयला भारत में विद्युत का उत्पादन करने के लिए ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है । अधिकांश उत्पादित विद्युत तापीय विद्युत गृहों से प्राप्त की जाती है, जो फीड स्टॉक के रूप में कोयले पर निर्भर है । इसके अतिरिक्त, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रसायन, कागज जैसे अन्य उद्योग तथा हजारों मध्यम तथा लघु उद्योग अपनी गतिविधि तथा ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए भी कोयले पर निर्भर है । परिवहन क्षेत्र में यद्यपि रेलवे द्वारा स्टीम इंजनों को धीरे-धीरे समाप्त किए जाने के कारण कोयले का प्रत्यक्ष उपभोग नाममात्र है किन्तु विद्युत से चालित इंजनों में वृद्धि भी कोयले से परिवर्तित विद्युत ऊर्जा पर निर्भर है । अतएव कोयला विभाग देश के कोयले के स्रोतों को इस तरह से विकसित करने में लगा है जिससे विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों के कोयले की आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी हों और तेल /आयातित कोयले पर उनकी निर्भरता न्यूनतम रहे । कोयले की अखिल भारतीय क्षेत्र-वार मांग नीचे दी गई है :-

कोयले की अखिल भारतीय क्षेत्र-वार मांग

(मि.टन में)

क्षेत्र	2001-02 वास्तविक	2002 - 2003 (+ÉxÉÉÊiÉàÉ)	2003 - 2004 सं.अनु.	2004- 2005 ¤É.+ÉxÉ
I कोकिंग कोयला				
1. इस्पात (देशीय)	16.70	16.91	16.74	17.38
2. निजी कोकरीज़/	0.67	0.86	0.58	0.71

कोक ओवन		12.52	13.33	15.89
3. इस्पात (आयात)	11.11			
उप जोड़	**28.48**	**30.29**	**30.65**	**33.98**
II <u>नॉन-कोकिंग कोयला</u>				
4. विद्युत (उपयोगिताएं) आर.सी.	248.58	252.79	263.71	279.52
मिडलिंग	(1.80)	(1.71)	(2.29)	(2.48)
5. विद्युत (ग्रहीत) आर.सी.	17.02	19.04	20.66	24.90
मिडलिंग	(1.29)	(1.53)	(1.02)	(1.10)
6. स्पंज आयरन/ सी.डी.आई.	4.40	6.17	6.50	7.50
7. बी.आर.के. और अन्य/एल.टी.सी./	32.75	33.37	35.00	35.00
एस.एस.एफ.	(0.51)	(0.01)	(0.10)	(0)
उप जोड़ (5+6+7)	**54.17**	**58.58**	**62.16**	**67.40**
	(1.80)	(1.54)	(1.12)	(1.10)
8.कोक ओवन (एनएलडब्ल्यू)				
9. साफ्ट कोक/ईंधन कोक				
10. लोको/रेलवे				
11. सीमेन्ट	15.25	16.39	16.50	19.00
12. उर्वरक	3.20	2.54	2.59	2.81
13. निर्यात	0.02	0.01	0.02	0.02
14.कोलियरी उपभोग	1.79	1.48	1.50	1.46
15. नॉन-कोकिंग कोयला आयात	0.00	0.00	**0.00**	0.00
उप जोड़	**323.01**	**331.79**	**346.08**	**370.21**
जोड़ कच्चा कोयला	**351.49**	**362.08**	**377.13**	**404.19**
ÉaÉbÉãÉMÉ	**(3.60)**	**(3.25)**	**(3.41)**	**(3.58)**

2.3 निवेश के निरन्तर कार्यक्रम तथा आधुनिक प्रौद्यिगिकी को लागू करने पर अधिक बल देकर 70 के दशक के शुरू के वर्षों में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय लगभग 70 मि.टन के कोयले के उत्पादन स्तर को 2002-03 में बढ़ाकर लगभग 341.24 मि.टन (अखिल भारतीय) करना संभव हो सका है । वर्ष 2004-2005 में कोयले का उत्पादन 369.15 मि.टन तक हो जाएगा । कोयले के अखिल भारतीय उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

अखिल भारतीय कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

	2001-02 वास्तविक	2002-03 वास्तविक	2003-04 सं.अनु.	2004-05 ब.अनु.
को.इं.लि.	279.65	290.69	299.50	314.00
सिं.को.कं.लि.	30.81	33.16	33.50	35.00
अन्य	17.33	17.39	19.30	20.15
जोड़ (अखिल भारतीय)	**327.79**	**341.24**	**352.30**	**369.15**

2.4 कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से, नई कोयला खनन परियोजनाओं तथा इनके कल्याणकारी क्रियाकलापों को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ।

कोयले का प्रेषण तथा पिट-हैड स्टॉक

2.5 वर्ष 2001-02 में कोयले का प्रेषण 280.78 मि.टन तथा वर्ष 2002-2003 में 287.87 मि.टन तक पहुंच गया था तथा 2003-2004 के दौरान अनुमानित प्रेषण लगभग 298.34 मि.टन है । भारत में कोयले के परिवहन के लिए रेल मुख्य साधन है । परिवहन की अन्य महत्वपूर्ण पद्धतियाँ मेरी-गो-राउंड प्रणाली, कन्वेयर बेल्ट, सड़क और रेल-सह-समुद्री मार्ग हैं। कोयला के प्रेषणों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है । मार्च, 2002 के अंत में कोल इंडिया लिमिटेड का विक्रेय कोयला स्टॉक 17.83 मि.टन था । मार्च, 2003 के अंत में यह 19.25 मि.टन हो गया । यह अनुमान है कि मार्च 2004 के अन्त में यह घटकर 17.90 मि.ट. हो जाएगा ।

2.6 वर्ष 2001-2002 (वास्तविक), 2002-2003 (वास्तविक) और 2003-2004 (ब.अ.) के लिए कोयले के प्रेषणों और मार्च, 2002, मार्च, 2003 के अंत में स्टॉक (विक्रेय) के लिए तथा मार्च, 2004 में (प्रत्याशित) कोयले के अखिल भारतीय आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

कंपनी-वार कोयला प्रेषण तथा स्टॉक (विक्रेय)

(मि.टन में)

कंपनी	कोयला प्रेषण			BÉÉªÉãÉÉ °]ÉBÉ (É´ÉµÉEªÉ)		
	2001-02 वास्तविक	2002-03 वास्तविक	2003-04 ¤É.+ÉxÉ.	मार्च, 2002 वास्तविक	मार्च, 2003 वास्तविक	मार्च, 2004 ´ÉÉºiÉÉ´ÉBÉE
ई.को.लि.	27.80	26.75	28.43	2.47	2.33	2.33
भा.को.को.लि.	24.70	21.78	27.00	2.15	4.14	4.14
से.को.लि.	33.06	36.53	36.29	3.72	3.89	2.89

ना.को.लि.	42.68	44.43	46.50	0.55	1.22	1.22
वे.को.लि.	38.03	38.11	37.44	1.11	0.77	0.52
सा.ई.को.लि.	64.86	68.27	68.85	5.68	3.91	3.91
म.को.लि.	49.03	51.36	53.08	1.67	2.52	2.52
ना.ई.को.	0.62	0.64	0.75	0.48	0.47	0.37
जोड़ (को.इं.लि.)	**280.78**	**287.87**	**298.34**	**17.83**	**19.25**	**17.90**

कोयले का वितरण

2.7 कोयले का वितरण पहले सांविधिक रूप में कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता था । कोयले के वितरण पर से नियंत्रण को धीरे-धीरे हटा लिया गया है । कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 का स्थान नए कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 ने ले लिया है । इस आदेश से कोयले के वितरण पर से सभी नियंत्रण हटा लिए गए हैं । विद्युत, इस्पात तथा सीमेंट के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए, स्थायी संयोजन समितियां गठित की गई हैं, जो कोयले की उपलब्धता, परिवहन संबंधी संरचनात्मक ढांचे तथा उपभोगी यूनिटों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को संयोजन प्रदान करती हैं । स्थायी संयोजन समिति (दीर्घावधि) द्वारा प्रदत्त संयोजनों के आधार पर, स्थायी संयोजन समिति (अल्पावधि) द्वारा तिमाही आबंटन किया जाता है ।

2.8 गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए, जिन उपभोक्ताओं की कोयले की आवश्यकता 25000 टन प्रति माह से कम है, उन्हें क्रमशः कोल इंडिया लिमिटेड/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के नान-कोर संयोजन समितियों द्वारा संयोजन प्रदान किये जाते हैं । यह कोयले की उपलब्धता, यूनिटों के स्थल और निर्दिष्ट कोयला क्षेत्र से पहले से ही प्रतिबद्ध कोयले की मात्रा तथा परिवहन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है । ऐसे संयोजनों के आधार पर, संबद्ध पार्टी को कोयले का वास्तविक आबंटन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक रूप से प्राधिकृत स्पॉनसरशिप के आधार पर किया जाता है ।

कोकिंग कोयला/साफ्ट कोक

2.9 इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने वाले कोककर कोयले की बेहतर तथा समान गुणवत्ता को सुनिश्चित किए जाने के लिए उसकी धुलाई करना अपेक्षित होता है। इस प्रयोजन के लिए को.इं.लि. में फिलहाल 17 वाशरियां कार्य कर रही हैं । इस्पात संयंत्रों (दुर्गापुर कोक ओवन संयंत्र सहित) को आपूर्ति करने के लिए कोकिंग कोल की उपलब्धता 2002-2003 में 10.85 मि.टन थी । 2003-2004 के लिए प्रत्याशित उपलब्धता 11.01 मि.टन होगी । वर्ष 2004-2005 के लिए 12.42 मि.टन का लक्ष्य रखा गया है ।

2.10 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड एक एकीकृत काम्प्लेक्स है, जो वर्तमान में कुल 24 मिलियन टन (मि.ट.) प्रतिवर्ष क्षमता वाली तीन ओपन कास्ट खानों सहित 2490 मे.वा. की क्षमता वाले पिट - हैड तापीय विद्युत गृहों के साथ संयोजित है। जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है:-

	क्षमता मि.ट. प्रति वर्ष	**संयोजित इकाई**
खान-I (विस्तार सहित)	10.5	टी.पी.एस.-I 600 मे.वा. टी.पी.एस.-I विस्तार 420 मे.वा.
खान II	10.5	टी.पी.एस.- II 1470 मे.वा.
खान I ए	3.0	नेयवेली में आई.पी.पी. अर्थात एस.टी.-सी.एम.एस.

बाजार अवरोधों के मद्देनजर मूल रूप से खान-I से संयोजित बी एण्ड सी संयंत्र तथा यूरिया संयंत्र के प्रचालन को बन्द कर दिया गया।

वर्ष 2002-03 वास्तविक, ब.अनु. 2003-04 तथा सं. अनु. 2004-05 हेतु उत्पादन कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं-

एन.एल.सी. हेतु उत्पादन कार्यक्रम

मद	**2002-03 वास्तविक**	**2003-04 ब.अनु.**	**2003-04 स.अनु.**	**2004-05 ब.अनु.**
1. लिग्नाइट (मि.ट.)	18.62	20.90	20.90	21.00
2. विद्युत(एम.यू.)	14969.95	15006	14837	15286

अन्वेषण

2.11 देश में कोयले के भंडारों का अन्वेषण दो चरणों में किया जाता है । पहले चरण में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) निरंतर आधार पर संभावित कोयला धारी क्षेत्रों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य करता है । क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रयासों को पूरा करने के लिए, सी.एम.पी.डी.आई., भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) और खनिज अन्वेषण निगम लि. (एम.ई.सी.एल.) की सेवाएं भी ली गई हैं, ताकि देश के विभिन्न भागों में संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण का कार्य किया जा सके । कोयला विभाग ने कोयला तथा लिग्नाइट के लिए योजनागत स्कीम "क्षेत्रीय अन्वेषण " के अंतर्गत अलग से प्रावधान किया है । कोयला तथा लिग्नाइट पर उपसमिति, (केन्द्रीय भू-गर्भीय कार्यक्रमण बोर्ड के दल -

VIII) जिसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, के.खा.आ.डि.सं.लि., सिंगरेनी कोल्फील्डस कम्पनी लि0 (सिं.को.कं.लि.), नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 (ने.लि.का.लि.), आदि के प्रतिनिधि होते है, अन्वेषण कार्य का कार्यक्रम बनाती है, उनका समन्वय करती है और उनकी समीक्षा करती है । सी.एम.पी.डी.आई कोयले के लिए संवर्धनात्मक अन्वेषण के क्षेत्र में एम.ई.सी.एल. के कार्य के पर्यवेक्षण करने के अतिरिक्त अन्वेषण एजेंसियों को निधियों के वितरण के लिए नोडल अभिकरण का कार्य भी करता है । एन.एल.सी. 1.9.2002 तक देश में लिग्नाइट के संवर्धनात्मक अन्वेषण क्रियाकलाप की मानिटरिंग कर रहा था । सी.एम.पी.डी.आई.एल. ने 2.9.2002 से आगे लिग्नाइट अन्वेषण क्रियाकलापों की मानिटरिंग आरम्भ की।

2.12 दूसरे चरण में, कोयला कंपनियों, राज्य सरकारों, सी.एफ.आर.आई. आदि के परामर्श से क्षेत्रीय/संवर्धनात्मक अन्वेषण के आधार पर पहचाने गए संभावित खंडों में व्यापक अन्वेषण किया जाता है । विस्तृत अन्वेषण शुरू करने के लिए विभिन्न ब्लाकों की प्राथमिकताओं का निर्णय ग्राहक की मांग व उसकी अवस्थिति, कोयले की निकासी हेतु संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, खनन परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवस्था, कोयले की गुणवत्ता तथा भूमि अधिग्रहण, वनीय स्वीकृति पुनर्वास आदि से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रख कर किया जाता है । विस्तृत अन्वेषण का वित्त -पोषण कोयला कंपनियों द्वारा पूंजीगत बजट से किया जाता है तथा इनका निष्पादन भू-वैज्ञानिक रिपोर्टे तैयार करने, खान व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए सी.एम.पी.डी.आई. तथा एस.सी.सी.एल. द्वारा सीधे रूप से तथा सीमित तरीके से राज्य सरकारों के माध्यम से भी किया जाता है और परियोजना रिपोर्टे तैयार की जाती हैं । इन रिपोर्टों का उपयोग देश में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोयला भंडारों के अन्वेषण हेतु किया जाता है ।

2.13 वर्ष 1997-98, तक कोयला कंपनियां सभी ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण के लिए वित्त पोषण करती रही हैं । दिसम्बर, 1996 में सी.आई.एल. द्वारा अपने पास रखे जाने वाले ब्लाकों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद कोयला कंपनियों ने 1998-99 से गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण के लिए वित्त पोषण करना बंद कर दिया । कोयला मंत्रालय ने नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण के वित्त पोषण के लिए सी.एम.पी.डी.आई. के प्रस्ताव को अनुमोदित किया । अन्वेषण में प्रगति को बनाए रखने तथा कोयला खनन में निजी उद्यमियों की सहभागिता के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया गया था। 10 वीं पंचवर्षीय योजना में योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को भी दिनाक 1.12.2003 को अनुमोदित कर दिया गया था।

2.14 10 वीं पंचवर्षीय योजना में कोयला तथा लिग्नाइट के प्रोन्नत अन्वेषण की योजना को जारी रखने को कोयला मंत्रालय ने भी अनुमोदित कर दिया है। इसमें प्रोन्नत अन्वेषण के साथ-साथ कोयला तथा लिग्नाइट संसाधन, सूचना प्रणाली तथा सी.बी.एम. अध्ययन शामिल हैः-

प्रोन्नत अन्वेषण

2.15 जी.एस.आई., एम.ई.सी.एल. तथा सी.एम.पी.डी.आई.एल. 10वीं योजना में भी प्रोन्नत अन्वेषण कर रही हैं । वर्ष 2002-03 हेतु प्रोन्नत ड्रिलिंग तथा 2003-04 और 2004-05 हेतु कार्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(मीटर में)

कमांड क्षेत्र	**2002-03 वास्तविक**	**2003-04 ब.अनु.**	**2003-04 सं.अनु.**	**2004-05 ब.अनु.**
1 सीआईएल में ड्रिलिंग	43737	48800	59500	55000
2 एससीसीएल क्षेत्र में ड्रिलिंग	17202	17200	20000	20000
3 एनएलसी क्षेत्र में ड्रिलिंग	56361	54300	59000	60000
जोड़	117300	120300	138500	135000
कुल व्यय (करोड़ रू.में)				
प्रोन्नत अन्वेषण	31.18	42.34	52.39	48.57
कोयला संसाधन सूचना प्रणाली	0.10	6.08	18.31	6.78
लिग्नाइट संसाधन सूचना प्रणाली		4.50	6.00	0.50
कोयला तथा लिग्नाइट में संबद्ध सीबीएम अध्ययन				
लिग्नाइट		3.18	3.54	1.75
कुल जोड	**31.28**	**56.10**	**80.24**	**57.60**

विस्तृत अन्वेषण

2.16 सीएमपीडीआई कार्यक्रम के अनुसार सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण जारी रखे हुए हैं । इसके अलावा, सीएमपीडीआई ने भी गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण शुरू किया है । 2004-05 के दौरान गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में कुल 42830 मी.ड्रिलिंग किए जाने का प्रस्ताव है । जिसके लिए कोयला विभाग से 12.83 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी । सी.आई.एल. ब्लाकों में ड्रिलिंग कार्यक्रम में 142270 मी. ड्रिलिंग हेतु सी.आई.एल. की सहायक कम्पनियों से 50.72 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी ।

2.17 सी.आई.एल. के कमान क्षेत्र में मीटरेज तथा व्यय के संबंध में विस्तृत अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिलिंग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

कोयला तथा लिग्नाइट का विस्तृत अन्वेषण कार्यक्रम

(मीटर में)

	2002-03 वास्त.		2003-04 ब.अ.		2003-2004 सं.अ.		2004-2005 प्रस्तावित ब.अ.	
	को.इं.लि. द्वारा वित्त पोषित	कोयला विभाग द्वारा वित्त पोषित	को.इं.लि. द्वारा वित्त पोषित	कोयला विभाग द्वारा वित्त पोषित	को.इं.लि. द्वारा वित्त पोषित	कोयला विभाग द्वारा वित्त पोषित *	को.इं. लि. द्वारा वित्त पोषित	कोयला विभाग द्वारा वित्त पोषित
कोल इंडिया लिमिटेड (ड्रिलिंग)								
1) सी.एम.पी.डी.आई.एल.	153621	31540	180000	41650*	129700	42200	135270	42630
2) एम.ई.सी.एल.								
3) अन्य	10268		10000		10000		7000	
जोड़ (सी.आई.एल.)	*163889*	*31540*	*190000*	*41650**	*139700*	*42200*	*142270*	*42630*
बजट प्रावधान (करोड़ रुपए में)	51.49	12.53	64.20	12.52 *	50.59	15.06	50.72	12.83

* यह कार्यक्रम बनाया गया था कि ब.अनु. 2003-04 में कोयला मंत्रालय द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन पश्चात तारांकित(*)चिन्हित किए गए गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में काम शुरू करने हेतु सी.आई.एल. ब्लाकों में ड्रिलिंग को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा ।

कोयला भण्डार

जी.एस.आई. एम.ई.सी.एल., सी.एम.पी.डी.आई., एस.सी.सी.एल. तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा 1200 मीटर की गहराई तक क्षेत्रीय /प्रोन्नत अन्वेषण तथा विस्तृत अन्वेषण के परिणामस्वरूप दिनांक 1.1.2003 को देश में कुल 240.75 बिलियन टन संचयी कोयला संसाधन स्थापित किए गए हैं । 1.1.2004 की स्थिति के अनुसार जी.एस.आई. में अनुमान तैयार किए जा रहे हैं ।

राज्य-वार वितरण तथा इनका श्रेणीकरण निम्नानुसार हैं

राज्य-वार भंडार **(मिलियन टन में)**

राज्य	**प्रमाणित**	**विनिर्दिष्ट**	**अनुमानित**	**जोड़**
आंध्र प्रदेश	7944	6122	2518	16584

अरूणाचल प्रदेश	31	40	19	90
असम	279	27	34	340
बिहार	0	0	160	160
झारखंड	35266	29552	6326	71144
छत्तीसगढ़	8561	25409	4165	38135
मध्य प्रदेश	7100	7888	3217	18205
महाराष्ट्र	4508	2151	1535	8194
मेघालय	117	41	301	459
नागालैंड	4	1	15	20
उड़ीसा	14302	29516	15285	59103
उत्तर प्रदेश	766	296	0	1062
पश्चिम बंगाल	11207	11570	4475	27252
जोड़	90085	112613	38050	240748

1.1.2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा यथा अनुमानित भारत के बनावट-वार एवं किस्म-वार कोयला भंडार नीचे दिए गए हैं-

भंडारों की किस्में

(मिलियन टन में)

कोयले की किस्म	**प्रमाणित**	**विनिर्दष्ट**	**अनुमानित**	**जोड़**
गोंडवाना कोयला	89653	112507	37681	239841
टेर्टियरी कोयला	432	106	369	907
जोड़	90085	112613	38050	240748
कोकिंगः				
प्राइम कोकिंग	4614	699	0	5313
मध्यम कोकिंग	11325	11839	1889	25053
अर्द्ध कोकिंग	482	907	222	1611
उप-जोड़ (कोकिंग)	16421	13445	2111	31977
नॉन-कोकिंग*	73664	99168	35939	208771
जोड़(कोकिंग एवं नॉन-कोकिंग)	90085	112613	38050	240748

* उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कोयला सहित

पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण

2.18 पर्यावरणीय उन्नयन तथा सहयोजित उपशमन संबंधी उपाय, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सतत प्रक्रिया है । सरकार द्वारा किसी कोयला खनन परियोजना की मंजूरी के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं (ई.एम.पी.) की तैयारी तथा उनका अनुमोदन पूर्व अपेक्षित है । तदनुसार, ई.एम.पी. में यथानिर्धारित पर्यावरणीय नियंत्रण उपायों का क्रियान्वयन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ शुरू किया जाता है ।

2.19 दसवीं योजना अवधि के दौरान पर्यावरणीय प्रबंधन में अधिक बल दिए जाने वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

(क) रानीगंज कोयला क्षेत्र में पुरानी, परित्यक्त, जलमग्न खानों में धंसाव पर नियंत्रण ।

(ख) झरिया कोयला क्षेत्र में खान की आग तथा धंसाव पर नियंत्रण ।

(ग) रानीगंज, झरिया, बोकारो, करनपुरा आदि जैसे अधिक पुराने कोलफील्डों में उत्खनित क्षेत्रों का सुधार ।

2.20 पुरानी, परित्यक्त और जलमग्न खदानों में धंसाव की समस्या पूर्व में उथली सतह के नीचे अवैज्ञानिक रूप से किए गए कोयले के उत्खनन के कारण उत्पन्न हुई है तथा यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र तक ही सीमित है ।

2.21 रानीगंज कोयला क्षेत्र की इस समस्या के लिए सी.आई.एल. द्वारा 1990 में एक शीर्षस्थ निगरानी समिति का गठन किया गया, जिसमें कोयला कंपनी, जिला प्रशासन, खान सुरक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय खान अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि और जनता के प्रतिनिधि (सांसद, विधायक आदि) शामिल हैं ।

2.22 भारतीय कोयला के स्वतः ज्वलनशील प्रकृति का होने के कारण कोयला खानों में आग लगने की घटनाएं होती हैं । झरिया में कोयला क्षेत्र में पहली बार आग लगने की सूचना 1916 में मिली थी । वर्ष 1971 में कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय लगभग 17 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में 70 स्थलों में सक्रिय आग फैली हुई थी। इनमें से 10 स्थलों की आग को बुझा दिया गया है । आगे कार्य प्रगति पर है ।

2.23 रानीगंज तथा झरिया कोयला क्षेत्रों में लगी आग तथा धंसाव संबंधी समस्या से व्यापक रूप से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1996 में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें योजना आयोग, श्रम मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार, खान-सुरक्षा महा-निदेशक, को.इं.लि., सी.एम.पी.डी.आई., भा.को.को.लि. तथा ई.को.लि. के प्रतिनिधि सदस्य थे । इस समिति ने दिसम्बर, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । तदनुसार, रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों के लिए अस्थिर और आग प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं । प्रथम चरण में, बी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल. के कमान क्षेत्र में प्रत्येक के लिए क्रमशः 33.88 करोड़ रुपए और 32.52 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दो योजनाएं

मंजूर की गई हैं । बी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल. द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की स्थिति निम्नानुसार है : -

"ई.सी.एल. में चार अस्थिर स्थलों की स्थिरीकरण" योजना की स्थिति :

क्रम सं	अस्थिर स्थानों के नाम	01.12.2003 को स्थिति
1	सामडीह गांव (सालानपुर क्षेत्र)	पिछली बैठक जी.एम. कार्यालय सालानपुर क्षेत्र में 4.6.2002 को हुई थी । ग्रामीण लोग अपने घरों आदि के बदले नकद मुआवजे पर जोर दे रहे हैं । इस प्रस्ताव को अभी कोर ग्रुप के माध्यम से सक्षम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना है ।
2	केन्डा गांव (कान्डा क्षेत्र)	पिछली बैठक बी.डी.ओ. कार्यालय जमुरिया में अगस्त 2002 में हुई थी । पुनर्वास के लिए वैकल्पिक स्थलो को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।
3	बंगाल पारा (पांडवेश्वर)	पिछली बैठक बी.डी.ओ. कार्यालय पाण्डवेश्वर में 22.8.02 को हुई थी । ग्रामीण लोग वैद्यनाथपुर - गोविन्दपुर परित्यक्त स्थल को जाने को सहमत हैं । ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।
4	हरीशपुर गांव (काजोरा क्षेत्र)	कोर ग्रुप की पिछली बैठक बी.डी.ओ. कार्यालय आन्दल में 27.7.02 को हुई थी । इसमें कोई समाधान नहीं हो पाया क्योंकि ग्रामीण लोग उपस्थित नहीं थे ।

ग्रामीणों के पुनर्वास हेतु ग्रामीणों, राज्य सरकार तथा ई.सी.एल. के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया जाना चाहिए ।

ई.सी.एल. क्षेत्र में गैर-सी.आई.एल. लोगों के पुनर्वास हेतु ए.डी.डी.ए. को वित्त-पोषित किया जा सकता है ।

"बी.सी.सी.एल. के अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों के स्थानांतरण की योजना" की स्थिति :-

इस योजना में 4600 आवास परिकल्पित है (बी.सी.सी.एल. कर्मचारियों हेतु 1500 तथा गैर-बी.सी.सी.एल. कर्मचारियों हेतु 3100) । बी.सी.सी.एल. कर्मचारियों के लिए 344 घरों के निर्माण के कार्य-आदेश बी.सी.सी.एल. द्वारा 1999 में दिया गया था । निर्माण किए जा रहे 344 मकानों में से 284 मकान पूरे हो चुके हैं । 32 परिवार स्थानांतरित हो गए हैं । शेष 60 मकानों का निर्माण कार्य जारी है । 3100 गैर

बी.सी.सी.एल. मकानों के निर्माण के लिए गैर बी.सी.सी.एल. के 3100 मकानों के निर्माण के मामले से निपटने के लिए बिहार सरकार द्वारा 2-3-1998 के आदेश संख्या बीएम/17/96/980/एम द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। आयुक्त, छोटा नागपुर मण्डल, बिहार राज्य इस समिति के अध्यक्ष हैं । ख़तरे वाले क्षेत्र से गैर-बी.सी.सी.एल. कार्मिकों के पुनर्वास के मुद्दे पर उक्त समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के समय यह पाया गया कि पारम्परिक इंदिरा आवास योजना के प्रकार के घरों की आधारभूत विशेषताओं में कई अन्तर्निहित खामियाँ हैं । इस प्रकार की पारंपरिक इकाईयों के निर्माण के पीछे सोच मुख्यतः ग्रामीण लोगों के लिए आवास इकाईयों का निर्माण करना है जबकि वर्तमान स्थिति में पुनर्वास शहरी तबके के लोगों से संबंधित है, भले ही वे आर्थिक रूप से गरीब थे । इसके परिणामस्वरूप यह महसूस किया गया है कि इस प्रकार के मकान लोगों द्वारा पसंद नहीं किए जाएंगे तथा वे उसे मकानों में जो उनके विद्यमान आवास से दूर हैं, स्थानांतरित होने में अनिच्छुक होंगे । अतः समिति ने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेहतर सुविधाओं से युक्त विस्थापित आवास प्रदान करने का सुझाव दिया । अतः योजना को संशोधित करना था । मूल योजना को 61.09 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से संशोधित किया गया है । विभागीय ई.एफ.सी. ने दिनांक 8.11.2002 को संशोधित योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है।

सी.एम.पी.डी.आई.एल. द्वारा गैर - सी.आई.एल. जनसंख्या हेतु बी.सी.सी.एल. का डेमोग्राफिक सर्वेक्षण संबंधित राज्य सरकार द्वारा सी.आई.एल. कर्मचारियों हेतु कराया जाएगा ।

2.24 रानीगंज, झरिया, बोकारो और करणपुरा जैसे पुराने कोयला क्षेत्रों में, ओपनकास्ट और भूमिगत दोनों खानों के कारण उत्खनित क्षेत्रों को, विशेषतः राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि में, बिना किसी सुधार के छोड़ दिया गया था । इन निम्नीकृत क्षेत्रों के सुधार के लिए ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. के कमान क्षेत्रों में सुधार योजनाएं तैयार की गई हैं । बी.सी.सी.एल. में दो स्कीमें, ई.सी.एल और सी.सी.एल. में एक-एक स्कीम क्रियान्वित की जा रही है ।

2.25 पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 30-11-2003 तक ई.एम.एस.सी योजनाओं के अंतर्गत किया गया वास्तविक संवितरण 50.25 करोड़ रुपए है जिसमें 2001-02 में मंजूरशुदा चार आर.सी.एफ.सी. योजनाएं भी शामिल हैं । पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर सं.अ. 2003-04 तथा ब.अ. 2004-2005 क्रमशः 10.92 करोड़ रुपए तथा 18.22 करोड़ रुपए है ।

अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं

2.26 अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों को कोयला क्षेत्र में स्थाई वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एस.एस.आर.सी.) नामक एक शीर्षस्थ निकाय के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) हैं । इस शीर्षस्थ निकाय में अन्य सदस्यों में को.इं.लि. के अध्यक्ष, के.खा.आ.डि.सं.लि., सिं.को.कं.लि. तथा ने.लि.का. के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, संबद्ध सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं के निदेशक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग, योजना आयोग तथा शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि , प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं । एस.एस.आर.सी. के मुख्य क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं - योजना, कार्यक्रम, बजट बनाना तथा अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करना और किए गए अनुसंधान तथा विकास कार्य के निष्कर्षों को लागू कराना । को.इं.लि. के आंतरिक अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों के लिए, अध्यक्ष, को.इं.लि. की अध्यक्षता में एक अनुसंधान व विकास बोर्ड भी कार्यरत है ।

2.27 एस.एस.आर.सी. की सहायता 4 स्थाई उप-समितियों द्वारा की जा रही है, जिनमें से प्रत्येक अनुसंधान के निम्नलिखित 4 संबद्ध मुख्य क्षेत्रों में से एक का कार्य देखती है:-(i) उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा (ii) कोयला परिष्करण (iii) कोयले का उपयोग (iv) पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी ।

2.28 सी.एम.पी.डी.आई.एल. कोयला क्षेत्र के अनुसंधान क्रियाकलापों के समन्वयन के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करती है, जिसमें निम्नलिखत क्रियाकलाप शामिल हैं - अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए प्रमुख क्षेत्रों का विनिर्दिष्टीकरण, ऐसे अभिकरणों का विनिर्दिष्टीकरण, जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अनुसंधान कार्य शुरू कर सकते हैं, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई करना, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखना, बजट अनुमान तैयार करना, निधियों आदि का संवितरण करना आदि ।

2.29 नौंवी योजनावधि के दौरान विभिन्न अभिकरणों द्वारा 48 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है ।

नौंवी योजनावधि तथा दसवीं योजनावधि में कोयले की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत है :-

(i)	2002-03 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं	- 10
(ii)	1.4.2003 के अनुसार चालू परियोजना	- 44
(iii)	नवम्बर, 2003 तक अनुमोदित (2003-04) परियोजनाएं	- 16
(iv)	1.12.2003 की स्थिति के अनुसार चालू परियोजनाएं	- 60
(v)	दिसम्बर 2003 की स्थिति के अनुसार पूर्णता के अंतिम चरण में परियोजनाएं	- 10

2.30 कोयला क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के लिए 2003-2004 में 22.48 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर संशोधित करके 10.04 करोड़ रुपए किया गया । पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर वर्ष 2004-2005 के लिए 9.88 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है ।

2.31 उपभोक्ताओं से कोयला बिलों (कोयला उत्पादन कंपनियों को प्रभावित किए बिना) की मार्फत कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम 1974 [सी.एम (सी.एण्ड.डी) एक्ट] के प्रावधानों के अंतर्गत एस.ई.डी. की वसूली का प्राथमिक उद्देश्य एस.ई.डी. से धनराशि प्राप्त करना है (धारा 9 के अंतर्गत शुल्क प्रभारित किया जाना और उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 और 7 के अंतर्गत इसकी वसूली)ताकि भू.ग. खानों में कोयला उत्पादन के साथ-साथ उच्च लागत वाली रेत भराई प्रचालनों को आर्थिक सहायता दी जा सके और विभिन्न संरक्षी कार्य जिनका लक्ष्य कोयले की सुरक्षा, उत्पादन और संरक्षण है, किए जा सके । नॉन-कोकिंग कोयला प्रेषणों के लिए 3.50 रू. प्रति टन की दर से और कोकिंग कोयला प्रेषणों पर 4.25 रू. प्रति टन उत्पाद शुल्क की राशि को संरक्षणात्मक प्रयासों अर्थात कोलफील्ड क्षेत्रों में भराई कार्य, संरक्षी कार्य और परिवहन ढांचा के विकास आदि के लिए कोयला कंपनियों के कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रभारित किया गया है (चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दरें 1जनवरी,2003 से 25 जून, 2003 की अवधि के लिए मान्य थीं) । तदुपरान्त, सरकार के दिनांक 25 जून, 2003 के असाधारण गजट अधिसूचना सं. एस.ओ. 727(ई) द्वारा एस.ई.डी. की दरें कोयले की श्रेणी की परवाह किए बिना 6 जून, 2003 से बढ़ाकर 10 रू. प्रति टन प्रेषित कोयला कर दी गई (चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दरें 26 जून, 2003 से मान्य हैं) । कोयला नियंत्रक विभिन्न कोयला कंपनियों से उत्पाद शुल्क की वसूली करता है । जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2002 की पिछले वर्ष की अवधि के दौरान 114.26 करोड़ रू. के संशोधित अनुमान की तुलना में उत्पाद शुल्क के रूप में 118.77 करोड़ रू. की कुल राशि की वसूली गई । चालू वर्ष जनवरी,2003 से नवम्बर, 2003 के दौरान 117.53 करोड़ रू. के बजट अनुमान और 230 करोड़ रू. के संशोधित अनुमान की तुलना में 110.67 करोड़ रू. की वसूली की गई । वर्ष 2004-05 के लिए बजट अनुमान 350 करोड़ रू. है ।

2.32 उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोयला संरक्षण और विकास परामर्श समिति (सी.सी.डी.ए.सी.) के रूप में अभिज्ञात समिति कोयला खानों में रेत भराई और सुरक्षात्मक कार्यों और कोयला फील्ड क्षेत्रों में परिवहन (सड़क/रेल) ढांचे के विकास पर वास्तविक व्यय का मूल्यांकन करती है और सरकार को उपरोक्त कार्यों के लिए कोयला

कंपनियों द्वारा वहन किए गए वास्तविक व्यय के लिए सी.सी.डी.ए. दिशा-निर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य राशि के एक भाग के लिए सहायता अनुदान हेतु सरकार को आवश्यक सिफारिशें भी करती हैं । आर.एण्ड डी. स्कीमों (सहायता की दर मैरिट के अनुसार तय की जा रही है) सहित उपरोक्त उल्लिखित तीन प्रमुख क्षेत्रों के अलावा कुछ अन्य फील्ड भी हैं जिनके संबंध में समिति सी.सी.डी.ए. सहायता पर विचार करती है जिसका विवरण सी.एम.(सी.एण्ड डी.) नियमावली,1975 के "सहायता अनुदान" शीर्षक अध्याय 5 के अंतर्गत खंड 12 के 6 उप-खंडों के अंतर्गत दिया गया है ।

2.33 सी.सी.डी.ए. समिति द्वारा यथा अनुमोदित पात्र कार्यकलापों पर किए गए व्यय को सी.एम.(सी. एण्ड डी.) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत एस.ई.डी. से अर्जित धनराशि से पूरा किया जाता है जिसका विवरण पैरा नं. 2.31 में है । अधिनियम की धारा 6 और 7 की शर्त से प्रकट होता है कि पूर्व वित्तीय वर्ष अथवा वर्षों के दौरान एस.ई.डी. वसूली को विशेष रूप से अधिनियम में बताए गए उद्देश्यों के लिए संवितरित किया जाए । इस प्रकार के कार्यकलापों के लिए निवल प्राप्ति से वसूली और उत्पाद शुल्क की निवल प्राप्ति से बजट में प्रावधान को नीचे दर्शाया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**2002-2003 वास्त.**	**2003-2004 ब.अ.**	**2003-2004 सं.अ.**	**2004-2005 ब.अ.**
रेत भराई,सुरक्षा कार्य तथा आर. एण्ड डी. सहित संरक्षण	81.74	64.00	64.00	90.00
कोयला क्षेत्रों में परिवहन संरचनात्मक ढांचे का विकास	38.03	50.94	50.94	69.12
जोड़	119.77	114.94	114.94	159.12

2.34 विद्यमान मार्ग निर्देशों के अंतर्गत सरकार रेत भराई के खान में मानक लागत के द्वारा निकाली गई लागत के 60% तक की प्रतिअदायगी करती है जबकि शेष लागत का वहन संबद्ध कोयला कंपनियों द्वारा किया जाता है। सरकार कोयला खानों में सुरक्षात्मक कार्यों पर आई लागत के 75% तक की भी प्रति अदायगी करती है जबकि शेष लागत का वहन संबद्ध कोयला कंपनियों को ही करना पड़ता है । रेत भराई के मामले में, रेत की मात्रा उन भूमिगत खानों से होने वाले कोयला उत्पादन की मात्रा से संबंधित होती है, जहां रेत भराई का कार्य किया जाता है तथा इस मद पर किए जाने वाले व्यय का अनुमान लगाया जाता है ।

2.35 सड़कों और पुलों के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । तथापि कोयला उद्योग के लाभ के लिए कोयला उत्पादन, संसाधन और प्रेषण के लिए आवश्यक सड़कों का निर्माण / विकास कोयला कंपनियों द्वारा भी किया जा सकता है । खनन क्रियाकलाप से संबंधित रेत, इस्पात, मशीनरी आदि के परिवहन के लिए, अपेक्षित सड़कों का निर्माण भी कोयला कंपनियों द्वारा किया जा सकता है । सीसीडीए समिति ने वर्तमान नीति के अनुसार ऐसी कुछ सड़कों के निर्माण के लिए सहायता का

अनुमोदन किया है । सी.सी.डी.ए. कोयला परियोजनाओं/खानों की परियोजनाओं से जुड़े रेलवे परियोजनाओं पर व्यय की प्रति अदायगी के प्रस्ताव पर भी विचार करती है ।

2.36 सरकार सामान्यतः कोयला क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत वहन करती है । शेष व्यय का वहन या तो संबद्ध राज्य सरकार अथवा ऐसी सड़क का निर्माण करने वाली प्रायोजक कोयला कंपनी द्वारा किया जाता है । तथापि, घाटा वहन कर रही कंपनियों के लिए कुछ विशिष्ट मामलों में 100% सहायता पर भी विचार किया जाता है ।

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना

2.37 कोल इंडिया लि0 ने लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) बनाई है ताकि अधिशेष जन-शक्ति को कम किया जा सके । ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. तथा सी.सी.एल. जैसी घाटा वहन कर रही कंपनियों में वी.आर.एस. को लागू करने के लिए सी.आई.एल. ने 2002-03 तक 974.56 करोड़ रु. का अनुदान प्राप्त किया । वर्ष 2002-03 तक उपयोग किया गया अनुदान 888.97 करोड़ रु. है । 1.4.2003 को उपलब्ध शेष राशि 85.59 करोड़ रु. है । 2002-03 तक कम हुई कुल जनशक्ति 40223 है । नीचे दिए ब्यौरों के अनुसार दसवीं योजना अवधि के लिए सी.आई.एल. की घाटा वहन कर रही कंपनियों हेतु वी.आर.एस. के लिए 425.06 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए हैं -

	2002-03 (वास्तविक)	**2003-04 ब.अ.**	**2003-04 सं.अ.**	**2004-05 ब.अ.**	**दसवीं योजना (प्रस्तावित)**
निधि आवंटन (करोड़ रु. में)	172.51	138.44	0.00	103.50	425.06
वी.आर.एस. द्वारा जन शक्ति में कमी	6173	5200	0.00	4000	15500

2.38 पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु वर्ष 2002-03 के समूचे ब.अ. के प्रावधान को केन्द्रीय संसाधनों के अव्यपगत पूल में डाल दिया गया है ।

कोयले का मूल्य

2.39 1-1-2000 से पूर्व, कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 की धारा 4 के अंतर्गत, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 द्वारा प्रवृत्त बना रहा है, केन्द्र सरकार को ग्रेड-वार

तथा कोलियरी-वार कोयले की कीमतें निर्धारित करने का अधिकार था । कोयले के प्रशासित ग्रेडों की कीमतें पिछली बार दिनांक 17-6-1994 से संशोधित की गई थी । कीमतों की अधिसूचना को दिसम्बर, 1995, जनवरी, 1996 तथा अप्रैल,1996 में संशोधित किया गया था ताकि रन ऑफ माइन, स्टीम तथा स्लैक कोयले के बीच विभेदों में वृद्धि की जा सके, परिवहन प्रभारों में वृद्धि की जा सके और ई.को.लि. की राजमहल ओपनकास्ट परियोजना से उत्पादित कोयले के लिए भी अतिरिक्त कीमतें मुहैया की जा सकें ।

2.40 औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार द्वारा सभी ग्रेडों के कोककर कोयले तथा अकोककर कोयले के ए, बी, सी और डी ग्रेडों की कीमतों को विनियंत्रित करने के संबंध में निर्णय लिया गया और यह निर्णय दिनांक 22-3-96 से लागू किया गया । तत्पश्चात, एकीकृत कोयला नीति पर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने साफ्ट कोक, हार्ड कोक और अकोककर कोयले के "डी" ग्रेड की कीमतों को विनियंत्रित करने का निर्णय लिया और यह निर्णय दिनांक 12-3-1997 से लागू किया गया ।

2.41 सरकार ने को.इं.लि. तथा सिं.को.कं.लि. के अकोककर कोयले के "ई ", "एफ " तथा "जी " ग्रेडों की कीमतों को प्रत्येक 6 महीने की अवधि में एक बार औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की 1987 की रिपोर्ट में दिए गए मूल्य वृद्धि फार्मूले के अनुसार लागत सूचकांक को अद्यतन करते हुए, निर्धारित करने की अनुमति भी देने का निणर्य लिया तथा इस संबंध में को.इं.लि. और सिं.को.कं.लि. को दिनांक 13-3-1997 को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए थे । इन अनुदेशों का पालन करते हुए सी.आई.एल. ने अपने कोयले का मूल्य 1-4-1997, 1-10-97, 21-8-1998, 5-1-1999 तथा 31-5-1999 और एस.सी.सी.एल. ने 15-3-1997, 29-8-1998 तथा 19-9-1999 को निर्धारित किए । कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 का अधिक्रमण करके कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 को 1-1-2000 से अधिसूचित करने से, कोयले की कीमत को पूरी तरह से विनियंत्रित कर दिया गया है । कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 के अंतर्गत, केन्द्र सरकार को कोयले की कीमत के निर्धारण का कोई अधिकार नहीं है और सी.आई.एल. को कोयले के उत्पादक के रूप में माँग तथा आपूर्ति, आयातित कोयले की तुलना में भारतीय कोयले की प्रतिस्पर्धात्मकता और कोयले के उत्पादन में आवश्यक आदानों के मूल्य में वृद्धि जैसी कोयले की आर्थिकी के आधार पर स्वतः ही मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है ।

राज्य सरकार को रायल्टी तथा बिक्री कर/उपकर

2.42 रायल्टी खनिज को हटाने अथवा उपयोग करने के लिए पट्टेधारी द्वारा पट्टेदाता को भुगतान की जाने वाली एक राशि है । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)

अधिनियम की धारा 9 (1) में यह अपेक्षित है कि एक खनन पट्टाधारी या उसका एजेंट प्रबंधक कर्मचारी ठेकेदार अथवा उप-पट्टाधारी अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्धारित दर पर पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से हटाए अथवा उपभोग किए गए किसी भी खनिज के संबंध में रायल्टी अदा करें । एम.एम.आर.डी. अधिनियम की धारा 9(3) में केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज के संबंध में इसमें यथा निर्दिष्ट तारीख से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा रायल्टी की दरों में वृद्धि करने या कमी करने का अधिकार प्राप्त है । यह संशोधन अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संबंधित खनिज हेतु रायल्टी दर की विशिष्ट प्रविष्ट में संशोधन करके किया जाता है । अधिनियम की धारा 9 (3) का परन्तुक केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज के संबंध में तीन वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक रायल्टी दर बढ़ाने से रोकता है । अधिनियम में यह भी अनिवार्यता नहीं है कि प्रत्येक तीन वर्ष के बाद कोयले पर रायल्टी में संशोधन किया ही जाए ।

रायल्टी पर कानूनी प्रावधान

2.43 1971 में निर्धारित की गई कोयला रायल्टी दरें निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के 1.50 रु. प्रति टन और उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए 2.00 रु. प्रति टन के बीच है । बाद में कोयले पर रायल्टी की दरों में जुलाई, 1975 फरवरी, 1981 , अगस्त 1991, अक्तूबर, 1994 तथा अगस्त, 2002 को संशोधन किए गए थे । 12.2.81, 1.8.91, 11.10.94 को निर्धारित कोयला रायल्टी दरों और 16.8.2002 को निर्धारित विद्यमान कोयला दरों की तुलनात्मक सारणी नीचे दी गयी है :-

(रू. प्रति टन)

कोयला समूह	**12.2.81 से प्रभावी कोयला रायल्टी दरें**	**1.8.91 से प्रभावी कोयला रायल्टी दरें**	**11.10.94 से प्रभावी कोयला रायल्टी दरें**	**16.8.02 से प्रभावी कोयला रायल्टी दरें**
समूह - 1 कोकिंग कोयला एस.जी.- I, II डब्ल्यू.जी.- I	7.00	150.00	195.00	250.00
समूह - II कोकिग कोयला डब्ल्यू. जी - II III नॉन कोकिंग ए.बी. सेमी कोकिंग ग्रेड - I सेमी कोकिंग ग्रेड - II	6.50	120.00	135.00	165.00
समूह - III कोकिंग कोयला डब्ल्यू.जी.- IV नॉन-कोकिंग - सी	5.50	75.00	95.00	115.00
समूह - IV नॉन-कोकिंग डी.,ई.	4.30	45.00	70.00	85.00
समूह -V	2.50	25.00	50.00	65.00

नॉन-कोकिंग एफ.,जी.				
समूह -VI आंध्र प्रदेश में उत्पादित कोयला	5.00	70.00	75.00	90.00

(1981 की कोयला रायल्टी दरें पश्चिम बंगाल राज्य पर अभी भी, इस आधार पर जारी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोयले पर उपकर लगाना जारी रखा है, जिसे अन्य राज्य सरकारों द्वारा हटा लिया गया है ।)

रायल्टी दरों को निर्धारित करने की कार्यप्रणाली

2.44 कोयला/लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों के निर्धारण के लिए कोयला विभाग अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन करता है । अध्ययन दल सभी संबंधितों अर्थात उत्पादक राज्यों, उपभोक्ता राज्यों और विद्युत लौह तथा इस्पात सीमेंट आदि जैसे उपभोक्ता क्षेत्र के साथ विचार-विमर्श करता है और उनके विचार प्राप्त करता है । संभी संबंधितों के मतों तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन दल अपना मत मंत्रालय को प्रस्तुत करता है । सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात मंत्रालय सरकार (सी.सी.ई.ए.) के निर्णय के लिए एक प्रस्ताव पेश करता है । तत्पश्चात दिए गए निर्णय को अधिसूचित किया जाता है और रायल्टी की नई दरें ऐसी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होती हैं । उपर्युक्त प्रक्रिया सोद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी है तथा इसने अच्छा काम किया है ।

रायल्टी पर 1997 के अध्ययन दल की सिफारिशें

2.45 एम.एम.आर.डी. अधिनियम की धारा 9(3) केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज के संबंध में, ऐसी तारीख से, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा रायल्टी की दरों में वृद्धि करने या कमी करने का अधिकार प्रदत्त करती है । अधिनियम की धारा 9(3) का परन्तुक किसी भी खनिज के संबंध में तीन वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक रायल्टी दर बढ़ाने से केन्द्र सरकार को रोकता है । इस प्रकार, प्रत्येक तीन वर्ष में रायल्टी दरें संशोधित करने की कोई अनिवार्यता नहीं है । केन्द्र सरकार के पास रायल्टी दरों को यथावत रखने का विकल्प है जैसा कि 1981-1991 के दौरान किया गया । अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 28-1-1997 को एक अध्ययन दल का गठन किया गया ताकि वे कोयले की रायल्टी दरों के संशोधन से संबंधित सभी पक्षों पर विचार कर सके और सरकार को सिफारिश कर सकें । अध्ययन दल ने यह सिफारिश की कि रायल्टी दरों को मूल्यानुसार आधार अर्थात समय-समय पर यथा निर्धारित प्रतिटन कोयले के आधार मूल्य के प्रतिशत के तौर पर अपनाया जाए और कोयला रायल्टी दरों को निर्धारित करने के उद्देश्य से कोयले के विभिन्न समूहों को दो भागों में विभाजित किया जाए । तथापि, 1997 के अध्ययन दल की सिफारिशों को कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया ।

रायल्टी पर 2000 के अध्ययन दल की सिफारिशें

2.46 कोयला उत्पादक राज्यों द्वारा की जा रही लगातार माँग के कारण कोयले पर रायल्टी के संशोधन के मामले पर विचार करने के लिए अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति जुलाई, 2000 में गठित की गई । समिति ने दिसम्बर, 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कोयले पर रायल्टी दरों के निर्धारण के लिए मूल्यानुसार दरों की अपेक्षा टनेज आधार पर अपनाने तथा कोयले के सभी ग्रेडों की रायल्टी दरों में वृद्धि की सिफारिश की । तथापि, यह वृद्धि सीमान्तक ही रही है ।

1997-98 में कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन न किए जाने के कारण

2.47 कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन न किए जाने के कारण निम्नानुसार हैं :-

(i) कोयला कंपनियों को औसतन कोयले की अवतरित लागत का लगभग 40-45 % ही प्राप्त होता है । इस मूल्य का बड़ा अंश रेल भाड़े की लागत और रायल्टी , उत्पाद शुल्क, उपकर तथा बिक्री कर जैसी विभिन्न उदग्राहियों के खाते में जाता है । परिणामतः कई स्थानों पर भारतीय कोयला महंगा सिद्ध हो रहा है और इसके फलस्वरूप कोयले के आयात में तीव्र वृद्धि हो रही है ।

(ii) इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत आदि जैसे प्रमुख, कोयला उपभोक्ता क्षेत्र मंदी के दौर से गुजर रहे हैं । इस स्तर पर कोयले की रायल्टी में किसी भी वृद्धि से विद्युत क्षेत्र, इस्पात क्षेत्र और सबसे महत्वपूर्ण तौर पर कोयला क्षेत्र के लिए संकट और भी गहरा जाएगा ।

(iii) आयातित कोयले पर रायल्टी और रेत भराई, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर जैसे अन्य सरकारी कर नहीं लगाए जाते हैं । परिणामस्वरूप, घरेलू कोयला देश के भीतर मंहगा साबित हो रहा है । कोयला रायल्टी दरों में कोई भी वृद्धि कोयला उपभोक्ताओं को अधिक कोयला आयातों के लिए प्रेरित करेगी ।

(iv) राज्य विद्युत बोर्ड, विशेषकर विद्युत सुधार के संदर्भ में निर्वाह करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ।

(v) विद्यमान कोयला रायल्टी दरें भारतीय कोयला विशेषकर ई.सी.एल., सी.सी.एल.,सी.सी.एल. तथा बी.सी.सी.एल., जो गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही हैं, के कोयला प्रेषणों की विपणन क्षमता को पहले से ही प्रभावित कर रही है ।

अध्याय -3

वित्तीय आवश्यकताएं (बजट)

बजट परिव्यय

3.1 कोयला विभाग से सम्बद्ध 2004-2005 की अनुदान मांगों के लिए निम्नलिखित प्रावधानों की मांग की गई है तथा उन्हें उक्त अनुदानों की मांगों में शामिल किया गया है : -

(करोड़ रू. में)

	योजनागत		गैर-योजनागत		जोड़	
	सकल	**निवल**	**सकल**	**निवल**	**सकल**	**निवल**
राजस्व भाग (स्वीकृत)	223.32	223.32	200.00	200.00	423.32	423.32
पूंजीगत भाग(स्वीकृत)	0.00	0.00	25.00	-	25.00	0.00
जोड़	**223.32**	**223.32**	**225.00**	**200.00**	**448.32**	**423.32**

बजट परिव्यय अवलोकनार्थ सारणी - 3.1 में प्रदर्शित किया गया है ।

योजनागत परिव्यय

3.2 विभाग का पूंजीगत परिव्यय अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों अर्थात् नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0, कोल इंडिया लि0 और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि0 की नई खनन परियोजनाओं में योजनागत निवेश किए जाने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए है । कंपनियों के योजनागत परिव्यय अब अधिकांशतः उनके आंतरिक संसाधनों अथवा अतिरिक्त बजट संसाधनों के माध्यम से वित्त पोषित किए जा रहे हैं । बजट सहायता परिव्यय तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों कंपनियों के योजनागत परिव्यय के वित्त-पोषण के स्रोत सारणी - 3.2 में दिए गए हैं ।

3.3 इसके अलावा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, क्षेत्रीय अन्वेषण, पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण, विस्तृत ड्रिलिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना की स्कीमों के लिए भी राजस्व योजना परिव्यय के अंतर्गत प्रावधान किया जाता है ।

3.4 भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम (यू.के.), आस्ट्रेलिया, रूस, बेलारूस, चेक गणराज्य और चीन से तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग प्राप्त कर रहा है । बहुपक्षीय अभिकरणों, जैसे विश्व-बैंक से भी सहायता प्राप्त की जाती है । बाह्य ऋण, जो पहले बजट के माध्यम से प्राप्त होता था, अब अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को विदेशी अभिकरणों से सीधे ही उपलब्ध हो रहा है ।

गैर-योजनागत परिव्यय

3.5 कोयला विभाग का अधिकांश गैर-योजनागत परिव्यय ऐसी योजनाओं के लिए है, जो कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए उत्पाद शुल्क से वित्त-पोषित की जाती है, अतः उन्हें स्व वित्त-पोषित कहा जा सकता है (79.56 %) । कोयला क्षेत्रों में संरक्षण तथा सुरक्षात्मक उपायों और सड़कों, रेलवे तथा परिवहन ढांचा का विकास किए जाने के लिए आंशिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोयला कंपनियों को सब्सिडी इन अधिप्राप्तियों से वित्त-पोषित की जाती है । गैर-योजनागत परिव्यय का एक अन्य मुख्य भाग (15.73 %) कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948, कोयला खान पेंशन योजना 1998 तथा कोयला खान जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976 में अंशदान के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार की सांविधिक देनदारियों को पूरा करने के लिए होता है । गैर-योजनागत बजट की केवल 4.71% राशि सचिवालय व्यय को पूरा करने और कोयला नियंत्रक तथा भुगतान आयुक्त, कोलकाता के कार्यालयो के लिए रखी गई है ।

कोयला विभाग की अधिप्राप्तियां

3.6 इस विभाग की अधिप्राप्तियां काफी मात्रा में हैं और ये कुल बजट व्यय से अधिक है। इनमें मुख्यतः कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए उत्पाद शुल्क (उपकर) और कोल इंडिया लि0, तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि0 को दिए गए ऋणों की किश्तों का प्रतिसंदाय तथा ऋण पर ब्याज की अदायगी शामिल हैं ।

वार्षिक योजना 2004-2005

3.7 सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों अर्थात् को.इं.लि., सिं.को.कं.लि. और ने.लि.का.के लिए वर्ष 2004-2005 हेतु वार्षिक योजनागत परिव्यय जोकि पूर्णतः पूंजीगत भाग में है और राजस्व भाग में योजनाओं के लिए वर्ष 2004-2005 के लिए वार्षिक योजनागत परिव्यय को नीचे तालिका में दर्शाया गया है : -

(करोड़ रू. में)

कंपनी/योजना	2003-04 ब.अनु.	2003-04 सं.अनु.	2004-05 ब.अनु.
पूंजीगत भाग			
सी.आई.एल.	2240.00	1846.00	2310.00
एस.सी.सी.एल.	340.00	205.00	325.00
एन.एल.सी.(कोयला)	176.95	177.62	237.63
एन.एल.सी.(विद्युत)	278.45	136.63	243.07
एन.एल.सी.(कुल)	455.40	314.25	480.70
जोड़	**3035.40**	**2365.25**	**3115.70**
राजस्व भाग			
पी.एस.यू. में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	138.44	0.00	103.50
क्षेत्रीय अन्वेषण	56.10	85.18	51.84
पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण	27.56	10.92	18.22
सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	4.50
अनुसंधान एवं विकास	22.48	10.04	9.88
विस्तृत ड्रिलिंग	12.52	15.06	12.83
कोयला नियंत्रक	0.21	0.21	0.22
पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु एकमुश्त प्रावधान	28.59	28.59	22.33
जोड़	**285.90**	**150.00**	**223.32**
कुल जोड़	**3321.30**	**2515.25**	**3339.02**

3.8 सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों की वार्षिक योजना 2004-2005 का स्रोतवार वित्त-पोषण सारणी-3.2 में दिया गया है । योजनागत परिव्यय का ब्यौरा सम्बद्ध पी.एस.यू. से संबंधित अध्यायों में दिया गया है । 100 करोड़ रू. तथा इससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा अध्याय - 4 में दिया गया है ।

सारणी - 3.1
बजट - एक दृष्टि में

(करोड़ रू. में)

	मुख्य शीर्ष	2003-04 ब.अनु.			2003-04 सं.अनु.			2004-05 ब.अनु.		
		योजना	गैर-योजना	जोड़	योजना	गैर-योजना	जोड़	योजना	गैर-योजना	जोड़
राजस्व भाग										
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	**3451**	**0.00**	**6.28**	**6.28**	**0.00**	**6.01**	**6.01**	**4.50**	**6.77**	11.27
श्रम और रोजगार										
2. कोयला खान श्रमिक कल्याण	**2230**	**0.00**	**28.23**	**28.23**	**0.00**	**28.23**	**28.23**	**0.00**	**31.46**	**31.46**
कोयला और लिग्नाइट	**2803**									
3. कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा		**0.00**	**64.00**	**64.00**	**0.00**	**64.00**	**64.00**	**0.00**	**90.00**	**90.00**
4. कोयला खान क्षेत्रों में परिवहन संबंधी आधारभूत ढांचे का विकास		**0.00**	**50.94**	**50.94**	**0.00**	**50.94**	**50.94**	**0.00**	**69.12**	**69.12**
5. सार्व. क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान		**138.44**	**0.00**	**138.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103.50**	**0.00**	**103.50**
6. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम		**22.48**	**0.00**	**22.48**	**10.04**	**0.00**	**10.04**	**9.88**	**0.00**	**9.88**
7. क्षेत्रीय अन्वेषण		**56.10**	**0.00**	**56.10**	**85.18**	**0.00**	**85.18**	**51.84**	**0.00**	**51.84**

सारणी - 3.1 (जारी)
बजट - एक दृष्टि में

(करोड़ रू. में)

8. विस्तृत ड्रिलिंग		**12.52**	**0.00**	**12.52**	**15.06**	**0.00**	**15.06**	**12.83**	**0.00**	**12.83**
9. पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण		**27.56**	**0.00**	**27.56**	**10.92**	**0.00**	**10.92**	**18.22**	**0.00**	**18.22**
10. कोयला नियंत्रक		**0.21**	**2.27**	**2.48**	**0.21**	**2.19**	**2.40**	**0.22**	**2.35**	**2.57**
11. भुगतान आयुक्त		**0.00**	**2.28**	**2.28**	**0.00**	**0.29**	**0.29**	**0.00**	**0.30**	**0.30**
12.पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु एकमुश्त प्रावधान		**2552**	**28.59**	**0.00**	**28.59**	**28.59**	**0.00**	**28.59**	**22.33**	**0.00**
जोड़ (कोयला और लिग्नाइट)		**285.90**	**117.49**	**403.39**	**121.41**	**117.42**	**238.83**	**196.49**	**161.77**	**358.26**
जोड़ (राजस्व भाग)		285.90	152.00	437.90	150.00	151.66	301.66	223.32	200.00	423.32
पूंजीगत भाग										
1. कोल इंडिया लि0 -निवेश	**4803**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ऋण और अग्रिम	**6803**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 क) खनन - निवेश	**4803**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
- ऋण तथा अग्रिम	**6803**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख) विद्युत - निवेश	**4801**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
- ऋण तथा अग्रिम	**6801**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

सारणी - 3.1 (जारी)
बजट - एक दृष्टि में

(करोड़ रू. में)

3. कोयलाधारी क्षेत्रों का अधिग्रहण		**0.00**	**25.00**	**25.00**	**0.00**	**25.00**	**25.00**	**0.00**	**25.00**	**25.00**
घटाएं - सी.बी.ए. निधि से पूरा किया गया व्यय		**0.00**	**25.00**	**25.00**	**0.00**	**25.00**	**25.00**	**0.00**	**25.00**	**25.00**
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु एकमुश्त प्रावधान	**4552**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल पूंजीगत भाग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल जोड़ (पूंजीगत तथा राजस्व भाग) (निवल प्राप्तियाँ)		285.90	152.00	437.90	150.00	151.66	301.66	223.32	200.00	423.32

सारणी - 3.2

स्रोत-वार/कंपनी-वार वित्त पोषण पद्धति

(करोड़ रू. में)

कंपनी का नाम	आई.आर.	बांड्स	आपूर्तिकर्त्ता का उधार/ ई.सी.बी.	अन्य ए.आर.एम.	कुल आई.ई.बी.आर.	सकल बजट सहायता	कुल परिव्यय	बजट के माध्यम से बाह्य सहायता	निवल बजट सहायता
कोल इंडिया लि0									
2002-03 (अनंतिम)	779.59	0.00	0.00	399.98	1179.57	12.62	1192.19	12.62	0.00
2003-04 (ब.अनु.)	1702.65	0.00	0.00	537.35	2240.00	0.00	2240.00	0.00	0.00
2003-04 (सं.अनु.)	1408.69	0.00	0.00	437.31	1846.00	0.00	1846.00	0.00	0.00
2004-05 (ब.अनु.)	2165.00	0.00	0.00	145.00	2310.00	0.00	2310.00	0.00	0.00
एस.सी.सी.एल.									
2002-03 (अनंतिम)	139.49	0.0	0.00	0.00	139.49	0.00	139.49	0.00	0.00
2003-04 (ब.अनु.)	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
2003-04 (सं.अनु.)	-45.00	0.00	0.00	250.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00
2004-05 (ब.अनु.)	125.00	0.00	0.00	200.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00

सारणी - 3.2 (जारी)
स्त्रोतवार/कंपनी-वार वित्त पोषण पद्धति

(करोड़ रू. में)

एन.एल.सी.									
2002-03 (अनं.) लिग्नाइट	**254.52**	**0.00**	**4.61**	**0.00**	**259.13**	**0.00**	**259.13**	**0.00**	**0.00**
विद्युत	**132.24**	**0.00**	**43.46**	**0.00**	**175.70**	**0.00**	**175.70**	**0.00**	**0.00**
जोड़	**386.76**	**0.00**	**48.07**	**0.00**	**434.83**	**0.00**	**434.83**	**0.00**	**0.00**
2003-04 (ब.अनु.) लिग्नाइट	**126.95**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**176.95**	**0.00**	**176.95**	**0.00**	**0.00**
विद्युत	**178.45**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**278.45**	**0.00**	**278.45**	**0.00**	**0.00**
जोड़	305.40	0.00	0.00	150.00	455.40	0.00	455.40	0.00	0.00
2003-04 (सं.अनु.) लिग्नाइट	**168.44**	**0.00**	**9.18**	**0.00**	**177.62**	**0.00**	**177.62**	**0.00**	**0.00**
विद्युत	**89.04**	**0.00**	**47.59**	**0.00**	**136.63**	**0.00**	**136.63**	**0.00**	**0.00**
जोड़	257.48	0.00	56.77	0.00	314.25	0.00	314.25	0.00	0.00
2004-05 (ब.अनु.) लिग्नाइट	**160.04**	**52.59**	**25.00**	**0.00**	**237.63**	**0.00**	**237.63**	**0.00**	**0.00**
विद्युत	**120.66**	**97.41**	**25.00**	**0.00**	**243.07**	**0.00**	**243.07**	**0.00**	**0.00**
जोड़	280.70	150.00	50.00	0.00	480.70	0.00	480.70	0.00	0.00

सारणी - 3.2 (जारी)

स्रोतवार/कंपनी-वार वित्त पोषण पद्धति

(करोड़ रू. में)

जोड़									
2002-03 (अनंतिम)	**1305.84**	**0.00**	**48.07**	**399.98**	**1753.89**	**12.62**	**1766.51**	**12.62**	**0.00**
2003-04 (ब.अनु.)	**2298.05**	**0.00**	**0.00**	**737.35**	**3035.40**	**0.00**	**3035.40**	**0.00**	**0.00**
2003-04 (सं.अनु.)	**1621.17**	**0.00**	**56.77**	**687.31**	**2365.25**	**0.00**	**2365.25**	**0.00**	**0.00**
2004-05 (ब.अनु.)	**2570.70**	**150.00**	**50.00**	**345.00**	**3115.70**	**0.00**	**3115.70**	**0.00**	**0.00**

अध्याय - 4

प्रमुख परियोजनाओं का कार्यान्वयन

4.1 सरकार के निर्णय के अनुसार तथा दिनांक 29.12.1997 को को.इं.लि. बोर्ड द्वारा अनुमोदित शक्तियों के संशोधित प्रत्यायोजन में 100 करोड़ रू. तक की लागत की कोयला परियोजनाएं कोल इंडिया लि0 के निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जा सकती हैं और 50 करोड़ रू. तक की कोयला परियोजनाएं ना.को.लि., वे.को.लि., सा.ई.को.लि. तथा म.को.लि. के निदेशक बोर्डों द्वारा स्वीकृत की जा सकती हैं, बशर्ते कि परियोजनाएं अनुमोदित पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं में शामिल हों और परिव्यय की व्यवस्था की जाए और यदि अपेक्षित निधियां कंपनी के आंतरिक स्रोतों से प्राप्त की जा सकती हों और ऐसी योजनाओं पर व्यय किया जाना हो, जो सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत बजट में शामिल हों । किन्तु ई.को.लि., भा.को.को.लि., से.को.लि. तथा सी.एम.पी.डी.आई.एल. के निदेशक बोर्ड केवल 20 करोड़ रू. तक की कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति दे सकते हैं ।

4.2 100 करोड़ रू. तथा इससे अधिक लागत की परियोजनाओं पर कोयला विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा मासिक फ्लैश रिपोर्टों के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है । 20 करोड़ रू. तथा इससे ऊपर की लागत की अन्य परियोजनाओं पर भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त तिमाही परियोजना मानीटरिंग रिपोर्टों के आधार पर कोयला विभाग में निगरानी रखी जाती है । प्रत्येक परियोजना की इन रिपोर्टों और आपवादिक रिपोर्टों के आधार पर समीक्षा की जाती है जिसमें ऐसे अपेक्षित कदम शामिल किए जाते हैं जिनसे परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित किया जा सके । कार्यवाही के क्षेत्रों का उल्लेख किया जाता है और जहां आवश्यक हो, उन्हें राज्य सरकारों सहित संबंधित अभिकरणों के नोटिस में लाया जाता है। परियोजनाओं के तेजी से पूरा किए जाने, विलंब कम किए जाने और लागत में कमी किए जाने पर विशेष बल दिया जाता है। ऐसी समीक्षा के दौरान संशोधित लागत अनुमानों के अनुमोदन तथा निष्पादन के लिए अपेक्षित परियोजनाओं को भी विनिर्दिष्ट किया जाता है और कोयला कंपनियों को सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संशोधित लागत अनुमान तैयार करने की सलाह दी जाती है। संशोधित लागत अनुमानों का मूल्यांकन, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के मद्देनजर समयावधि के बढ़ जाने और लागत में वृद्धि हो जाने की बात को ध्यान में रखकर किया जाता है । वर्तमान में 100 करोड़ रू. तथा इससे अधिक लागत वाली सभी चालू

परियोजनाओं की सचिव(कोयला) तथा योजना आयोग द्वारा तिमाही आधार पर मानीटरिंग /समीक्षा की जाती है ।

4.3 30 नवम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार, 100 करोड़ रू. तथा इससे ऊपर की लागत की कोल इंडिया लि0 द्वारा कार्यान्वित की जा रही चालू परियोजनाओं का कंपनीवार तथा परियोजना-वार ब्यौरा सारणी 4.1 में दिया गया है । एन.एल.सी. और एस.सी.सी.एल. द्वारा वर्तमान में 100 करोड़ रू. तथा उससे अधिक लागत वाली कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है । कंपनी-वार संक्षिप्त स्थिति नीचे दर्शायी गई है : -

100 करोड़ रू. तथा इससे ऊपर की लागत की परियोजनाएं

कंपनी का नाम	100 करोड़ रू. तथा इससे ऊपर की लागत वाली परियोजनाओं की संख्या	कुल क्षमता (मिलियन टन)	स्वीकृत लागत (करोड़ रू. में)
सी.आई.एल.			
(खनन)	**6**	**26.08**	**4001.88**

विश्व बैंक ऋण की स्थिति

वर्ष 2002-03 के दौरान कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी.एस.आर.पी.) के अंतर्गत 8.59 मिलियन अमरीकी डालर ऋण का उपयोग किया गया है तथा 31 मार्च,2003 तक सी.एस.आर.पी. ऋण का कुल संचयी उपयोग 522.60 मिलियन अमरीकी डालर की कुल संशोधित ऋण सुविधा की तुलना में 482.13 मिलियन अमरीकी डालर रहा है। यद्यपि आई.बी.आर.डी. तथा जे.बी.आई.सी. द्वारा 31 मार्च, 2003 तक 503.12 मिलियन अमरीकी डालर का कुल ऋण वितरित किया गया । लेकिन आई.बी.आर.डी. तथा जे.बी.आई.सी. के ऋण के अप्रतिबद्ध भाग को रद्द किए जाने के बाद 20.99 अमरीकी डालर की राशि का पूर्व भुगतान कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2002-03 के दौरान, जे.बी.आई.सी. के ऋण के पुनर्भुगतान की पहली किस्त के रूप में 6.73 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का भुगतान किया गया है । अतः, 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, आई.बी.आर.डी. और जे.बी.आई.सी. दोनों की बकाया ऋण की राशि 475.40 मिलियन अमरीकी डालर बनती है ।

वर्ष 2002 - 03 के दौरान पर्यावरणीय कार्रवाई योजना (ई.ए.पी.), पुनर्वास कार्रवाई योजना (आर.ए.पी.),स्थानीय लोगों के विकास की योजना (आई.पी.डी.पी.) तथा तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के सभी प्रमुख कार्यकलापों को आई.डी.ए. द्वारा वित्तपोषित कोयला क्षेत्र पर्यावरण व सामाजिक न्यूनीकरण परियोजना (सी.एस.ई.एस.एम.पी.) के अंतर्गत निर्धारित समय पर कार्यान्वित किया जा रहा है ।

2002-03 की अवधि में सी.एस.ई.एस.एम.पी. के लिए वास्तविक ऋण उपयोग 12.62 करोड़ रू. रहा है तथा कुल संचयी उपयोग 177.69 करोड़ रू. रहा है जोकि 39.25 मि. अमरीकी डालर के बराबर है । 2003-04 के ब.अनु. में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि सी.एस.ई.एस.एम.पी. की अंतिम तारीख 30.6.2002 थी ।

सी.एस.आर.पी. तथा सी.एस.ई.एस.एम.पी. में संबंध के 2001-02, ब.अ. 2002-03, सं.अ. 2003-04 की अवधि के लिए वास्तविक आंकड़े निम्नानुसार है -

<u>ऋण उपयोग समय-सूची</u>

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विवरण	2001-02 वास्तविक	ब.अ. 2002-03	सं.अ. 2002-03	ब.अ. 2003-04
1.	**सी.एस.आर.पी.**	**98.15**	**26.67**	**200.91**	**12.35**
2.	**सी.एस.ई.एस. एम.पी.**	**57.13**	**13.93**	**12.91**	**शून्य**

टिप्पणीः ऊपर उल्लिखित तालिका में वर्ष 2002-2003 के दौरान सी.एस.आर.पी. ऋण के वास्तविक उपयोग में आई.बी.आर.डी. तथा जे.बी.आई.सी. ऋण के संबंध में क्रमशः यू.एस.डी. तथा जे.पी.वाई. में वर्ष के दौरान किए गए कार्य शामिल है ।

सारणी- 4.1
100 करोड़ रूपए तथा इससे अधिक लागत की नई / चालू परियोजनाएं : कोल इंडिया लि0

क्र. सं.	परियोजना का नाम कंपनी और परियोजना स्थल का नाम	क्षमता मि.ट. प्रतिवर्ष में	स्वीकृत लागत प्रत्याशित लागत (करोड़ रू. में)	स्वीकृति का माह और वर्ष पूर्णता की निर्धारित तारीख पूर्णता की प्रत्याशित तिथि	कोयले का ग्रेड लिंकेज	वास्त-विक उत्पादन मि.ट. में 2002-03	ब.अनु. ---------- सं.अनु. 2003-04 (करोड़ रू. में)	मार्च, 2003 तक व्यय अक्तू.,03 (करोड़ रू. में)	ब.अनु. 2004-05 (करोड़ रू. में)	परियोजना की स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	**झांजरा फेस -I** **भू.ग., आरसीई** **ईसीएल,बर्द्धवान (पं.बंगाल)** **(समय से पूर्व बंद कर दिया गया)**	**2.00** **------** **1.03*** ***अनुमोदना के अधीन डिरेटिड पी.आर. के अनुसार**	**03.96** **--------** **386.44**	**अग.,95** **मार्च,98** **मार्च,04**	**सी** **--------** **बास्केट लिंकेज**	**0.78**	**9.33** **------** **0.70**	**364.09** **-------** **364.09**	**2.75**	**निधियों की कमी, लांगवाल तथा विकसित उपकरण के पुराने होने, लागत की अनुपलब्धता,निषिद्ध आयातित पुर्जो, डी.जी.एम.एस. द्वारा आर- VI सीम में उच्चतर सघन सपोर्ट की आवश्यकता तथा पैनल ए.डब्ल्यू.आई. में आग के कारण परियोजना प्रभावित हुई है । परियोजना को 386.44 करोड़ रू. के निवेश पर (अग्रिम कार्रवाई हेतु 15.54 करोड़ रू. सहित) 1.03 मि.ट.प्रतिवर्ष की डीरेटिड क्षमता पर समय से पूर्व बंद किया जा रहा है । मसौदा पी.आई.बी. नोट 18.4.2003 को परिचालित किया गया ।**

2.	पुटकी बलिहारी भू.ग. बी.सी.सी.एल., धनबाद (झारखंड) (आर.पी.आर.)	**0.68**	**182.60**	अप्रै.,03 मार्च,03 मार्च,04	एस- II तथा डब्लू- IV पुटकी वाशरी और इस्पात संयंत्र	**0.24**	**4.69** **4.69**	**170.93** **171.57**	**2.00**	प्रतिकूल छत स्थितियों के परिणामस्वरूप अक्सर छत ढह जाने तथा जल समस्या के कारण, परियोजना 2003-04 के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रही है । वर्ष 2003-04 के लिए निर्धारित लक्ष्य 0.58 मि.ट. है । सितम्बर,2003 तक प्राप्त उत्पादन 0.10 मि.ट. है । बी.सी.सी.एल. ने 2003-04 में उत्पादन के वांछित स्तर को प्राप्त करने में आने वाले अवरोधों और उन अवरोधों को दूर करने के उपायों को दर्शाने वाला एक प्रस्ताव तैयार किया है । परियोजना के मार्च, 2004 में पूरा होने की संभावना है ।
3.	झारखंड ओ.सी. ----------------- सी.सी.एल., हजारीबाग (झारखंड)	**1.00**	**110.89**	अक्तू.98 मार्च, 04	डब्ल्यू- IV केडिया वाशरी	**0.60**	**36.59** -------- **12.82**	**44.70** -------- **52.17**	**20.00**	96.28 हैक्टेयर भूमि के लिए चरण -I की वनीय स्वीकृति की सिफारिश एफ.ए.सी.द्वारा की गई है । औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा है । कार्यशाला शैड, धुलाई प्लेटफार्म आदि का निर्माण पूरा हो गया है । डोजर मरम्मत शैड, परियोजना कार्यालय आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है । 2003-04 के लिए निर्धारित लक्ष्य 0.80 मि.ट. है । सितम्बर, 2003 तक 0.32 मि.ट. कोयले और 0.80 एम.एम.3

										ऊपरी मलबे का उत्पादन हो चुका है । परियोजना के मार्च, 04 तक पूरा होने की संभावना है ।
4.	निगाही विस्तार ओ.सी. --------- एन.सी.एल., सीधी (छत्तीसगढ़)	10.00	1846.49	जुला.97 मार्च,04	सी.डी. एण्ड ई. -------- विंध्या-चल एस.टी.पी.एस.	7.50	287.39 ------- 250.11	1279.41 --------- 1378.24	154.62	निविदाकर्त्ताओं से सी.एच.पी. चरण -II के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों में पाई गई विसंगतियों के कारण, निविदा समिति ने निविदा को रद्द किए जाने की सिफारिश की और इसे एन.सी.एल. बोर्ड की 23.8.2003 को हुई बैठक में अनुमोदित कर दिया गया । पुनः निविदाएं आमंत्रित की जा रही है । एन.आई.टी. तैयार किए जाने के अंतर्गत है । अंतरिम सी.एच.पी. की कार्य संविदा 19.11.2002 को दी गई है और इसके मार्च,04 तक पूरा होने की संभावना है । इससे कोयले का प्रेषण सुविधाजनक होगा। शेष हैम 120 ट. -डम्पर्स (11 सं.) अधिप्राप्ति की स्थिति - 10 चालू किए गए । एक ही स्थापना की जा रही है । (85 ट. डम्पर संख्या 22) - 2 चालू किए गए । विद्यमान परियोजनाओं हेतु पुराने उत्पादकता मानदंडों के अनुपालन के लिए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 20 डम्परों की अधिप्राप्ति के लिए अनुमोदन पर कार्य किया जा रहा है । चार 10 क्यूबिक मिलियन के शावेल) - 2 के लिए आर्डर दे दिए गए हैं । एक के लिए एन.सी.एल. द्वारा आर्डर दिया जाना है । चौथे शावेल की अधिप्राप्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की

										कार्रवाई की जा रही है । (311 एम.एम. की 2 ड्रिलें) - एक का आर्डर दे दिया गया है । जुलाई, 04 तक प्राप्ति की संभावना है । दूसरे ड्रिल के लिए आर्डर दिया जाना है । 2003-04 के लिए निर्धारित लक्ष्य 9.0 मि.ट. है। अक्तूबर, 2003 तक 4.95 मि.ट. कोयले और 19.48 एम.एम.3 ऊपरी मलबे का उत्पादन किया जा चुका है । परियोजना निर्धारित समय पर पूरी हो जाएगी ।
5.	दुधीचुआ विस्तार ओ.सी. ---------------- एनसीएल, सीधी (छत्तीसगढ़)	10.00	1281.39 आर.सी. ई.	मार्च,01 -------- मार्च,04	सी. एण्ड डी. -------- एन.टी. पी.सी. का डब्ल्यू. आई.पी. एस.	9.25	120.82 -------- 134.65	1099. 68 ------- 1161. 73	68.49	वर्ष 2003-04 हेतु निर्धारित लक्ष्य 10 मि.ट. है । अक्तूबर, 2003 तक 5.026 मि.ट. कोयले और 16.999 एम.एम.3 ऊपरी मलबे का उत्पादन हुआ है। परियोजना के मार्च, 2004 तक पूरा होने की संभावना है ।
6.	बसुन्धरा वेस्ट ओ.सी. ---------------- एम.सी.एल., सुन्दरगढ़, उड़ीसा	2.40	176.55	अक्तूबर, 03 -------- मार्च,08	टी.पी. एस. का डी. से ई -------	0.00	21.53 ------- 6.75	0.00	38.52	अग्रिम कार्रवाई कार्यान्वयनाधीन है । भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास स्थल के विकास आदि जैसी क्रियाकलाप प्रगति पर है ।

					मेसर्स एम.ए. पी. एल. , हिरमा स्थित					

अध्याय - 5

कोल इंडिया लिमिटेड

उद्देश्य तथा कार्य

5.1 कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) एक धारक कम्पनी है, जिसकी स्थापना 1 नवम्बर, 1975 को इस उद्देश्य से की गई थी कि कोयला उद्योग के क्रियाकलापों का संचालन इस तरह से किया जाए कि अधिक कुशल प्रशासन दिया जा सके और कोयले के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो सके। इस कम्पनी के अंतर्गत 7 उत्पादक सहायक कम्पनियां तथा एक आयोजन एवं डिजाइन कम्पनी है । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की कोयला खानों का धारक कम्पनी द्वारा सीधे प्रबंध किया जाता है । दानकुनी कोयला कॉम्पलेक्स जो पश्चिम बंगाल में कोयला कार्बनीकरण संयंत्र है, भी धारक कम्पनी के सीधे नियंत्रण में है । सहायक कम्पनियां, अपने-अपने संस्था अन्तर्नियमों में परिभाषित अपनी शक्तियों सहित सभी प्रचालन मामलों के लिए उत्तरदायी हैं । धारक कम्पनी कोल इण्डिया लिमिटेड मुख्यतः अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए निगमित उद्देश्य एवं कार्य-नीति निर्धारण के लिए उत्तरदायी है और यह लक्ष्यों को निर्धारित करने, कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखने, विपणन, संसाधन जुटाने और महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों जैसे - विपणन, खरीद, पर्यावरण प्रबंध, वस्तु - सूची नियंत्रण आदि के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करती है ।

5.2 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, कोल इण्डिया लिमिटेड की प्राधिकृत पूंजी 8904.18 करोड़ रुपये थी जिसमें 8000 करोड़ रुपये इक्विटी शेयर और 904.18 करोड़ रुपये के 10% विमोच्य अधिमानी शेयर हैं । प्रदत्त पूंजी 7220.54 करोड़ रुपये है जिसमें से 904.18 करोड़ रुपये की ऋण राशि को 10 प्रतिशत विमोच्य अधिमानी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया है । भारत सरकार कोल इण्डिया लिमिटेड में ऋण के रूप में अथवा इक्विटी के रूप में निवेश करती है । कम्पनी की इक्विटी तथा ऋण पूंजी को कोल इण्डिया लिमिटेड की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियों की इक्विटी अथवा ऋण में निवेशित किया जाता है।

योजना परिव्यय

5.3 योजना आयोग के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार 9वीं योजनावधि में सी.आई.एल. के योजनागत परिव्यय के लिए 12,000 करोड़ रुपये की राशि की

सिफारिश की गई थी। इस लक्ष्य की तुलना में, नौवीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक योजनागत व्यय 8632.19 करोड़ रू था। वर्ष 2003-04 (ब.अनु.) तथा (सं.अनु.) का बजटीय परिव्यय क्रमशः 2240 करोड़ रू तथा 1846 करोड़ रू था। वर्ष 2003-04 में योजनागत परिव्यय में कमी अदालती मामलों के कारण हैम की आधिप्राप्ति, मानदण्डों में संशोधन के कारण नई परियोजनाओं को आरम्भ करने में देरी तथा कुछ सहायक कंपनियों में निधियों की कमी के कारण हुई। वर्ष 2004-05 (ब.अनु.) का योजनागत परिव्यय 2310 करोड़ रू है। योजना आयोग द्वारा सी.आई.एल. हेतु (अनुमोदित) योजनागत परिव्यय 14310 करोड़ रू है। पूंजीगत परिव्यय और वित्त-पोषण योजना का वर्ष-वार तथा सहायक कंपनी वार ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

योजनागत निधियों का सहायक कम्पनीवार निवेश

(करोड़ रु. में)

कम्पनी	1997-02 नौवी योजना	2001-02 वास्तविक	2002-03 वास्तविक	2003-04 ब.अ.	2003-04 सं.अ.	2004-05 ब. अनुमान	दसवीं योजना ब.अनु.
ई.सी.एल.	650.10	118.70	131.45	190.00	140.00	200.00	1460.00
बी.सी.सी.एल.	555.40	59.84	55.39	200.00	150.00	200.00	1300.00
सी.सी.एल.	973.93	136.15	131.60	235.00	235.00	280.00	1250.00
एन.सी.एल.	2121.43	226.76	432.08	725.00	616.00	635.00	2750.00
डब्ल्यू.सी.एल.	1307.73	206.64	145.01	250.00	180.00	200.00	1435.00
एस.ई.सी.एल.	1726.14	220.06	153.34	300.00	250.00	400.00	3520.00
एम.सी.एल.	1233.70	175.79	139.83	325.00	250.00	350.00	2500.00
सी.एम.पी. डी.आई.एल	63.76	0.51	0.68	4.00	3.00	4.00	
एनईसी/डीसीसी/ सी.आई.एल./ आई.आई.सी.एम		2.24	2.80	11.00	22.00	41.00	95.00
जोड़	8632.19	1146.69	1192.18	2240.00	1846.00	2310.00	14310.00

वित्त पोषण के स्त्रोत

आंतरिक स्त्रोत बान्ड्स	4219.01	457.95	779.59	1702.65	1408.69	2165.00	804445
आपूर्तिकर्ता का ऋण							6271.67
आई.बी.आर.डी.	2290.09	98.15	85.93	12.35	32.31		
अतिरिक्त संसाधन जुटाना इंटर कारपोरेट/ वाणिज्यिक ऋण	1913.46	533.46	314.05	525.00	405.00	145.00	
अन्य							
जोड़ आईईबीआर	8422.56	1089.56	1179.57	2240.00	1846.00	2310.00	14316.12

बजट द्वारा बाह्य सहायता	199.95	57.13	12.62				15.48
निवल बजटीय सहायता	9.68						
जी.बी.एस.	209.63	57.13	12.62	0.00	0.00	0.00	15.48
उपलब्ध निधि	8632.19	1146.69	1192.19	2240.00	1846.00	2310.00	14331.60
कुल परिव्यय	8832.19	1148.69	1192.19	2240.00	1846.00	2310.00	14310.00

योजनागत निधियों का योजना-वार आवंटन :

5.4 कोल इण्डिया लिमिटेड उत्पादन में वृद्धि, कार्यक्षमता में सुधार, उत्पादन लागत को निम्नतम करके कोयले की मांग को पूरा करने के अपने उद्देश्यों को पूरा किए जाने का प्रयास करता रहा है । इसके साथ-साथ अपने कर्मचारियों को सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सा तथा कल्याणकारी सुविधाएं भी मुहैया कराता रहा है । कम्पनी द्वारा सीमित साधनों की उपलब्धता को देखते हुए एक ओर अल्पावधि उत्पादन की आवश्यकताओं और दूसरी ओर उत्पादन तथा कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के बीच सामंजस्य बनाए रखने का भी प्रयास किया जाता है ।

सहायक कम्पनी-वार तथा/समूह-वार पूंजीगत व्यय और योजनागत परिव्यय नीचे दर्शाया गया है :-

परिव्यय का समूह-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

समूह	**2002-03 वास्तविक**	**2003-04**		**2004-05 ब.अ.**	**दसवीं योजना प्रक्षिप्त**
		ब.अनु.	**सं.अनु.**		
ईस्टर्न कोलफील्डस लि.					
विद्यमान,पूर्ण परियोजनाएं	113.13	150.25	117.11	165.53	780.00
चालू परियोजनाएं					115.00
प्रमुख	6.77	11.98	3.94	5.72	
बोर्ड स्तर	2.22	3.70	4.25	1.60	
कुल चालू परियोजनाएं	8.99	15.68	8.19	7.32	
भविष्य की परियोजनाएं	1.77	13.85	6.00	15.15	515.00
कुल खनन	123.89	179.78	131.30	188.00	1410.00
अन्य गैर - खनन	7.12	6.22	2.70	6.00	31.50
अन्वेषण + पी. और डी. + आर.एण्ड डी.	0.43	4.00	6.00	6.00	18.50
जोड़ (ई.को.लि)	**131.44**	**190.00**	**140.00**	**200.00**	**1460.00**
भारत कोकिंग कोल लि.					
विद्यमान,पूर्ण परियोजनाएं	49.20	141.91	113.56	124.30	720.
चालू परियोजनाएं					30.00

प्रमुख		4.69	4.69	2.00	
बोर्ड स्तर		13.90	5.53	5.15	
कुल चालू परियोजनाएं	0.00	18.59	10.22	7.15	
भविष्य की परियोजनाएं	4.05	20.00	11.02	53.35	420.00
कुल खनन	53.25	180.50	134.80	184.80	1170.00
वाशरी	2.01	10.00	5.00	5.00	60.00
अन्य गैर खनन	0.13	3.00	3.00	3.00	50.00
अन्वेषण + पी. और डी. + आर.एण्ड डी.		6.50	7.20	7.20	20.00
जोड़ (भा.को.को.लि.)	**55.39**	**200.00**	**150.00**	**200.00**	**1300.00**
सेन्ट्रल कोलफील्डस लि0					
विद्यमान,पूर्ण परियोजनाएं	95.77	108.00	163.28	155.50	389.13
चालू परियोजनाएँ					163.80
प्रमुख	3.36	36.59	12.82	20.00	
बोर्ड स्तर	13.18	9.41	17.33	20.00	
कुल चालू परियोजनाएं	16.54	46.00	30.15	40.00	
भविष्य की परियोजनाएं		51.00		40.00	599.23
अग्रिम कार्रवाई परियोजना	0.13	5.00	2.65	6.35	
कुल खनन	112.44	210.00	196.08	241.85	1152.16
वाशरी	3.90	4.00	6.50	7.00	25.00
अन्य गैर-खनन	9.19	6.00	12.42	16.15	37.84
अन्वेषण + पी. एण्ड डी. + आर. एण्ड डी.	6.07	15.00	20.00	15.00	35.00
जोड़ (से.को.लि.)	131.60	235.00	235.00	280.00	1250.00
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0					
विद्यमान ,पूर्ण परियोजनाएं	90.22	201.18	175.75	219.37	774.48
चालू परियोजनाएं					867.03
प्रमुख	330.76	408.21	384.76	223.11	
बोर्ड स्तर		78.90	19.00	2.20	
कुल चालू परियोजनाएं	330.76	487.11	403.76	225.31	
भविष्य की परियोजनाएं				128.75	928.30
अग्रिम कार्रवाई परियोजनाएं	0.71	3.46	1.31	5.40	96.40
कुल खनन	421.69	691.75	580.82	578.83	2666.30
वाशरी/आई.डी. प्लांट		0.31			2.00
अन्य गैर खनन	10.39	23.94	28.18	47.67	41.70

अन्वेषण + पी एण्ड डी + आर.एण्ड डी.		9.00	7.00	8.50	40.00
जोड़ (ना.को.लि.)	**432.08**	**725.00**	**616.00**	**635.00**	**2750.00**
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि0					
विद्यमान, पूर्ण परियोजनाएँ	82.53	135.09	102.07	94.14	507.27
चालू परियोजनाएं					316.44
प्रमुख					
बोर्ड स्तर	30.06	65.18	38.84	67.66	
कुल चालू परियोजनाएं	30.06	65.18	38.84	67.66	
भविष्य की परियोजनाए		2.93	1.02	3.75	463.66
कुल खनन	112.59	203.20	141.93	165.55	1287.37
वाशरी			0.06	0.05	1.02
अन्य गैर-खनन	15.52	26.20	20.01	14.40	86.48
अन्वेषण + पी एण्ड डी + आर. एंड डी.	16.90	20.60	18.00	20.00	60.13
जोड़ (वे.को.लि.)	**145.01**	**250.00**	**180.00**	**200.00**	**1435.00**
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0					
विद्यमान, पूर्ण परियोजनाएँ	89.47	106.36	157.38	175.63	666.63
चालू परियोजनाएं					578.97
प्रमुख					
बोर्ड स्तर	39.63	68.25	33.68	69.86	
कुल चालू परियोजनाएं	39.63	68.25	33.68	69.86	
भविष्य की परियोजनाएं		64.29	0.95	95.51	1935.80
अग्रिम कार्रवाई परियोजनाएं					
कुल खनन	129.10	238.90	192.01	341.00	3181.40
अन्य गैर - खनन	9.24	39.65	36.99	43.00	171.63
अन्वेषण + पी एण्ड डी + आर.एण्ड डी.	15.00	21.45	21.00	16.00	166.97
जोड़ (सा.ई.को.लि.)	153.34	300.00	250.00	400.00	3520.00
महानदी कोलफील्ड्स लि0.					
विद्यमान, पूर्ण परियोजनाएं	72.70	49.11	78.65	66.85	548.96

चालू परियोजनाएं					106.25
प्रमुख					
बोर्ड स्तर	4.54	37.17	52.75	84.45	
कुल चालू परियोजनाएं	4.54	37.17	52.75	84.45	
भविष्य की परियोजनाएं	12.54	193.32	65.28	158.20	1314.64
अग्रिम कार्रवाई परियोजनाएं		1.50	0.05	1.50	43.80
कुल खनन	89.78	281.10	196.73	311.00	2013.65
अन्य गैर - खनन	50.05	25.90	37.27	22.00	415.35
अन्वेषण + पी एण्ड डी + आर.एण्ड डी.		18.00	16.00	17.00	71.00
जोड़ (म.को.लि.)	139.83	325.00	250.00	350.00	2500.00
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स					
विद्यमान,पूर्ण परियोजनाएँ	1.86	3.50	2.50	3.50	15.00
चालू परियोजनाएँ					
भविष्य की परियोजनाएँ					27.00
कुल खनन	1.86	3.50	2.50	3.50	42.00
अन्य गैर - खनन	0.40	0.50	0.50	0.50	3.00
जोड़ (एन.ई.सी.)	**2.26**	**4.00**	**3.00**	**4.00**	**45.00**
सी.एम.पी.डी.आई.एल	0.68	4.00	3.00	4.00	20.00
डी.सी.सी./सी.आई.एल मुख्या/आई. आई सी. एम.	0.55	7.00	3.00	5.50	30.00
आर एण्ड डी + ई.सी.एल. अन्वेषण	16.00	31.50			
कोल इंडिया लि.					
विद्यमान, पूर्ण परियोजनाएं	594.88	895.40	910.30	1004.82	4401.47
चालू परियोजनाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	2177.49
प्रमुख	340.89	461.47	406.21	250.43	
बोर्ड स्तर	89.63	276.51	171.38	250.92	
कुल चालू परियोजनाएं		430.52	737.98	577.59	501.75
भावी परियोजनाएं	18.36	345.39	84.27	494.71	6203.63
अग्रिम कार्रवाई परियोजनाएं	0.84	9.96	4.01	13.25	140.29
कुल खनन	1044.60	1988.73	1576.17	2014.53	12922.88
वाशरी	5.91	14.31	11.56	12.05	88.02
अन्य गैर - खनन	102.04	131.41	141.07	152.72	837.50
अन्वेषण + पी. एण्ड	38.40	94.55	95.20	89.70	411.60

डी. + आर.एंड डी.					
अन्य (सी.एम.पी.डी.आई.एल. /सीआईएल./डीसीसी					50.00
आई.आई.सी.एम., ई.सी.एल. अन्वेषण		1.23	11.00	22.00	41.00
जोड़ (को.इं.लि.)	**1192.18**	**2240.00**	**1846.00**	**2310.00**	**14310.00**

कोयले का उत्पादन

5.5 विद्यमान खानों,चालू परियोजानाओं तथा नई परियोजनाओं से कोयला उत्पादन का 2002-2003 वास्तविक 2003-2004 (लक्ष्य तथा प्रत्याशित)और 2004-05 के लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

	2002-03 वास्तविक	**2003-04 ब.अ.**	**2003-04 सं. अ.**	**2004-05 ब.अ.**
विद्यमान	29.13	26.71	29.82	26.19
पूर्ण परियोजनाएं	234.67	226.04	234.94	214.47
चालू परियोजनाएं	26.11	31.65	31.58	41.34
भावी परियोजनाएं	0.78	14.10	3.16	32.00
जोड़	**290.69**	**298.50**	**299.50**	**314.00**

5.6 कम्पनी-वार कोयला उत्पादन नीचे सारणी में दिया गया है :-

(मिलियन टन में)

कम्पनी	**2002-03 वास्तविक**	**2003-04 ब.अ.**	**2003-04 सं. अ.**	**2004-05 ब.अ.**
ई.को.लि.	27.18	29.00	28.00	29.00
भा.को.को.लि.	24.15	27.50	24.00	25.20
से.को.लि.	36.98	35.50	38.50	40.00
ना.को. लि.	45.10	46.50	46.50	47.50
वे.को.लि.	37.82	37.25	37.85	38.00
सा.ई.को.लि.	66.60	69.00	69.00	74.50
म.को.लि.	52.23	53.10	55.00	59.00
ना.ई.को.	0.63	0.65	0.65	0.80
समग्र को.इं.लि	290.69	298.50	299.50	314.00

5.7 2002-03 के दौरान धुले कोयले का 4.62 मि.टन उत्पादन हुआ था। वर्ष 2003-2004 में धुले कोंकिग कोयले का प्रत्याशित उत्पादन 4.73 मिलियन टन है । 2004-2005 में 4.99 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है।

कोयले का उठान तथा पिट-हैड स्टाक :

5.8 कच्चे कोयले का उठान 2001-2002 के दौरान 282.43 मि.टन. और 2002-03 के दौरान 289.22 मि.टन था । मार्च, 2003 के अंत में कोयले का बिक्री योग्य स्टॉक 19.25 मिलियन टन था और मार्च, 2004 के दौरान प्रत्याशित स्टाक 17.90 मि.ट.(अनंतिम) है ।

कोयले के उठान तथा पिट हैड स्टॉक के सहायक कम्पनी-वार आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैः-

कोयले का उठान तथा पिट हेड स्टॉक

(मि.टन.में)

	कोयले का उठान				**कोयला स्टाक (विक्रेय स्टॉक)**		
कम्पनी	**2001-02 वास्तविक**	**2002-03 वास्तविक**	**2003-04 ब.अ.**	**2003-04 सं.अ.**	**2004-05 ब.अनु**	**1.4.2003 की स्थिति के अनुसार (वास्तविक)**	**31.3.04 की स्थिति के अनुसार (अनंतिम)**
ई.को.लि	28.38	27.29	29.00	28.00	29.00	2.33	2.33
भा.को. को.लि.	25.20	22.22	27.50	26.00	25.70	4.14	4.14
से.को.लि	33.30	36.74	36.50	39.00	40.50	3.89	2.89
ना.को. लि .	42.68	44.43	46.50	46.71	47.50	1.22	1.22
वे.को.लि	38.09	38.16	37.50	37.85	38.00	0.77	0.52
सा.ई.को. लि.	60.78	65.10	65.25	66.50	69.00	5.68	5.68
म.को.लि	49.06	51.37	53.10	55.00	59.00	2.52	2.52
ना.ई.को.	0.62	0.64	0.75	0.75	0.85	0.47	0.37
जोड़ को.इं.लि	**282.43**	**289.22**	**299.85**	**303.31**	**315.05**	**19.25**	**17.90**

विक्रेय स्टॉक

(मिलियन टन में)

5.9 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार विक्रेय कोयले का स्टॉक निम्नानुसार थाः-

1.4.2002 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक स्टॉक	17.83
(वर्ष 2002-03 के लेखा-परीक्षित लेखाओं के अनुसार)	19.30
i) प्राप्त स्टॉक	18.97
ii) मापित स्टॉक	
अंतर का ब्यौरा	
क) 5 % तक की अधिकता	0.04
ख) 5 % तक की कमी	0.32
ग) 5 % से अधिक की अधिकता	0.00
घ) 5 % से अधिक की कमी	0.04
लेखाओं में स्वीकृत स्टॉक (ii-क + ख)	19.25
घटाएं : जब्त कोयला	-
कुल विक्रेय स्टॉक	19.25

कोयला बिक्री की बकाया राशियां :

5.10 कोल इंडिया लि0 को सभी उपभोक्ताओं की कोयले की आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं, जिनमें विद्युत, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक तथा अन्य शामिल है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों को अग्रिम भुगतान पर कोयले की आपूर्ति की जाती है, परन्तु विद्युत और इस्पात जैसे बड़े उपभोक्ता कोयला क्रेडिट पर ले रहे हैं । रा.वि.बोर्डों और एस.पी.सी. की खराब वित्तीय स्थितियों के कारण, 31.3.2002 का 6223 करोड़ रू. की राशि कोयला बिक्री की देय राशि के रूप में बकाया थी ।

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार कोयला बिक्री की बकाया राशियों का क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	**अविवादित**	**विवादित**	**जोड़ कुल देय राशि**	**प्रतिशत के रूप में व्यक्त**
1. विद्युत	4060.00	1658.00	5718.00	92%
2. इस्पात	93.00	433.00	526.00	8%
3. अन्य	-53.00	32.00	-21.00	0%
जोड़	**4100.00**	**2123.00**	**6223.00**	**100%**

उत्पादकता

5.11 कोयला क्षेत्र में उत्पादकता को आमतौर पर प्रति व्यक्ति प्रतिपाली टन उत्पादन (ओ.एम.एस.) के रूप में मापा जाता है ।

यह देखा जायेगा कि प्रतिव्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, जिससे कार्य - क्षमता में सुधार के प्रयास परिलक्षित होते हैं । इस संबंध में उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप श्रमिकों की उत्पादकता को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है :-

कम्पनी	**2001-02 वास्तविक**	**2002-03 वास्तविक**	**2003-04 ब.अ.**	**2003-04 सं. अ.**	**2004-05 ब.अनुमान**
ई.को.लि.	1.04	1.03	1.08	1.08	1.10
भा.को.को.लि.	1.15	1.21	1.33	1.21	1.30
से.को.लि.	2.13	2.43	2.54	2.66	2.86
ना.को. लि.	10.39	10.58	10.70	10.62	11.05
वे.को.लि.	2.09	2.21	2.17	2.20	2.23
सा.ई.को.लि.	3.01	3.23	3.22	3.30	3.55
म.को.लि.	9.98	11.57	10.61	11.60	11.87
ना.ई.को,को.इं.लि.	0.84	0.85	0.88	0.88	1.27
समग्र को.इं.लि	**2.45**	**2.67**	**2.71**	**2.77**	**2.92**

कोल इंडिया लि. का पूंजी पुनर्गठन

5.12 को.इं.लि. के पूंजीगत आधार के पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा एक नीतिगत सहायता पैकेज अनुमोदित किया गया था जिसके निम्नलिखित घटक हैं :-

क) 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार कोल इण्डिया लि0 द्वारा सरकार को देय 432.64 करोड़ रुपये की राशि के ब्याज मुक्त गैर-योजना बकाया ऋण को 1998-99 तक कोल इंडिया लि0 ने खाते में जमा रखने की अनुमति दी गई तत्पश्चात् कोल इण्डिया लि. को इस राशि की सामान्य ब्याज सहित अदायगी 3 बराबर किस्तों में करनी थी।

ख) दिनांक 31.3.92 की स्थिति के अनुसार कोल इण्डिया लि. द्वारा सरकार को देय 904.18 करोड़ रुपये के योजनागत ऋण की बकाया राशि को 10 % गैर - संचयी अधिमानी शेयरों में परिवर्तित किया गया था जो 2003-04 में प्रतिदेय है ।

ग) 31.3.92 तक 891.75 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की राशि और कोल इण्डिया लि. द्वारा सरकार को देय दण्डस्वरूप ब्याज की 553.92 करोड़ रुपये की राशि की अदायगी को माफ कर दिया/बट्टे खाते में डाल दिया गया था ।

घ) डब्ल्यू.सी.एल. को एस.सी.सी.एल. के लिए अधिसूचित कोयले का ग्रेड मूल्य लेने की अनुमति दी गई ।

ड.) ए,बी, और सी ग्रेड के कोकिंग कोयले और गैर-कोकिंग कोयले की कीमतों तथा वितरण को विनियंत्रित दिया गया था। तत्पश्चात डी ग्रेड के कोयले को भी विनियंत्रित कर दिया गया था तथा बी.आई.सी.पी. फार्मूले के आधार पर ई, एफ और जी जैसे विनियंत्रित ग्रेडों की कीमतों को अधिसूचित करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों को अनुमति प्रदान की है । कम से कम 6 माह की अवधि के अंतराल पर 1 जनवरी, 2000 तक इसी फार्मूले के आधार पर बाद में संशोधन करने की अनुमति दी गई है । कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 को समाप्त करके 01.01.2000 से कोयले की कीमत निर्धारण को पूर्णतः विनियंत्रित कर दिया गया है ।

च) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में इक्विटी का विनिवेश उपयुक्त समय पर किया जा सकता है ।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों का पूंजी पुनर्गठन

5.13 कोल इण्डिया लि. की सहायक कम्पनियों की पूंजी तथा ऋण के पुर्नगठन पर आंतरिक कार्रवाई के बारे में कोल इण्डिया बोर्ड की दिनांक 8.5.1997 को आयोजित 166वीं बैठक में निर्णय लिया गया तथा निम्नलिखित पुनर्गठन योजना को अनुमोदित किया गया :-

1) ई.सी.एल. में 994 करोड़ रुपये, भा.को.को.लि. में 1180.70 करोड़ रुपये तथा एम.सी.एल. में 86.40 करोड़ रुपये के ऋण का इक्विटी में परिवर्तन ।

2) इन कम्पनियों में ऋण के रूप में समान राशि को साथ-साथ सम्मिलित करने हेतु एन.सी.एल. में 1000.80 करोड़ रुपये, एस.ई.सी.एल. में 761.30 करोड़ रुपये तथा डब्ल्यू.सी.एल. में 413.90 करोड़ रुपये तक इक्विटी में कमी करना ।

5.14 यह पुनर्गठन योजना कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई थी । चूंकि पुनर्गठन योजना में एस.ई.सी.एल., डब्ल्यू.सी.एल. तथा एन.सी.एल में इक्विटी में कमी करना शामिल है, अतः कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एस.ई.सी.एल., डब्ल्यू.सी.एल तथा एन.सी.एल. में इक्विटी में कमी करने हेतु

कम्पनी कार्य विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था । कोल इं. लि. की इन तीन सहायक कम्पनियों के मामले में कम्पनी कार्य विभाग से अनुमति प्राप्त हो गई है तथा उसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है ।

5.15 ऊपर पैरा 5.13 के अनुरूप आंतरिक पूँजी पुनर्गठन को कार्यान्वित करने के लिए को.इं.लि. ने आवश्यक कदम उठाए हैं ।

कोल इण्डिया लि. के कार्य संचालन परिणाम

5.16 कोल इण्डिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों को वर्ष 2001-02 में 1754.56 करोड़ रुपये की कर पूर्व लाभ की तुलना में वर्ष 2002-03 में 2865.50 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ हुआ ।

कंपनी-वार स्थिति नीचे दी गई हैः-

कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों का कार्यसंचालन परिणाम

(करोड़ रुपये में)

सहायक कम्पनियों के नाम	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
ई.को.लि.	-472.47	-728.23	-917.19	-277.64	-338.78
भा.को.को.लि.	-442.34	-692.32	-1276.70	-755.00	-507.13
से.को.लि.	-149.35	-121.24	-792.91	-108.34	384.65
ना.को. लि.	802.14	936.87	1025.05	1387.34	1293.01
वे.को.लि.	476.58	405.86	28.23	310.20	472.52
सा.ई.को.लि.	676.55	455.34	116.92	768.87	882.13
म.को.लि.	601.31	607.65	641.35	719.60	882.31
सी.एम.पी. डी.आई. एल.	0.63	0.71	-3.81	2.80	1.99
को.इं.लि.(एन.ई. सी./डी.सी.सी. सहित)	606.20	581.18	280.21	561.80	280.08
उप जोड़	2099.25	1445.82	-898.85	2609.63	3350.78
घटाएं : सहायक कम्पनियों से प्राप्त तथा ना.ई. को/ को.इं.लि. के खाते में डाला गया लाभांश	647.46	751.95	515.62	855.09	485.28
समग्र (को.इं.लि.)	1451.79	693.87	-1414.47	1754.54	2865.50

वर्ष 2002-03 के लिए सहायक कंपनियों द्वारा सी.आई.एल. को उपलब्ध कराया गया कम्पनीवार लाभांश निम्न प्रकार हैः-

कंपनी	**(करोड़ रुपये)**
एन.सी.एल.	197.00
डब्ल्यू.सी.एल.	55.96
एस.ई.सी.एल.	117.41
एम.सी.एल.	114.91
कुल	**485.28**

कोल इंडिया तथा इसकी सहायक कोयला कंपनियों में कल्याण कार्य

5.17 कोल इण्डिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों के प्रबंधन का यह सुविचारित मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खानों की सफलता तथा विकास, मुख्यतः संतुष्ट तथा प्रेरित कामगारों पर निर्भर करता है । श्रमशक्ति एक मूल तथा महत्वपूर्ण संसाधन है और गैर-मानव संसाधनों को कुशल तथा प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए उनकी पूर्ण हिस्सेदारी तथा सहायता बहुत आवश्यक है । कोयला उद्योग एक श्रमशक्ति प्रधान उद्योग है और वर्तमान में को.इं.लि. तथा इसकी सहायक कम्पनियों के पास लगभग 5.01 लाख (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार) श्रमिक हैं । को .इं.लि. में कल्याणकारी उपायों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा को ।

राष्ट्रीयकरण से पूर्व का परिदृश्य

5.18 कोयला खानें आमतौर पर एकाकी एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित होती हैं, जहाँ आधुनिक जीवन की सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । राष्ट्रीयकरण के समय कोयला खानों के कामगारों का जीवन स्तर - कार्यस्थल तथा निवास दोनों ही स्थानों पर बहुत खराब एवं अस्वास्थ्यकर था । कामगारों को निम्न स्तर की परिस्थितियों में रहना पड़ता था । तत्कालीन निजी भू-खनन स्वामी उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, पेयजल, चिकित्सा-सुविधाएं आदि भी उपलब्ध कराने में असमर्थ थे ।

राष्ट्रीयकरण के बाद का परिदृश्य :

5.19 राष्ट्रीयकरण के तत्काल बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कम्पनियों ने कोयला खानों की कमियों को तेजी से समाप्त करने का बीड़ा उठाया । कामगारों

को कोयला मजदूरी बोर्ड अधिनिर्णय के अनुसार देय मजदूरी दी जाती थी । कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जे.बी.सी.सी.आई.) का गठन किया गया ताकि नये वेतन ढाँचे पर बातचीत की जा सके, एवं निर्णय लिया जा सके ।

5.20 इसी तरह, कार्य स्थान तथा निवास स्थान पर व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए गए । कोल इण्डिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों ने वर्ष 1975-76 से 2002-03 तक की अवधि में कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यों पर 16498.28 करोड़ रुपये (पूंजीगत व्यय के रूप में 2582.98 करोड़ रुपये तथा राजस्व व्यय के रूप में 13915.30 करोड़ रुपये) की राशि खर्च की है । इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

कल्याणकारी क्रियाकलापों पर किया गया व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पूँजीगत	राजस्व	जोड़
1975-76	12.23	14.22	26.45
1976-77	23.02	21.85	44.87
1977-78	25.49	29.69	55.18
1978-79	18.27	33.04	51.31
1979-80	18.52	46.14	64.66
1980-81	25.38	72.31	97.69
1981-82	40.96	98.48	139.44
1982-83	66.37	115.73	182.10
1983-84	67.22	152.54	219.76
1984-85	69.68	194.89	264.57
1985-86	100.42	196.55	296.97
1986-87	122.00	236.18	358.18
1987-88	108.77	284.60	393.37
1988-89	124.02	279.24	403.26
1989-90	82.20	316.42	398.62
1990-91	124.13	364.82	488.95
1991-92	113.90	454.92	568.82
1992-93	132.48	591.57	724.05
1993-94	167.20	621.80	789.00
1994-95	134.23	696.71	830.94
1995-96	136.00	890.19	1026.19
1996-97	154.00	984.67	1138.67
1997-98	176.00	1071.11	1247.11
1998-99	152.04	1104.57	1256.61
1999-00	147.47	1126.94	1274.41
2000-01	93.42	1270.31	1367.73

2001-02	87.78	1231.99	1319.77
2002-03	65.12	1402.74	1467.86
जोड़	**2588.32**	**13904.22**	**16492.54**

5.21 कोयला कम्पनियां अपने कामगारों के कल्याण पर काफी ध्यान दे रही हैं । कोयला खनिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं । मूलभूत आवश्यकताओं जैसे - आवास, जलापूर्ति तथा चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में सुधार किए जाने पर बल दिया जा रहा है । कोलफील्ड क्षेत्रों में सामान्य पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिक परिस्थितियों में सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

5.22 कर्मचारियों का कल्याण

कल्याणकारी उपाय	**राष्ट्रीयकरण के समय**	**31.3.2003 की स्थिति के अनुसार**
उपलब्ध आवासों की संख्या	118366	408184
आवासीय संतुष्टि (%)	21.07%	81.40%
जलापूर्ति योजना के तहत लाभान्वित जनसंख्या	2,27,300	22,72263
अस्पतालों की संख्या	49	87
औषधालयों की संख्या	197	436
रोगी वाहनों की संख्या	42	667
अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या	1,482	5,979
कोलफील्डों में तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत स्कूलों और कालेजों की संख्या	287	561
जलपान गृहों की संख्या	210	459
सहकारिता समितियों की संख्या	177	326

आवास

5.23 राष्ट्रीयकरण के समय, स्तर अच्छे एवं निम्न-स्तर के आवासों की कुल संख्या केवल 1,18,366 थी । दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार इन आवासों की संख्या बढ़कर 408184 हो गई है । लगभग 81.40% प्रतिशत श्रमिकों को आवास उपलब्ध करवा दिए गए हैं । कोयला कम्पनियों द्वारा इन सुविधाओं में और अधिक सुधार के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं ।

जलापूर्ति

5.24 राष्ट्रीयकरण के समय केवल 2.27 लाख जनसंख्या को ही पेय जल की आपूर्ति की जाती थी । कोयला कंपनियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्तमान में, 22,72,263 जनसंख्या (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार) को जलापूर्ति योजना के अंतर्गत जल उपलब्ध किया गया है ।

स्वास्थ्य संबंधी देखरेख एवं चिकित्सा सुविधाएं

5.25 को.इं.लि. और इसकी सहायक कम्पनियां अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को कोयला क्षेत्र के विभिन्न भागों में डिस्पेंसरी स्तर से लेकर केन्द्रीय और शीर्षस्थ अस्पताल स्तर के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रही हैं ।

5.26 कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए को.इं.लि. तथा इसकी सहायक कम्पनियों में 5979 बिस्तरों वाले 87 अस्पताल, 436 औषधालय, 667 रोगी वाहन तथा विशेषज्ञों सहित 1749 चिकित्सक हैं ।

5.27 इसके अलावा, श्रमिकों को स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत उपचार की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए को.इं.लि. की सहायक कम्पनियों में 15 आयुर्वेदिक औषधालय भी चलाए जा रहे हैं ।

शिक्षा

5.28 शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है । किन्तु, को.इ.लि. अपने स्तर पर कुछ विद्यालयों जैसे डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, डी.पी.एस. स्कूल तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्य शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है । इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में को.इं.लि. तथा उसकी सहायक कंपनियां कोलफील्ड क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के इलाकों में कार्यरत, निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित कुछ विद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है ।

5.29 राष्ट्रीयकरण के समय 287 शिक्षण संस्थाओं की तुलना में, वर्तमान में, कोल इंडिया लि0 की सहायक कंपनियां 62 परियोजना स्कूल तथा 296 निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों को आवर्ती अनुदान उपलब्ध करा रही हैं । इसके अतिरिक्त, 187 अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी समय-समय पर अनुदान दिया जाता है तथा 16 परियोजना स्कूलों को संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

अन्य कल्याणकारी कार्यकलाप

5.30 को.इं.लि. की सहायक कम्पनियां 469 जलपान गृह, 319 सहकारी संस्थाएं तथा 80 शिशुसदन चला रही हैं । खनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोलफील्ड क्षेत्रों में विस्तार काउन्टरों सहित 267 बैंक शाखाएं भी उपलब्ध हैं ।

वृक्षारोपण/वनीकरण

5.31 कोल इण्डिया लि0 की सहायक कम्पनियां बेकार पड़ी हुई और पुनरूद्धार की गई भूमि पर हरित-पट्टी के नियमित विकास के कार्य को मूर्त रूप दे रही हैं । कोयला कम्पनियों ने वर्ष 2002-03 के दौरान कोलफील्ड क्षेत्रों में 30.86 लाख पौधे लगाए हैं ।

सुरक्षा

5.32 अपने प्रचालन में सुरक्षा में लगातार वृद्धि करने की कोल इंडिया लि. की प्रतिबद्धता के अनुरूप, सुरक्षा के मोर्चे पर जोरदार प्रयास किए गए जिनके परिणामस्वरूप जनवरी-अक्टूबर 2003 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दुर्घटनाओं में कमी आई है। हम प्रचालन में बेहतर सुरक्षा की दृष्टि से काफी आगे निकल आए हैं। जो कि नीचे की तालिका से स्पष्ट हैः-

वर्ष	घातक दुर्घटनाएं		गंभीर दुर्घटनाएं		मृत्यू दर		गंभीर घायलों की दर	
	दुर्घटनाएं	मौतें	दुर्घटनाएं	मौतें	प्रति मि.टन	प्रति 3 लाख श्रमपाली	प्रति मि.ट.	प्रति 3 लाख श्रमपाली
1975	177	233	1456	1515	2.62	0.52	17.03	3.41
2002	62	69	382	411	0.24	0.19	1.42	1.13
2002 (जन.-अक्टू)	48	52	382	400	0.22	0.17	1.69	1.32
2003 (जन.-अक्टू)	46	50	284	298	0.21	0.17	1.23	1.00

टिप्पणी : वर्ष 2002 - 2003 के आंकड़ों का डी.जी.एम.एस. के साथ समाधान किया जाना है।

5.33 वर्ष 2003 में सी.आई.एल. के प्रचालनों में सुरक्षा में और वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं-

1. अनुभवी माइनिंग/इलैक्ट्रिकल/मैकेनिल इंजीनियरों द्वारा खानों के नियमित सुरक्षा आडिट किए जाते हैं और उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाता है।

2. भूमिगत खानों में विकास खदानों तथा प्रौप-मुक्त सपोर्ट अपेक्षित कुछ यंत्रीकृत डिबिलरिंग डिसट्रेक्ट में सपोर्ट के लिए क्विक - सैटिंग सीमेंट/रेसिन कैपसूल ग्राउटिड रूफ बोल्टों का अधिकाधिक प्रयोग करना।

3. भूमि के नीचे की खानों में **एस.डी.एल.** तथा **एल.एच.डी.** का अधिक प्रयोग करके लोडिंग कार्यों के यांत्रिकरण से श्रमिकों के खनन जोखिमों को कम करना। उपयुक्त क्षेत्रों में खनन की **पावर्ड सपोर्ट** लांगवाल प्रणाली, **सतत खनिक** टेक्नोलॉजी आदि को भी अपनाया जा रहा है।

4. ज्वलनशील तथा जहरीली गैसों का पता लगाने के लिए हस्तधारित गैस डिटेक्टरों/अलार्मों तथा फ्लेम सुरक्षा लैम्पों द्वारा खान पर्यावरण की नियमित मानिटरिंग करना। इसके अतिरिक्त, ऐसी स्थितियों के निर्माण की पूर्व चेतावनी देने के लिए, जो आग और विस्फोट को जन्म दे सकती हैं, 13 खानों में **कम्प्यूटरीकृत सतत खान पर्यावरण टेलीमानिटरिंग प्रणाली** लागू है।

5. मानूसन से पहले प्रत्येक खान में पानी के सतह तथा भूमिगत दोनों स्रोतों से जलाप्लावन के खतरों की जांच की जाती है तथा जहां भी अपेक्षित हो, उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

6. कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी खानों में जलाप्लावन से रक्षोपायों की विस्तृत समीक्षा की है और निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

क. जहां - कहीं जलाप्लावन का खतरा होता है वहां जलावरूद्ध खदानों के बीच बैरियर स्थापित करने के लिए जांच-सह संबंध सर्वेक्षण किए गए हैं।

ख. सर्वेक्षण कार्मिकों की भर्ती और सर्वेक्षण, उपकरणों की आवश्यकता का आकलन किया गया है और जहां अपेक्षित होता है वहां सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

ग. कुछ कंपनियों जैसे एन.सी.एल. और डब्ल्यू सी.एल. में खान योजनाओं का डिजिटीकरण किया गया है।

7. जलराशि की शिनाख्त करने के लिए खानों में, ड्रिलिंग द्वारा बैरियरों को भौतिक रूप से प्रमाणित किए बगैर, नई टैक्नोलॉजी प्रवर्तित किए जाने के परीक्षण किए जा रहे है। ई.सी.एल. में **विद्युत प्रतिरोधितता सर्वेक्षण** किया जा रहा है। एम.सी.एल. में एन.आई.आर.एम. द्वारा तालचेर और हांडिडुआ कोलियरी के मध्य अवरूद्ध जलराशि का पता लगाने के लिए जलराशि शिनाख्त करने की **सिसमिक पद्धति** का प्रयोग किया जा रहा है। एन.आई.आर.एम. द्वारा जलराशि की तुलना में

बैरियर की मोटाई सुनिश्चित करने के लिए **ग्राउड पेनेट्रेटिंग राडार** का प्रयोग आरंभ किया गया है और परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है। सी.आई.एल. ने अपने सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में मानकीकृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वीडियो फिल्मों को तैयार किए जाने का कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसमें कुल 58 फिल्मों में से 32 फिल्में पूरी की जा चुकी है।

8. कामगारों में सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने के लिए कामगारों, सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण पर जोर देना। सी.आई.एल. ने अपने सभी अध्ययन केन्द्रों में मानक तरह का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विडियो फिल्मों को तैयार करने का काम शुरू किया है और 58 में से 32 फिल्में पूरी हो गई हैं।

9. विभिन्न निकायों के माध्यम से खान स्तर से क्षेत्र स्तर, सहायक कंपनी स्तर से सी.आई.एल. स्तर तक सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिकता को बढ़ावा देना, जो खानों में सुरक्षा का नियमित रूप से जायजा लेते हैं और सिफारिशें करते हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

10. आकस्मिकताओं से निपटने की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, स्थल विशेष, आकस्मिकता विशेष आकस्मिक कार्रवाई योजनाएं तैयार की गई हैं, आपातकाल में उपयोग में लाने के लिए भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे बचाव मार्ग चिन्हित किए गए है और प्रत्येक भूमिगत खान में श्रमिकों को इनसे परिचित कराने के लिए छद्म पूर्वाभ्यास किए जाते हैं।

11. श्रमिकों में सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने और बनाये रखने के लिए वार्षिक सुरक्षा सप्ताह के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र में खास मदों पर सुरक्षा सप्ताहों का आयोजन किया जाता है।

12. डब्ल्यू.सी.एल. में वी.आर.सी.ई. द्वारा ओ.सी. खानों में बैंचों की स्लोप स्टेबिलिटी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है। ओ.सी. खानों में डीप होल ब्लास्टिंग में सी.एम.आर.आई. सीएमपीडीआईएल जैसे वैज्ञानिक संस्थाओं और विस्फोटक विनिर्माताओं के सहयोग से आधुनिक तकनीको को अपनाया गया है ताकि बेहतर विखण्डन से ब्लास्टिंग निष्पादन में सुधार ला जा सके और विशेषकर अवसंरचनाओं तथा आवासीय क्षेत्रों में फ्लाई रॉक तथा भूमि के कम्पन को कम किया जा सके।

13. **सेमिनार/वर्कशाप** - कामगारों में सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए अलग-अलग कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की गई हैं।

14. **प्रतियोगिताएं** - कामगारों में प्रतियोगिता की भावना जगाने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक सुरक्षा सप्ताह, "फर्स्ट एड" प्रतियोगिता, वी.टी.सी. प्रतियोगिता तथा बचाव प्रतियोगिता जैसी अलग-अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

चूंकि दुर्घटनाएं अनियोजित, अनियंत्रित घटनाएं हैं, जिनके परिणामस्वरूप जीवन की हानि अथवा चोट करना या सम्पत्ति का नुकसान होता है, अतः इसके संबंध में कोई भविष्यवाणी नही की जा सकती है। अतः यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त उपायों के कार्यान्वयन से दुर्घटनाओं में आगे और कमी आएगी।

अध्याय - 6

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

उद्देश्य और क्रियाकलाप

6.1 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं.को.कं.लि.) जो वर्ष 1920 में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित की गई थी, वर्ष 1956 में एक सरकारी कंपनी बन गई, जब आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके अधिकांश शेयरों का अधिग्रहण किया । इस कंपनी की शेयर पूंजी में आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के शेयर क्रमशः 51:49 के अनुपात में है । सिं. को. कं. लि. में निवेश भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार तथा सिं.को.कं.लि. के बीच एक त्रिपक्षीय करार के द्वारा अधिशासित होता है । ऐसा पिछला करार 11 जनवरी, 2002 को IX योजना अवधि के लिए किया गया था, जिसमें दिनांक 1.4.1997 से 31.3.2002 तक की अवधि शामिल है । दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए एक त्रिपक्षीय करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

6.2 यह कंपनी आंध्र प्रदेश में कोयला खनन क्रियाकलापों में लगी हुई है । कोयले के भंडार आंध्र प्रदेश में प्रानाहिता गोदावरी घाटी के 350 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसमें 1.1.2004 की स्थिति के अनुसार 7944.41 मिलियन टन भंडार प्रमाणित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं । खनन क्रियाकलाप आंध्र प्रदेश के 4 जिलों अर्थात खम्माम, अदीलाबाद, करीम नगर तथा वारंगल में केन्द्रित हैं ।

6.3 31.3.2003 को सिं.को.कं.लि. की प्राधिकृत पूंजी 1800 करोड़ रुपये थी और उक्त तारीख को प्रदत्त पूंजी 1733 करोड़ रुपये थी । वर्ष 2002-03 में कंपनी का कुल कारोबार 3142 करोड़ रुपये था ।

परिव्यय

6.4 2004-2005 में 35.00 मि.टन के उत्पादन स्तर की प्राप्ति हेतु 325 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है । वित्त वर्ष 2003-2004 (संशोधित अनुमान) हेतु तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 205 करोड़ रुपये तथा 33.50 मि.टन हैं ।

6.5 2001-02 और 2002-03 के वास्तविक आंकड़ों सहित ब.अ. 2003-2004, सं.अ. 2003-2004 और ब.अ. 2004-05 के लिए योजनागत व्यय और वित्त-पोषण के स्रोत इस प्रकार हैं :-

योजनागत परिव्यय की निधियों का स्रोत

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2001-02 वास्तविक	2002-03 वास्तविक	2003-04 ब.अ.	2003-04 सं.अ.	2004-05 ब.अ.
आंध्र प्रदेश सरकार-इक्विटी	-	-	-	-	-
भारत सरकार-इक्विटी	-	-	-	-	-
द्विपक्षीय ऋण	-	-	-	-	-
आंतरिक संसाधन	181.92	139.49	340.00	205.00	325.00
कुल	**181.92**	**139.49**	**340.00**	**205.00**	**325.00**

योजना-वार योजनागत परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

योजना	2001-02 वास्तविक	2002-03 वास्तविक	2003-04 (ब.अ.)	2003-04 (सं.अ.)	2004-05 (ब.अ.)
खनन	161.43	120.97	293.00	165.81	271.02
गैर-खनन	20.49	18.52	47.00	38.88	53.98
कुल	**181.92**	**139.49**	**340.00**	**205.00**	**325.00**

वित्तीय कार्य निष्पादन

6.6 कंपनी ने उत्पादन और बिक्री में चौतरफा वृद्धि की और लगातार पांचवें वर्ष लाभ अर्जित किया । निम्नलिखित सारणी कंपनी के महत्वपूर्ण कार्य-निष्पादन को दर्शाती है : -

विवरण	इकाई	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2001-02 की तुलना मे % वृद्धि/कमी
उत्पादन (मि.टन)	मि.ट.	29.56	30.27	30.81	33.24	7.89
प्रेषण	मि.टन.	30.04	30.54	31.19	33.48	7.34

कोयले की बिक्री	करोड़ रु.	2650.84	2743.63	2949.02	3141.83	6.54
प्रति श्रम पाली उत्पादन	टन	1.24	1.25	1.34	1.35	15.67
कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि(+/-)	करोड़ रु.	(+)302.35	(+)89.41	(+)326.30	(+)411.72	26.18
संचित लाभ/हानि (+/-)	करोड़ रु.	(-)647.76	(-)565.94	(-)260.77	80.45	

6.7 वर्ष 2002-2003 के दौरान अर्जित लाभ के 11% के रूप में 45.87 करोड़ रुपये का भुगतान कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में किया गया था जबकि वर्ष 2001-02 में 29.02 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था ।

6.8 2002-2003 में रायल्टी और बिक्री कर से राज्य सरकार (आंध्र प्रदेश) को प्राप्त होने वाली धनराशि 2001-02 में 364.56 करोड़ रू., 2000-01 में 340.40 करोड़ रुपये और 1999-2000 में 341.07 करोड़ रुपये और 1998-1999 में 302.31 करोड़ रुपये की तुलना में 459.76 करोड़ रुपये थी । कंपनी ने वर्ष 2002-03 के लिए 5 % लाभांश की घोषणा की है जिसकी राशि 86.66 करोड़ रू. है ।

पुनर्गठन पैकेज

6.9 कंपनी द्वारा नई परियोजनाएं आरंभ किए जाने और कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 9वीं तथा 10वीं योजनावधि के लिए एक वित्तीय पुनर्गठन पैकेज का एस.सी.सी.एल. ने प्रस्ताव किया था, जो कोयला मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा संस्तुत था और अंततः आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1999 में अनुमोदित कर दिया गया था ।

6.10 नौवीं योजना में इक्विटी के निषेचन तथा भारत सरकार के ऋणों पर दंडात्मक ब्याज की छूट के अलावा पुनर्गठन पैकेज में VIII वीं योजना अवधि के दौरान 31.3.2007 तक की अवधि के भारत सरकार के ऋणों पर प्रोदभूत 663.34 करोड़ रु. (31.3.97 तक) के बकाया ब्याज के भुगतान पर ऋण स्थगन दिया गया ।

वर्ष 2003-04 के दौरान गतिविधियां

6.11 ईंधन आपूर्ति करार :-

एपीजेनको के साथ ईंधन आपूर्ति करार आरंभ में 1 अगस्त,2001 को किया गया था और 1 जुलाई, 2003 को इसका नवीनीकरण किया गया था तथा एम.एस.ई.बी. के साथ एफ.एस.ए. 1 दिसम्बर,2001 को किया गया था और बाद

में 1 अप्रैल,2003 को इसका नवीनीकरण किया गया । के.पी.सी.एल. के साथ हुआ एफ.एस.ए. भी चालू है । एन.टी.पी.सी. के साथ ईंधन आपूर्ति करार अभी किया जाना है । चूंकि सभी प्रमुख उपभोक्ताओं के साथ एफ.एस.ए. क्रियान्वित किए जा रहे हैं, अतः बकाया राशियों की वसूली में सुधार किया गया है और गुणवत्ता तथा ईंधन आपूर्ति करारों की इस व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् गुणवत्ता तथा अन्य बातों के विवादों में कमी आने के कारण कोयले की बिक्री की बकाया धनराशि की वसूली में निश्चित रूप से सुधार हुआ है क्योंकि इस प्रकार के विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करने के लिए ईंधन आपूर्ति करारों में उपयुक्त प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं ।

6.12 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना :-

अधिशेष श्रमशक्ति को कम करने और अनुमोदित पुनर्गठन पैकेज के अनुसार श्रमशक्ति के कम किए जाने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपने एक प्रयास के भाग के रूप में कंपनी ने वर्ष 1999-00 के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) (गोल्डन हैंडशेक) प्रारंभ की । इस योजना के अंतर्गत 6265 कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ उठाया है और 2002-03 के दौरान इसके अंतर्गत भुगतान की गई राशि 166.78 करोड़ रू. थी । एस.सी.सी.एल. ने 45.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर अपने विभिन्न श्रेणियों के लगभग 1500 कर्मचारियों के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान भी वी.आर.एस. का प्रस्ताव किया है ।

6.13 ग्राहक-संतुष्टि में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम :-

ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें सामान्यतः माल के कम मात्रा में प्राप्त होने और निम्न ग्रेड के कोयले की आपूर्ति से संबंधित होती है । ग्राहक-संतुष्टि में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(क) जहां कहीं ग्राहकों के साथ संयुक्त रूप से नमूना लेने के प्रबंध प्रचलित हैं, वहां कोयले के नमूने एकत्रित किए जाते हैं और उनके साथ परस्पर तय की गई शर्तों के अनुसार उन नमूनों का विश्लेषण किया जाता है । अन्य ग्राहकों के मामले में गुणवत्ता का निर्धारण कोयला नियंत्रक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है । ऐसे ग्राहकों के मामले में, जिनके साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) किए जाते हैं, नमूनों का एकत्रीकरण और विश्लेषण ईंधन आपूर्ति करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है । ऐसे ग्राहकों के मामले में, जिन्होंने ईंधन आपूर्ति करार नहीं किया है, नमूनों का एकत्रीकरण और विश्लेषण करने के लिए बीआईएस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है ।

(ख) कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए समस्त पारगमन/लदान स्थलों, चुनिन्दा खानों आदि पर शेल/पत्थरों की छंटाई करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं ।

(ग) खानों के मुहानों पर ही कोयला और पत्थरों को छांटकर उनके अलग-अलग लदान के लिए प्रबंध किए गए थे ।

कल्याण संबंधी उपाय

6.14 " मानव संसाधन " किसी भी संगठन के लिए एक बड़ी परिसम्पत्ति होता है और किसी संगठन की शक्ति उसके निष्ठावान कामगारों में निहित होती है । प्रबंधन का सदैव यह प्रयास रहा है कि एक कार्य-कुशल दल विकसित किया जाए और अपने कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाए । भागीदारी और अपनत्व की भावना पैदा किए जाने हेतु, प्रबंधन द्वारा अधिक संख्या में तथा बेहतर आवास, चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाओं को मुहैया कराने को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । उपर्युक्त के अतिरिक्त कंपनी मलेरिया निवारण, पोषण और स्वच्छता को महत्व, मधुमेह नियंत्रण, हृदय रोगों और एचआईवी/एड्स आदि के निवारण जैसे मुद्दों के लिए अभियान चला रही है ताकि कर्मचारियों में स्वास्थ्य और मानव-विकास के संबंध में और अधिक जागरूकता लाई जा सके ।

6.15 प्रचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक लाभों के साथ जारी रखा जा रहा है । विभिन्न प्रयोजनों के लिए "सिंगरेनी सेवा समिति " नामक एक स्वैच्छिक सोसायटी स्थापित की गई, जैसे कर्मचारियों के बेरोजगार बच्चों को कौशल और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि वे अपनी जीविका के लिए अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उन कर्मचारियों के परिवारों को जीविका के अवसर उपलब्ध कराना जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई हो अथवा चिकित्सा-आधार पर सेवा निवृत्त हो गए हों, कर्मचारियों में बचत करने की आदत और आवश्यकता पैदा करना ।

सामूहिक उपदान योजना

6.16 कल्याणकारी उपायों को जारी रखने के एक भाग के रूप में, कंपनी ने 11.12.2003 को एल.आई.सी. के साथ एक सामूहिक उपदान योजना आरंभ की । योजना में एल.आई.सी. के पास निधियों को जमा कराने की परिकल्पना की गई है, जिससे उपदान दावों की देयताओं को पूरा किया जाएगा । एस.सी.सी.एल. ने प्रारंभिक अंशदान की पहली किश्त के रूप में 140 करोड़ रू. का भुगतान किया । योजना की एक अनन्य विशेषता है, जिसमें दुर्भाग्य से कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर विगत में की गई सेवा हेतु पूर्ण उपदान के अतिरिक्त भावी सेवा उपदान के भुगतान का भी प्रावधान है । दूसरे शब्दों में, यदि कर्मचारी की मृत्यु न होती, तो कर्मचारी के नामिती उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के उपदान के साथ-साथ

उस अवधि के लिए भी उपदान प्राप्त करेंगे जिस अवधि तक वे सेवा में रहते । एस.सी.सी.एल. इसके लिए प्रीमियम का भुगतान करता है ।

6.17 **शेप**

कंपनी ने समीपवर्ती आवास सहायता कार्यक्रम (शेप) नामक एक योजना विकसित की है । योजना का उद्देश्य एस.सी.सी.एल. में और इसके आसपास के क्षेत्रों में संरचनात्मक ढांचे में सुधार करना है जिससे एस.सी.सी.एल. श्रमिकों और सामान्य जनता को लाभ मिल सकता है । वर्ष 2003-04 में इस उद्देश्य के लिए 48.00 करोड़ रू. का परिव्यय रखा गया है ।

6.18 सिं.को.कं.लि. कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में सुधार करने के लिए प्रयास करती रही है और निम्नलिखित विवरण से कंपनी द्वारा किए गए अधिक व्यय के दावों की पुष्टि होगी:-

कल्याण संबंधी उपायों पर व्यय

(रुपये करोड़ में)

मद	1999-00		2000-2001		2001-2002		2002-2003	
	आवर्ती	अनावर्ती	आवर्ती	अनावर्ती	आवर्ती	अनावर्ती	आवर्ती	अनावर्ती
चिकित्सा और सफाई	39.09	1.85	40.53	4.02	46.10	0.98	49.90	0.99
आवास	70.03	4.78	65.00	9.16	65.46	15.47	67.21	12.10
शिक्षा	6.44	0.36	7.51	0.20	8.01	0.14	8.31	0.21
अन्य	135.10	0.20	124.86	0.62	157.24	6.91	142.57	11.76
जोड़	**250.66**	**1.85**	**237.90**	**14.00**	**276.81**	**23.50**	**267.99**	**25.06**

मानव संसाधन विकास

6.19 प्रबंधन इस तथ्य को मानता है कि अन्य संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि "मानव संसाधन " के साथ किस प्रकार बेहतर व्यवहार किया जाए । वह मानव संसाधन को कंपनी की एक बौद्धिक परिसम्पत्ति के रूप में समझता है । संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर कर्मचारियों की ऊर्जा, कुशलता और प्रतिभा सम्पन्नता को सारणीबद्ध करने की दिशा में उनको अधिक से अधिक अभिप्रेरक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है और प्रत्येक कर्मचारी को अपनी योग्यता और प्रतिभा को सिद्ध करने के लिए अवसर देने हेतु भरसक प्रयास किया जा रहा है । कर्मचारियों की कार्य - कुशलता और सक्षमता के स्तर को अद्यतन करने के लिए प्रबंधन विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उन्हें प्रायोजित करता रहा है ।

6.20 कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र जिसका नामकरण "नरगुण्डकर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट " के रूप में स्व. पद्मश्री एस.के. नरगुण्डकर, प्रथम खान अभियंता, जो 1964 में कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने, के सम्मान में किया गया था और गोदावरीखानी में 5.11.2000 को खोला गया था । उद्योग की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए वरिष्ठ/मध्यम स्तर के कार्यकारी अधिकारियों की कार्य-कुशलता विकसित किए जाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कालेज ऑफ इंडिया, इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजिज़, नेशनल एचआरडी नेटवर्क, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल और अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन परामर्शदाताओं के संकाय सदस्यों को आमंत्रित करके अनेक कार्यक्रम आयोजित कराए गए हैं ।

6.21 सिं.को.कं.लि. के सभी विद्यालयों और कालेजों को सिंगरेनी एजुकेशनल सोसायटी के नियंत्रणाधीन लाया गया है, जिसका गठन शैक्षणिक संस्थाओं के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन हेतु किया गया है ।

श्रमशक्ति

6.22 वर्ष 2001-02 के अंत तक, कंपनी की कुल श्रमशक्ति 0.99 लाख थी । 2002-03 के अंत तक श्रमशक्ति घटकर 0.97 लाख रह गई है ।

औद्योगिक संबंध

6.23 कर्मचारियों में जागरुकता लाने में प्रबंधन के सतत और स्थिर प्रयासों, "कि कंपनी तथा उनका स्वयं का कल्याण औद्योगिक शांति बनाये रखने पर निर्भर करता है " के अच्छे परिणाम निकले हैं । निगमित तथा क्षेत्रीय स्तर पर एक ही मजदूर संघ को मान्यता प्रदान करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के सहयोग से कंपनी में दूसरी बार सफलतापूर्वक चुनाव कराए गए थे । पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई हड़तालों, श्रम दिवसों और उत्पादन में हुई हानि का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है :-

क्र.सं.	**वर्ष**	**हड़तालों की संख्या**	**श्रम दिवसों की हानि (लाख में)**	**उत्पादन में हानि (लाख टन में)**
1.	2000-01	47	2.95	3.57
2.	2001-02	54	13.33	12.55
3.	2002-03	36	16.31	6.47

6.24 शिकायत निवारण तंत्र : चूंकि कामगार के कष्ट का समय पर निवारण भावी अशांति को समाप्त कर देता है इसलिए सुनियोजित प्रक्रिया के साथ विद्यमान 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का अनुसरण किया जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम निकल रहे हैं ।

6.25 निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी की परम्परा को जारी रखते हुए प्रबंधन, कंपनी के व्यवसाय तथा कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण और नीतिगत मुद्दों पर क्रियान्वयन से पूर्व कर्मचारियों के साथ मुक्त रूप से विचारों का आदान-प्रदान करता है । प्रबंधक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों के दृष्टिकोण और उनके विचारों को उचित महत्व दिया जाता है । उपर्युक्त के अतिरिक्त कंपनी के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रबंधक वर्ग के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति है जिसमें मान्यता प्राप्त मजदूर संघों तथा अधिकारियों के संघ के भी प्रतिनिधि हैं ।

6.26 प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने में और अधिक पारदर्शिता लाने और मजदूर संघों के नेताओं के सक्रिय व रचनात्मक सहयोग से प्रबंधन को आशा है कि औद्योगिक संबंधों का परिदृश्य न केवल उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में अपना सहयोग देगा अपितु इससे कंपनी को कामगारों और उनके परिवारों के कल्याण और जीवन शैली में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी ।

उत्पादन तथा उत्पादकता

6.27 कंपनी उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाने के हर प्रकार के प्रयास कर रही है । वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में कंपनी का ट्रैक रिकार्ड सामान्यतः अच्छा रहा है । नौवीं योजना के अंतिम वर्ष 2001-2002 में सिं.को.कं.लि. ने 30.81 मि.टन का उच्चतम उत्पादन प्राप्त किया है । तथापि, यह लक्ष्य का 99 प्रतिशत है । वर्ष 1997-1998 से वर्षवार लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन नीचे सारणी में दिए गए हैं :-

कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
1997-98	29.47	28.94
1998-99	30.23	27.33
1999-2000	30.06	29.56

2000-2001	31.05	30.27
2001-2002	31.00	30.81
2002-2003	32.50	33.24
2003-04 (सं. अ.)	33.50	(11/03 तक)21.58
2004-05 (ब.अ.)	35.00	

6.28 सिं.को.कं.लि. में उत्पादन स्तर वर्ष 1997-98 में 28.94 मि.टन के स्तर से बढ़कर 2002-2003 में 33.24 मि.टन हो गया, जो 4.3 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि को इंगित करता है ।

6.29 1993-94 में प्रतिपाली प्रति व्यक्ति (ओ.एम.एस.) समग्र उत्पादन भी 0.88 टन था जो 2002-03 में बढ़कर 1.55 टन हो गया ।

खानों में सुरक्षा

6.30 खनिज भंडारों का व्यवस्थित रूप में उत्खनन किए जाने में कामगारों की सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है । खनन कार्य किए जाने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और इस तरह से स्ट्राटा का संचलन शुरू हो जाता है जिससे रूफ तथा साइड गिरने शुरू हो जाते हैं, खनिज बेडों में अन्तर्ग्रस्त ज्वलनशील तथा हानिकारक गैसें निकलती है, स्ट्राटा जल की काफी मात्रा में निकासी होने लगती है और ज्वलनशील सीमित वातावरण में कोयले में स्वतः ज्वलनशीलता शुरू हो जाती है ।

6.31 सिं.को.कं.लि. लिमिटेड ने एक सुरक्षा नीति निर्धारित की है और इसकी मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं : खनन संबंधी जोखिमों को न्यूनतम करना, सांविधिक विनियमनों का क्रियान्वयन, अनवरत शिक्षा प्रदान किया जाना, सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना जिसमें सुरक्षा उन्मुख कार्यकुशलता के विकास पर बल दिया जाता है तथा कार्य की बेहतर परिस्थितियां बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना ।

6.32 मौतों और गंभीर रूप से घायल कामगारों की संख्या के आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं :-

वर्ष	घातक दुर्घटनाएं		गंभीर रूप से घायल	
	संख्या	प्रति मिलियन टन	संख्या	प्रति मिलियन टन
2002-03	18	0.54	103	3.10
2001-02	31	1.01	105	3.41

2000-01	30	0.99	101	3.34
1999-00	27	0.91	101	3.42
1998-99	30	1.10	99	3.62
1997-98	35	1.21	117	4.04

6.33 शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संक्षेप में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(क) भूमिगत खानें

- जहाँ-कहीं संभव हो, वहाँ हस्तलदान के स्थान पर एस.डी.एल., एल.एच.डी. तथा कंटिन्यूअस माइनर्स का प्रयोग करना, जिससे कार्य-स्थल पर श्रमिकों के जमावड़े को कम किया जा सके ।
- खदानों के सपोर्ट के लिए रूफ के क्षेत्र सहित सभी खदानों में बड़ी मात्रा में रूफ बोल्टिंग को अपनाना ।
- लंबे तथा दुष्कर परिवहन वाली आठ खानों में उनके भीतर श्रमिकों के आने-जाने के लिए मानव-सवार (मैन-राइडिंग) प्रणाली प्रारम्भ करना, जिससे श्रमिकों की स्थिर-सवार (सेट-राइडिंग) की प्रवृत्ति को कम किया जा सके ।
- इनटेक वायुमार्गों में अच्छी प्रकाश व्यवस्था सहित संभावित लघुतम मार्ग के साथ परिवहन सड़क मार्ग स्थापित करना ।
- उन खानों में साइड बोल्टिंग करना जहाँ साइड ढहने की प्रवृत्ति अधिक है ।
- खदानों के लिए उपयुक्त सपोर्ट प्रणाली विकसित करने हेतु, वैज्ञानिक संस्थाओं को शामिल करना ।
- खानों में कर्मचारियों द्वारा सैट राइडिंग प्रणाली का सहारा न लेने के लिए कामगारों तथा उनके परिवारों को परामर्श देने के लिए संघों के नेताओं से अनुरोध करना ।

(ख) ओपनकास्ट खानें

- डम्परों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दो मार्गीय हॉल सड़कें बनाना ।
- 1 में 20 के लगभग वाली हल्के ढाल (ग्रेडियन्ट) तथा इससे कम ढाल वाली हॉल सड़कें बनाना ।
- ट्रैफिक नियमों को लागू करना ।

- जहाँ तक संभव हो, उत्खनन क्षेत्रों में हैम के सुचारू तथा सुरक्षित प्रचालन के लिए चौड़ी बेंचों की स्थापना करना ।
- नियोजित शॉवल तथा विद्यमान संस्तर परिस्थितियों के लिए ईष्टतम उपयुक्त ऊँचाई वाली बैंच बनाना ।
- कार्य-स्थल हॉल रोड तथा डम्प यार्ड पर अच्छी प्रकाश व्यवस्था करना, भले ही इसमें उच्च पूंजीगत तथा प्रचालन लागत अन्तर्निहित हो ।
- अंधेरे में पहचान के लिए सभी श्रमिक वर्दी तथा फ्लूरोसेन्ट बैंड वाले हैल्मेट पहनें ।
- ऑफ-लोडिंग ठेकेदारों के श्रमिकों का गहन तथा आवधिक प्रशिक्षण ।
- संविधि के अनुसार ऑफ लोडिंग की संविदा में सुरक्षा नियमों तथा विनियमों के अनुपालन हेतु पर्याप्त प्रावधान ।

(ग) सामान्य

- पाली के प्रारंभ में श्रमिकों द्वारा सुरक्षा प्रतिज्ञा ।
- श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों में सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रों में खानों तथा श्रमिक कालोनियों में सुरक्षा ड्रामा आयोजित किए जा रहे हैं ।
- दुर्घटनाओं की समीक्षा करने और सुरक्षा में सुधार लाने के लिए समुचित कदम उठाने के लिए सभी क्षेत्रों में निगमीय सुरक्षा समीक्षा समिति, क्षेत्रीय सुरक्षा समीक्षा समिति और क्षेत्रीय सुरक्षा जाँच समिति गठित की गयी है ।
- प्रत्येक क्षेत्र में कोयला काटने वालों तथा सहायक कर्मी दल के लिए विशेष सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ।
- दुर्घटना मुक्त लम्बी सेवा के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकार्ड वाले अच्छे कामगारों को सम्मानित करना । प्रति वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों पर उन्हें स्मृति चिह्न दिए जाते हैं ।
- सुरक्षा प्रश्नावली प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और खानों में सुरक्षा- सुधार के संबंध में सर्वश्रेष्ठ सुझावों को पुरस्कार दिए जाते हैं।
- विभिन्न मंचों पर की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

    (i) खानों में सुरक्षा के संबंध में सम्मेलन ।

(ii) कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति ।
(iii) राष्ट्रीय धूल निवारण समितियां ।
(iv) त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय सुरक्षा समीक्षा बैठकें की जा रही हैं ।

ऊर्जा संरक्षण

6.34 वर्ष 2002-03 के दौरान ऊर्जा के संरक्षण के लिए किए गए विशिष्ट उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- बस्तियों में स्ट्रीट लाइटों, यार्ड लाइटों तथा खदान प्रकाश प्रणाली के लिए स्वचालित नियंत्रण बटनों को लगाना ।
- ऊर्जा दक्ष बोरहोल पम्पों को लगाना।
- खानों में पंपिंग तथा हॉलेज नक्शों का पुनर्गठन ।
- इन्कैन्डिसेन्ट लैम्पों के स्थान पर कम वॉट वाले हल्के फ्लूरोसेन्ट लैम्प लगाना और उच्च वॉट के छत वाले पंखों के स्थान पर कम वॉट वाले पंखों को लगाना।
- सभी आवासीय बस्तियों में उच्च वोल्टेज वाली वितरण प्रणाली तथा खंबे पर लगे ट्रांसफार्मरों, ट्रांसफार्मर सुरक्षा उपकरणों और अलग-अलग फीडरों के लिए ऊर्जा मीटरों को लगाना ।

6.35 उपर्युक्त उपायों से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 422.70 लाख यूनिट विद्युत की बचत हुई । परिणामस्वरूप 2002-2003 में विशिष्ट ऊर्जा खपत 17.31 यूनिट प्रति टन से घटकर 14.76 यूनिट प्रति टन रह गई, जिससे लागत में 10.71 प्रति टन की कमी आई ।

अध्याय - 7

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड

उद्‌देश्य व क्रियाकलाप

7.1 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेश्न लि0 एक एकीकृत समूह है जिसमें नीचे दी गई तालिका के अनुसार 2490 मे.वा. की कुल क्षमता के पिटहैड तापीय विद्युत गृहों से लिंक्ड 24.00 मिलियन टन (मि.ट.) प्रति वर्ष की कुल क्षमता वाली 3 ओपनकास्ट खानें हैं :-

	क्षमता मि.ट.प्रतिवर्ष	लिंक्ड यूनिट
खान - I (विस्तार सहित)	10.5	टी.पी.एस. I 600 एम.डब्ल्यू टी.पी.एस.- I विस्तार 420 मे.वा.
खान -II	10.5	टी.पी.एस.- II 1470 मे.वा.
खान -I, ए	3.0	नेयवेली में आई.पी.पी. अर्थात् एस.टी. - सी.एम.एस.

प्रथम तापीय विद्युत गृह द्वारा उत्पादित विद्युत का प्रयोग तमिलनाडु राज्य करता है । तापीय विद्युत गृह - II द्वारा उत्पादित विद्युत का प्रयोग दक्षिण के राज्य अर्थात तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी मिलकर करते हैं । तापीय - I विस्तार से उत्पादित विद्युत का उपयोग तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी करते हैं

7.2 कंपनी की प्राधिकृत पूंजी फिलहाल 2000 करोड़ रुपये है । दिनांक 1. 3.2003 को प्रदत्त पूंजी 1677.71 करोड़ रुपये थी । कम्पनी के 108.07 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के शेयरों को वित्तीय संस्थानों, म्युचुअलफंडों तथा कर्मचारियों के पक्ष में विनिवेशित किया गया है ।

योजनागत परिव्यय

7.3 एन.एल.सी. के 2002-03 के वास्तविक आंकड़े तथा वर्ा 2003-04 के ब.अनु. तथा सं.अनु. आंकड़े, वर्ष 2004-05 (ब.अनु.) के दौरान वित्त-पोषण का पैटर्न तथा अनुमानित पूंजीगत परिव्यय निम्नानुसार है :-

योजनागत परिव्यय एवं वित्त-पोषण पैटर्न

(रु. करोड़ में)

वित्त पोषण पैटर्न	2002-03 वास्तविक	2003-04 ब. अनु.	2003-04 स.अनु.	2004-05 ब.अनु.
पूंजीगत परिव्यय				
(i) कोयला क्षेत्र	259.13	176.94	177.62	237.63
(ii) विद्युत क्षेत्र	175.70	278.45	136.63	243.07
जोड़	**434.83**	**455.40**	**314.25**	**480.70**
वित्त पोषत/ वित्त पोष्य				
(1) आंतरिक संसाधन	386.76	305.40	257.48	280.70
(2) बांड/रुपया ऋण	-	150.00	-	150.00
(3) विदेशी मुद्रा ऋण	48.07	-	56.77	50.00
कुल	**434.83**	**455.40**	**314.25**	**480.70**

7.4 योजनावार परिव्यय नीचे दिया गया है :-

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम कोयला क्षेत्र	2002-03 वास्तविक	2003-04 ब.अनु.	2003-04 सं अनु.	2004-05 ब. अनु.
1.	खान - I विस्तार	132.70	40.48	41.25	14.72
2.	खान - I ए.	121.75	54.18	54.17	94.30
3.	भू-गर्भीय विनिवेश (नेयवेली)	-	0.67	0.67	0.89
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0.79	2.00	2.00	4.71
5.	खान - II विस्तार	-	66.00	66.00	106.36
6.	खान - III	-	2.55	0.52	1.05
7.	राजस्थान में खान	0.99	6.70	1.65	9.55
8.	पूर्ण की गई परियोजनाओं के भुगतान का स्पिलओवर	2.90	4.37	11.36	6.05
	योग (क)	259.13	176.95	177.62	237.63
	विद्युत क्षेत्र				
1.	टी.पी.एस. I विस्तार	175.52	124.83	124.83	105.48
2.	टी.पी.एस.- II विस्तार	-	113.00	6.50	103.81
3.	टी.पी.एस. - III	-	3.20	0.03	2.38
4.	राजस्थान में टी.पी.एस.	-	30.00	0.30	19.35
5.	तूतीकोरिन में टी.पी.एस.	-	-	0.20	6.45
6.	उड़ीसा में टी.पी.एस.	-	-	0.13	1.64
7.	बी.एण्ड सी.साइड में टीपीएस	-	-	0.22	1.22
8.	चेन्नई में टी.पी.एस. आधारित रिफाइनरी अवशिट	-	1.50	0.50	1.50

9.	पूर्ण की गई परियोजनाओं के भुगतान का स्पिल ओवर	0.18	5.92	3.92	1.24
	योग (ख) **कोयला तथा विद्युत क्षेत्र का योग**	**175.70** **434.83**	**278.45** **455.40**	**136.63** **314.25**	**243.07** **480.70**
	स्पिल ओवर भुगतान के ब्यौरे				
	कोयला क्षेत्र - अन्य				
1	खान - I के लिए भूमि	0.42	0.45	2.27	0.81
2.	खान - II चरण - I	0.61	0.50	3.48	0.92
3.	खान - II चरण - II	1.87	3.42	5.61	4.32
4.	फ्लोट मशीन				
5.	स्प्रैडर का पुनरूद्धार				
	योग	2.90	4.37	11.36	6.05
	विद्युत क्षेत्र - अन्य				
1.	द्वितीय थर्मल - चरण I	0.11	0.25	0.22	0.22
2.	द्वितीय थर्मल - चरण II	0.07	0.30	0.35	0.39
3.	टी .पी.एस.- I की मियाद में वृद्धि		5.37	3.35	0.63
	योग	**0.18**	**5.92**	3.92	1.24

7.5 क्रियान्वित की जा रही मुख्य परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है ।

प्रथम खान विस्तार योजना

7.6 लिग्नाइट का उत्पादन प्रतिवर्ा 6.5 मि.टन से बढ़ाकर 10.5 मि.टन करने के लिए निर्माण के दौरान ब्याज के 260.43 करोड़ रुपये सहित 1336.93 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस परियोजना को सरकार ने मार्च, 1992 में स्वीकृति दी थी । 1658.3 करोड़ रुपये का संशोधित लागत अनुमान (आर.सी.ई) दिसम्बर 2000 के आधार पर अनुमोदित किया गया था । परियोजना 24 मार्च 2003 को चालू हुई । वर्तमान प्रत्याशित पूंजीगत लागत (जुलाई 03 आधार)1521.84 करोड़ रु. है और 31.3.2003 तक इस परियोजना पर 1436.45 करोड़ रु. का संचयी पूंजीगत व्यय है । परियोजना को निम्न प्रकार वित्त-पोाित किए जाने का प्रस्ताव है ।

(करोड़ रु. में)

विवरण	**स्वीकृति के अनुसार**	**संशोधित स्वीकृति के अनुसार**	**प्रत्याशित लागत**
इक्विटी-(भारत सरकार)	802.62	7.00	7.00
भारत सरकार के ऋण	534.31	0.00	0.00
आंतरिक संसाधन	-	1241.03	1240.33
विदेशी मुद्रा ऋण	-	410.35	420.43

आवधिक ऋण	-	0.00	0.00
जोड़	**1336.93**	**1658.38**	**1667.76**

समयावधि

7.7 परियोजना के कार्यान्वयन की अनुमानित समयवधि नीचे दर्शाई गई है:-

विवरण	**स्वीकृति**	**प्रत्याशित**	**वास्तविक**
पूर्ण उत्पादन की प्राप्ति	मई,1999	अप्रैल,2003	मार्च,2003

भौतिक कार्यक्रम

7.8 इस परियोजना में अन्य पारंपरिक खनन तथा सहायक उपकरणों की सहायता से अतिरिक्त विशिट खनन उपकरण लगाए जाने की योजना है । इससे बढ़े हुए ऊपरी मलबा के निपटान के लिए, उच्चतर क्षमता की अतिरिक्त ऊपरी मलबा प्रणाली बनाई गई है ।

7.9 2 बी.डब्ल्यू.ई.,1 स्प्रैडर और 2400 एम.एम. के कन्वेयर के साथ एक ट्रिपर कार युक्त नई सरफेस बेंच प्रणाली अगस्त, 2000 में चालू कर दी गई है । विकास चरण में लगभग 52.44 मिलियन घन मि.ट. ओ.बी. को हटा लिया गया था । मोबाइल ट्रांसफर कन्वेयर (एम.टी.सी.) के लिए एल.ओ.ए. जून,2002 में जारी किया जा चुका था । परियोजना को मार्च 2003 में चालू किया गया था ।

7.10 यह अनुमान है कि खान -I विस्तार योजना से लिग्नाइट सं.अनु. 2003-04 में लगभग 25 लाख टन और ब.अनु. 2004-05 में 25 लाख टन का उत्पादन होगा ।

वित्तीय कार्यक्रम

7.11 1521.84 करोड़ रुपये की वर्तमान प्रत्याशित लागत में से 31.3.2003 तक 1436.45 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी थी । 2003-2004 के संशोधित अनुमान में 41.25 करोड़ रुपये की निधि की आवश्यकता है जो मुख्यतः इलैक्ट्रिकल उपकरणों की प्राप्ति के.एफ.डब्ल्यू. ऋण पर ब्याज, खान विकास तथा नई एम.टी.सी. में आंशिक अदायगियों के लिए है । मोबाइल ट्रान्सफर कन्वेयर तथा बिजली उपकरणों आदि की आपूर्ति की अदायगियों के लिए 2004-2005 के बजट अनुमान 14.72 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होने का अनुमान है ।

7.12 परियोजना के लिए 100.154 मिलियन यूरो की कुल विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। इसमें से 91.245 मिलियन यूरो (495 करोड़ रुपये) की निधि की पूर्ति प्रत्यक्ष के.एफ.डब्ल्यू. ऋण द्वारा होगी। शेष असंयुक्त निधि की व्यवस्था आंतरिक संसाधनों से की जानी है। 31.3.2003 तक ऋण का वास्तविक उपयोग 90.466 मिलियन डी.एम. (490.72 करोड़ रुपये) है। संशोधित अनुमान 2003-2004 में 0.779 मिलियन यूरो (4.23करोड़ रुपये) की आवश्यकता है।

खान - I ए

7.13 भारत सरकार ने 3 मिलियन टन प्रतिवर्ा की क्षमता वाली खान-Iए को 26.2.1998 को स्वीकृति दी जिसकी अनुमानित लागत, आई.डी.सी. के 107.94 करोड़ रुपये सहित, 1032.81 करोड़ रुपये (आधार 10/97) है। परियोजना लागत को निम्नलिखित रूप से वित्त पोाति किया जाना था :-

(करोड़ रु. में)

विवरण	राशि
1. आंतरिक संसाधन	149.24
2. विदेशी मुद्रा ऋण	7.41
3. बजटीय सहायता	876.16
जोड़	**1032.81**

अब परियोजना लागत को अद्यतन (अगस्त 2003 आधार) करके 1024.90 करोड़ रुपये किया गया है जिसमें 125.59 करोड़ रुपये का आई.डी.सी. भी शामिल है। इस अद्यतन लागत का वित्त-पोषण नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रु. में)

विवरण	राशि
1. आंतरिक संसाधन	599.59
2. विदेशी मुद्रा ऋण	25.31
3. रूपए ऋण	400.00
जोड़	**1024.90**

वर्तमान स्थिति

7.14 खान -Iए परियोजना को मार्च 2003 में चालू किया गया है और 31.3.2003 तक इस परियोजना पर किया गया पूंजीगत व्यय 811.47 करोड़ रु. है। अगस्त 2003 आधार के साथ प्रत्याशित पूर्णता लागत 125.59 करोड़ रु. 336.73 करोड़ रु. एफ.ई.) के आई.डी.सी. सहित 1024.90 करोड़ रु. बनती है।

7.15 मुख्यतः खान उपकरणों की आपूर्त्ति की अंतिम अदायगी के लिए संशोधित अनुमान 2003-2004 में 54.17 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है । बजट अनुमान 2004-2005 में 94.30 करोड़ रुपये का प्रावधान है । इसका अधिकांश भाग लिग्नाइट कन्वेयर, सी.एम.ई. के सहायक उपकरणों तथा पर्यावरणीय उपायों की आपूर्ति की अदायगी तथा निर्माण खर्च के लिए है । एन. एल.सी. ने मार्च, 2001 तक भारत सरकार ऋण से ऋण के रूप में 469.37 करोड़ रु. आधारित किए हैं । एन.एल.सी. ने पूरे ऋण का भुगतान कर दिया है । फरवरी,2002 में एन.एल.सी. ने पूंजी व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 8.90 % की कूपन दर पर निजी प्लेसमैन्ट के माध्यम से बांडस के रूप में 400 करोड़ रू. जुटाए । संशोधित अनुमान 2003-2004 तथा ब.अनुमान 2004-05 के लिए कोई बजटीय सहायता का प्रस्ताव नहीं है ।

7.16 यह अनुमान है कि मुख्य रूप से एस.टी.-सी.एम.एस. , एक स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आई.पी.पी.)की लिग्नाइट आवश्यकता को पूरा करने के लिए सं.अनु. 2003-04 तथा ब.अनु. 2004-05 में क्रमशः17.00 लाख टन तथा 20 लाख टन लिग्नाइट का उत्पादन किया जाएगा ।

प्रथम ताप विद्युत गृह विस्तार (2 x 210 मे.वाट) :

7.17 प्रथम ताप विद्युत गृह का 600 मेगावाट से विस्तार करके 1020 मेगा वाट करने की स्वीकृति दो अतिरिक्त यूनिटों को लगाकर, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 210 मेगावाट है, भारत सरकार ने 12.02.96 को 1590.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दी थी, जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज के 252.46 करोड़ रुपये और 238.03 करोड़ रुपये (डी.एम. 107.22 मिलियन) मार्च, 1995 आधार पर विदेशी मुद्रा शामिल थी ।

7.18 1420.27 करोड़ रुपये, दिसम्बर, 2000 के आधार पर संशोधित लागत अनुमान अनुमोदित किया गया था । आर.सी.ई. के अनुसार पूर्णता लागत 1423.47 करोड़ रुपये है (34.75 करोड़ रुपये की आई.डी.सी. शामिल है) । विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 567.39 करोड़ रू. अनुमानित है। 31.3.2003 तक हुआ वास्तविक व्यय 1155.72 करोड़ रू. है ।

7.19 वित्त पोषण का पैटर्न निम्न प्रकार से है :-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**स्वीकृति के अनुसार**	**संशोधित स्वीकृति के अनुसार**	**अब प्रत्याशित**
आंतरिक संसाधन	735.55	899.72	950.68
विदेशी मुद्रा ऋण	238.03	430.35	472.79

अवधि ऋण	617.00	90.20	
जोड़	**1590.58**	**1420.27**	**1423.47**

समयावधि

7.20 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित समयवधि निम्न प्रकार से है :-

विवरण	स्वीकृति के अनुसार	अब त्याशित
यूनिट - I	अगस्त, 2000	21.10.2002 को तुल्यकालिक किया गया
यूनिट - II	फरवरी, 2001	22.7.2003 को तुल्यकालिक किया गया ।

वर्तमान स्थिति :

7.21 यूनिट -I ने 9.5.2003 को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया और दूसरी यूनिट ने 5.9. 2003 को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया ।

निधियों की आवश्यकता

7.22 संशोधित अनुमान 2003-04 में 124.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और बजट अनुमान 2004-05 में 105.48 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है । कुल 124.975 मिलियन यूरो की कुल विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है जिसमें से 107.607 मिलियन यूरो. (538.78 करोड़ रु.) का वित्तपोाण प्रत्यक्ष के.एफ.डब्ल्यू. ऋण से किया जाना है । असंयुक्त शेा राशि का वित्तपोाण आन्तरिक संसाधनों से किया जाएगा ।

नई योजनाएं

खान - II विस्तार

7.23 द्वितीय खान के 10.5 मि.ट.प्रतिर्वा से 15 मि.ट.प्रतिर्वा के प्रस्तावित विस्तार से निकाले गए लिग्नाइट से थर्मल पावर स्टेशन - II में मौजूदा 1470 मेगावाट के अतिरिक्त 500 मेगावाट की आवश्यकता पूरी होगी । भारत सरकार ने अग्रिम कार्य योजना के लिए 1.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं । एन.एल.सी. बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सरकार को मार्च 2001 में व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । आई.एम.जी. की बैठक 31.05.2001 को हुई थी और पी.आई.बी. को शिफारिश की गई ।

7.24 इस परियोजना के लिए तमिलनाडू प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है और दिसम्बर, 2002 के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है । खान - II विस्तार परियोजना के लिए विशेषीकृत खनन उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु अग्रिम निविदा क्रिया-कलाप आयोजित किए जा रहे हैं । पी.आई.बी. ज्ञापन को जून,2003 में परिचालित किया गया है ।

7.25 भारत सरकार से शीघ्र ही अनुमोदन प्राप्त होने की संभावना है और अनुमोदन की तिथि से 3 माह की समयावधि के भीतर सभी मुख्य पैकेजों के लिए एन.ओ.ए. जारी किए जाने की सम्भावना है और सामग्री की आपूर्ति एल.ओ.ए. से 10 माह से शुरू हो जाएगी ।

7.26 खान-II विस्तार की परियोजना लागत 2014.88 करोड़ रुपये (नवम्बर,2002 आधार) होने का अनुमान है जिसमें प्रतिटन लिग्नाइट 4492.13 रु. का विशिष्ट निवेश किया गया है । संशोधित लागत 2031.73 करोड़ रु. (अगस्त2003 आधार) होगी । मुख्य खनन उपकरण लागत के कारण भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सं. अनु. 2003-04 तथा ब.अनु. 2004-05 में 66.00 करोड़ रु. तथा 106.36 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं ।

टी.पी.एस- II विस्तार (2 x 250 मेगावाट)

7.27 कोयला मंत्रालय ने मार्च, 1999 में इस परियोजना के लिए अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव को अनुमादित कर दिया है तथा प्रारम्भिक कार्यों के लिए जैसे हाईड्रोलाजिकल अध्ययन, टोपो सर्वेक्षण, विस्तृत वर्किंग प्लान तैयार करने, विस्तृत मृदा अन्वेाण अध्ययन करने, ई.एम.पी. रिपोर्ट तैयार करने, स्थल तथा संपर्क सड़कों आदि पर 1.90 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है ।

वर्तमान स्थिति

7.28 आई.एम.जी.को व्यहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उस पर मई, 2001 में विचार किया गया ।

7.29 इस परियोजना की अनुमानित लागत 2082.27 करोड़ रुपये (नवम्बर,2002 आधार)(आई.डी.सी. सहित) बनती है । संशोधित लागत 2018.02 करोड़ रु. (अगस्त, 2003 आधार) बनती है । परियोजना के लिए निधियों की पूर्ति आन्तरिक संसाधनों तथा ऋणों के द्वारा 30:70 के अनुपात में किए जाने का प्रस्ताव है । इस

परियोजना के लिए लिग्नाइट की पूर्ति मौजूदा खान- II की उत्पादन क्षमता को 10.5 मि.टन प्रतिर्वा से बढ़ाकर 15 मि.टन प्रतिर्वा करके की जाएगी । आई.एम.जी. की बैठक 31.05.2001 को हुई थी । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिनांक 19.8.2002 को इस परियोजना को तकनीकी - आर्थिक स्वीकृति दी थी । पर्यावरणीय स्वीकृति जनवरी 2003 में प्रदान की गई । परियोजना के लिए बाकी सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं ।इस परियोजना की दो यूनिटें एल.ओ.ए. से 40 तथा 44 माह में शुरू होने की संभावना है । वार्िक कार्रवाई योजना कार्यान्वयनाधीन है । पी.आई.बी. ज्ञापन जून, 2003 में परिचालित किया गया । व्यवहार्यता रिपोर्ट/अध्ययनों के वित्त-पोाण तथा टी.पी.एस. के मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए अग्रिम भुगतान हेतु सं.अनु. 2003-04 तथा ब.अनु. 2004-05 में क्रमशः 6.50 करोड़ रू. तथा 103.81 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है ।

खान - III

7.30 2.60 करोड़ रुपये की राशि से खान-III को खोलने के लिए अग्रिम कार्यवाही योजना भारत सरकार द्वारा मार्च 99 में मंजूर की गई थी । परियोजना क्षेत्र में 313 मिलियन टन का खनन योग्य भण्डार है । खान का जीवनकाल 39 वर्ष है । अग्रिम कार्यवाही प्रस्ताव के अन्तर्गत विस्तृत वर्किंग प्लान तैयार करना हाइड्रोलोजिकल अध्ययन, भू-तकनीकी अन्वेषण अध्ययन, ई.एम.पी. रिपोर्ट तैयार करने का कार्य आरम्भ किया गया है । लिग्नाइट प्रणाली, भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 60 महीने में चालू हो जाएगी । परियोजना की पूंजीगत लागत आई. डी. सी. सहित 3448.57 करोड़ रुपये बनती है । विशिष्ट निवेश लागत क्रमशः 4758.11 रू. प्रति टन बनती है ।

वर्तमान स्थिति :

7.31 सतत खनन उपकरणों से खान- III परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफ.आर.) तैयार की गई है । मैसर्स सी.एम.पी.डी.आई.एल. वैकल्पिक खनन तकनोलोजी पर अवधारणा रिपोर्ट तैयार कर रहा है । रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात व्यवहार्यता रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाएगी । व्यवहार्यता रिपोर्ट/अध्ययन विश्लेाण के लिए सं.अनु. 2003-04 तथा ब.अनु. 2004-05 में क्रमशः 0.52 करोड़ रू. तथा 1.05 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है ।

टी.पी.एस. - III

7.32 कोयला मंत्रालय ने हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन, टोपो सर्वेक्षण, विस्तृत कार्रवाई योजना की तैयारी, विस्तृत मृदा जाँच अध्ययन, ई.एम.पी. रिपोर्ट की

तैयारी, स्थल और सम्पर्क मार्गों आदि की स्वीकृति जैसे प्रारम्भिक कार्यों के लिए 1.35 करोड़ रु. का व्यय करने के लिए टी.पी.एस.- III परियोजना हेतु अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव को मार्च, 99 में अनुमोदित तथा स्वीकृत कर दिया है ।

वर्तमान स्थिति

7.33 टी.पी.एस.- III की व्यवहार्यता रिपोर्ट को खान - III की व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही अंतिम रूप दिया जा सकता है । मसौदा पर्यावरण प्रभाव आकलन । पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.टी.ए./ई.एम.पी.) रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और उसे टी.पी.एस.- III की व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा । लोड फ्लो अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं । सामाजिक आर्थिक अध्ययनों हेतु अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ओर अंतिम रिपोर्ट 30.12.2002 को प्राप्त हुई । प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आवेदन देकर जिला कलेक्टर द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कर ली गई है और इसके शीघ्र ही मिल जाने की सम्भावना है । अग्रिम कार्रवाई योजना में अन्य कार्यों जैसे - मृदा से जाँच अध्ययन, आदि को भूमि की अधिप्राप्ति के बाद ही शुरू किया जा सकता है । सं. अनु. 2003-04 में तथा ब. अनु. 2004-05 में क्रमशः 0.03 करोड़ रु. और 2.38 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत 3969.00 करोड़ रु. बनती है ।

बारसिंगसर खान तथा तापीय परियोजनाएं

7.34 242.31 करोड़ रु. की लागत से 1.7 मिलियन टन प्रति वर्ष लिग्नाइट खान का विकास करने और 585.73 करोड़ रु. की लागत से 240 मे.वाट (2 x 120 मे. वाट) के लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना करने के लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार और ने.लि.का के बीच नवम्बर, 1987 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे । यह परियोजना भारत सरकार द्वारा 828.04 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर अप्रैल 1991 में मंजूर की गई थी । तत्पश्चात निधियों की अनुपलब्धता के कारण भारत सरकार ने परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया । अक्तूबर 1996 में मैसर्स हिन्दुस्तान विद्युत कारपोरेशन (एच.वी.सी.) को इस परियोजना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजक के तौर पर चुना गया । चूंकि एच.वी.सी. के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिए एन.एल.सी. ने परियोजना को अपने अधिकार में लेने का निर्णय लिया है । एन.एल.सी. द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बीकानेर जिला, राजस्थान में लिग्नाइट भंडारों के विकास के लिए दिनांक 10.6.2002 को राजस्थान सरकार, कोयला मंत्रालय तथा एन.एल.सी. के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। बारसिंगसर जिले में 2.10 मि.ट.प्रतिवर्ष क्षमता की एक खान तथा 250 मे.वा.

(2 x125मे.वा.)की लिंक्ड विद्युत परियोजना हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट कोयला मंत्रालय तथा सी.ई.ए. को विचारार्थ तथा मूल्यांकन एजेन्सियों को समीक्षा हेतु प्रस्तुत की गई थी । परियोजना हेतु आई.एम.जी. 17.7.2002 को आयोजित की गई थी । आई.एम.जी. ने तापीय परियोजना हेतु सी.ई.ए. स्वीकृति प्राप्त करने तथा पुनः प्रस्ताव आई.एम. जी. को प्रस्तुत करने का एन.एल.सी. को निदेश दिया । सांविधिक एजेन्सियों से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई कर ली गई है ।

7.35 15.7.2003 को कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में एन.एल.सी. को लिग्नाइट खनन विभागीय रूप से करने तथा ओ.बी. हटाने का कार्य बाहरी स्रोतों से कराने का निदेश दिया गया था । खान की परियोजना लागत को संशोधित करके 253.44 करोड़ रुपये कर दिया गया था । टी.पी.एस. की अनुमानित लागत 1125.02 करोड़ रु. है ।

7.36 परियोजना हेतु सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं । आर.वी.पी.एन. तथा डिस्काम्स के साथ 8.10.2003 को विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एच.वी.सी.एल. को जारी की गई ई.एम.पी. स्वीकृति को एन.एल.सी. के पक्ष में अंतरित करने के लिए पत्र जारी कर दिया है । 3/2004 तक भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने की प्रत्याशा के परिणामस्वरूप, सं.अनु. 2003-04 तथ ब.अनु.2004-05 में क्रमशः1.65 करोड़ रु. तथा 9.55 करोड़ रु. खान परियोजना हेतु उपलब्ध कराए गए हैं और सं.अनु. 2003-04 तथा ब.अनु. 2004-05 में विद्युत संयंत्र हेतु 0.30 करोड़ रु. तथा 19.85 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है ।

तूतीकोरिन विद्युत गृह

7.37 एन.एल.सी ने तमिलनाडू विद्युत बोर्ड के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में 1000 मे.वा. (2x500 मे.वा.)क्षमता के एक कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र को तूतीकोरन में स्थापित करने का प्रस्ताव किया था ।

कोयला मंत्रालय ने 2.50 करोड़ रु. के परिव्यय हेतु ए.ए.पी. को अनुमोदित कर दिया है । एन.एल.सी. और टी.एन.ई.बी. के बीच 2x500 मे.वा. क्षमता की एक कोयला आधारित विद्युत परियोजना का स्थापित करने के लिए दिनांक 19.6.2003 का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है । परियोजना की अनुमानित लागत 4000 करोड़ रु. होगी । सं.अनु. 2003-04 में 0.20 करोड़ रु. तथा ब.अनु. 2004-05 में 6.45 करोड़ रु. की राशि, मुख्य रूप से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार

करने और अन्य अग्रिम भुगतानों के लिए उपलब्ध कराई गई है । एफ.आर. तैयार की जा रही है और भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जा चुका है ।

उड़ीसा विद्युत गृह

7.38 सचिव (विद्युत) और सचिव (कोयला) के बीच फरवरी, 2003 में हुई बैठक में उड़ीसा में एक कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया । तदनुसार , एन.एल.सी. ने 2000 मे.वा. की क्षमता के संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा और सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान करने के लिए कोयला मंत्रालय को लिखा । कोयला मंत्रालय ने परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए एन.एल.सी. को सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है । परियोजना की अनुमानित लागत अस्थायी रूप से 8000 करोड़ रु. होगी । कोल इंडिया ने इस परियोजना के लिए कोयले के स्रोत की पहचान कर ली है । एन.एल.सी. बोर्ड ने अग्रिम कार्रवाई करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया और उसे कोयला मंत्रालय को भेज दिया । कोयला मंत्रालय ने 18.65 करोड़ . के परिव्यय हेतु परियोजना के ए.पी.पी. को अनुमोदित कर दिया है ।

संबंधित पार्टियों से एफ.एस.ए. की जाँच करवाने की कार्रवाई की जा रही है । विद्युत की आवश्यकता को निश्चित करने के लिए विभिन्न विद्युंत बोर्डों से सम्पर्क किया जा रहा है ।

सं.अ. 2003-04 में 0.13 करोड़ रु. और ब.अनु. 2004-05 में 1.64 करोड़ रु. की राशि मुख्य रूप से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने तथा सम्बद्ध कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है ।

तापीय विद्युत गृह -I विस्तार (चरण - II) (बी. एण्ड सी. स्थल पर)

7.39 एन.एल.सी. ने विद्यमान खानों में अधिशेष लिग्नाइट का उपयोग करने के लिए 1x125 मे.वा. क्षमता के एक तापीय विद्युत संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा । परियोजना की अनुमानित लागत 455.26 करोड़ रु. होगी । व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई की गई जिसके लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई । । ईआई.ए.-ई.एम.पी. रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्य आदेश दे दिया गया है । एन.एल.सी. बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और एफ.आर. भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है । केवल व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और अग्रिम भुगतान के लिए सं.अनु. 2003-04 में 0.22 करोड़ रु. तथा ब.अनु. 2004-05 में 1.22 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है ।

मध्य प्रदेश में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

7.40 परियोजना की क्षमता 1000 मे.वा. है । अनुमानित लागत अस्थायी रूप से 4000 करोड़ रु. होगी । सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान करने के लिए कोयला मंत्रालय से सम्पर्क किया गया था । कोयला मंत्रालय ने एन.एल.सी. को पहले कोयला लिंकेज को अंतिम रूप दिए जाने का और फिर कोयला मंत्रालय से सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सम्पर्क करने का निदेश दिया । एन.एल.सी. ने एस.ई.सी.एल./सी.एम.पी.डी.आई.एल. की परियोजना के लिए कोयले की उपलब्धता की सूचना देने के लिए लिखा है ।

चेन्नई में परिशोधनशाला अवशिट आधारित विद्युत संयंत्र

7.41 परियोजना की क्षमता 492 मे.वा. होगी । अनुमानित लागत अस्थायी रूप से 2837.00 करोड़ रु. होगी । यह सी.पी.सी.एल. के साथ एक संयुक्त उपक्रम परियोजना है । कोयला मंत्रालय 10/2003 में सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्राप्त हो गया है । एफ.आर. पर्यावरण रिपोर्ट आदि तैयार करने जैसे कुछ परियोजना पूर्व क्रिया-कलापों पर व्यय किए जाने हेतु अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव एन.एल.सी. बोर्ड को अनुमोदन के लिए और उसे कोयला मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जा रहा है । कोयला मंत्रालय ने आगे की कार्रवाई के लिए विद्युत मंत्रालय के विचार मांगे हैं । मुख्य रूप से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और अग्रिम भुगतान करने के लिए सं.अनु. 2003-04 तथा ब.अनु. 2004-05 में क्रमश 0.50 करोड़ रु. तथा 1.50 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं ।

दसवीं योजना के लिए परिव्यय तथा वित्तपोषण पैटर्न

7.42 भारत सरकार ने दसवीं-योजना अवधि (2002-2007) के दौरान 14133.58 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय अनुमोदित किया है । दसवीं योजना अवधि के लिए कोयला तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए क्रमशः 6125.94 करोड़ रुपये तथा 8007.64 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं ।

उत्पादन तथा उत्पादकता

7.43 संशोधित अनुमान 2003-2004 तथा बजट अनुमान 2004-05 के लिए उत्पादन कार्यक्रम निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

परियोजना	**इकाई**	**बजट अनुमान 2003-04**	**संशोधित अनुमान 2003-04**	**बजट अनुमान 2004-05**
1. लिग्नाइट	मि.टन	20.90	20.90	21.00
2.विद्युत (सकल)	मि.यू.	15006	14837	15286

7.44 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2002 - 03 में प्रतिश्रमपाली उत्पादन, 2003-04 हेतु अनुमान तथा 2004-05 हेतु लक्ष्य नीचे दिये गए है :-

(टन में)

ओपन कास्ट	**वास्तविक 2002-03**	**बजट अनुमान 2003- 04**	**संशोधित अनुमान 2003-04**	**बजट अनुमान 2004-05**
प्रथम खान	7.79	9.32	9.32	9.30
खान - I ए	-	11.19	11.19	8.68
द्वितीय खान	11.86	10.08	10. 08	9.71

वित्तीय निष्पादन

7.45 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का वित्तीय निष्पादन बहुत सन्तोषजनक रहा है। कम्पनी का कुल व्यवसाय वर्ष 2002-03 में 2681.48 करोड़ रुपये का रहा। कम्पनी की कुल परिसम्पत्तियां 31.3.2002 को 6911.26 करोड़ रुपये की तुलना में 31.3.2003 को 7900.73 करोड़ रुपये हो गयी। इसी प्रकार शुद्ध मूल्य31.3.2002 के 5061.98 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 31.3.2003 को 5947.55 करोड़ रुपये हो गया। नियोजित पूंजी पर आय की प्रतिशतता र्वा 2001-2002 के 16.80 % की तुलना में 2002-2003 में 16.06% थी।

7.46 यह कम्पनी पिछले 25 वर्ष से लगातार लाभ कमा रही है। कम्पनी को वर्ष 2002-03 के दौरान 1148.4 करोङ रुपये का शुद्ध लाभ (कर पूर्व) हुआ। एन.एल.सी. का 2000-2001 से आगे का कार्य संचालन परिणाम नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**कर पूर्व लाभ**	**कर पश्चात लाभ**
2000-2001	1025.20	725.92
2001-2002	1198.53	819.20
2002-2003	1687.83	1148.40

मानव संसाधन विकास

7.47 मानव संसाधन के क्षेत्र का प्रमुख् उद्देश्य अपने लोगों को प्रभावकारी, कार्य आधारित तथा विकासात्मक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलबध कराना है। इसके लिए एन.एल.सी. की दोतरफा योजना है ; एक नए क्षेत्रों में विशिट रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराकर वांछित व्यवहार संबंधी विशेषताओं और कार्य-कौशलों को सुदृढ़ करना। यद्यपि कर्मचारियों को

इन-हाउस, बाहरी तथा विदेशी प्रशिक्षणों के लिए प्रायोजित किया जाता है, परन्तु क्षमताओं के विकास पर भी बल दिया जाता है, इस संदर्भ में वर्ष 2002-2003 के दौरान 7903 से अधिक कर्मचारियों को इन-हाउस प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर दिया गया और 384 कर्मचारियों को शहर से बाहर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया है । 32 अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी विकास के साथ वैश्विक प्रशिक्षण अनुभव भी दिया गया । शाखा/कार्य/विभाग संबंधी प्रतिबंधों को न मानते हुए नए कार्य करने के लिए कर्मचारी आगे आए । कम्प्यूटरीकरण सहित नए प्रौद्योगिकीय विकासों के प्रति सकारात्मक रूख उत्साहवर्धक रहा है । श्रमिकों की भागीदारी के विभिन्न रूपों के प्रति अधिक जागरूकता और मानव संसाधनों की सक्रिय भागीदारी उल्लेखनीय है ।

गुणवत्ता परिमंडल

7.48 एन.एल.सी. में गुणवत्ता परिमंडलों को महत्व दिया जाता है और कार्य स्थल संबंधी समस्याओं के हल और गुणवत्ता परिमंडल अभियान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 330 गुणवत्ता परिमंडल बनाए गए हैं क्योंकि कार्य-संस्कृति में सुधार करने तथा वैयक्तिक कर्मचारियों के स्व-विकास और बृद्धि के लिए यह एक मंच उपलब्ध कराता है ।

मानव संबंध

7.49 एन.एल.सी. में नियोजक नियोक्ता संबंध काफी हद तक सौहार्द्रपूर्ण और मधुर बने रहे । भागीदारी प्रबंधन की विचार धारा में विश्वास करते हुए विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक समितियों के माध्यम से सभी स्तर के कर्मचारियों का परस्पर सम्पर्क होता रहता है । इसने प्रबंधन तथा कर्मचारियों के बीच परिपक्व समझ, स्पष्ट संचार तथा आपसी विश्वास को सुकर बनाया है । शीर्ष प्रबंधन तथा यूनियनों की संयुक्त परिाद प्रारम्भ में ही मुद्दे को सुलझाने और छोटी कलहों को भयावह रूप धारण करने से रोकने में अपने श्रेठ प्रयास करने के लिए एकजुट हो जाते हैं ।

सामुदायिक कल्याण

7.50 एन.एल.सी. नेयवेली ने अपने कारपोरेट कार्यालय अपने कार्य संचालन केन्द्रों में तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देता आ रहा है । 50 लाख रु. का वार्षिक बजट प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक सुविधाओं जैसे सड़कों, रोशनी, पेयजल व्यवस्था, स्कूल भवनों के विकास, सफाई ग्रामीण खेलों आदि की उन्नति आदि जैसे परिधीय विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया है । खानों से अधिशेष जल को सिंचाई के लिए समीपवर्ती गाँवों में भेजा जाता है ।

चिकित्सा सुविधाएं

7.51 एन.एल.सी. न केवल अपने कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिए बल्कि 2.5 लाख. की जनसंख्या वाले नेयवेली के आस-पास के क्षेत्र की आम जनता की चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 369 बिस्तरों वाले एक सुसज्जित अस्पताल तथा 5 डिस्पेंसरियों का अनुरक्षण भी करती रही है । अस्पताल तथा डिस्पेंसरियां एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सभी विशेाज्ञताओं तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सा उपचार प्रदान करते हैं । 12.00 लाख बाह्य रोगी दिवस तथा 15,000 अंतरंग रोगी दिवस का प्रतिर्वा चिकित्सा उपचार किया जाता है ।

शिक्षा

7.52 नेयवेली कस्बा एक उत्तम शिक्षण केन्द्र सिद्ध हुआ है । यहाँ के 34 विद्यालयों और एक महाविद्यालय में 35000 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनमें सी.बी.एस.ई. मैट्रिक तथा राज्य पाठ्यचर्या की पद्धतियों पर आधारित पाठ्यक्रमों में शिक्षा दी जाती है । 34 विद्यालयों में से 18 का संचालन राज्य सरकार के अनुदान से ने.लि.का. प्रबंधन करता है । ने.लि.का. के विद्यालयों में 13319 विद्यार्थी हैं । एन.एल.सी. जवाहर शिक्षण संस्था को संरक्षण देती है, जो स्कूल तथा कालेज भी चलाती है । छात्रों को प्रोत्साहन देने और उनकी सर्वोत्कृट क्षमता को प्रकट करने के लिए प्रबंधन, छात्रों को छात्रवृतियाँ और वित्तीय सहायता भी दी जाती हैं ।

खेल

7. 53 ने. लि.का. द्वारा गठित खेल नियंत्रण बोर्ड खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेलकूद की आधारिक संरचना के विकास तथा अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रख रहा है । बोर्ड राट्रीय और राज्य स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं और टूर्नामेन्ट आयोजित करता है । नेयवेली में 40,000 की क्षमता का एक बड़ा बहुउद्देशीय स्टेडियम है, जिसके चारों ओर हरियाली है । उसमें अनेक फ्लड लाइटों वाले मैदान बास्केट बॉल, वॉली बॉल, तथा बैडमिंटन कोर्ट हैं, हॉकी का मैदान है, स्वीमिंग पूल है, गोल्फ का मैदान है । खेलकूद की ये सभी सुविधाएं खिलाड़ियों, कर्मचारियों तथा नेयवेली की आम जनता के लिए उपलब्ध हैं । एन.एल.सी. की शतरंज टीम अपनी सफल भागीदारियों के कारण सारे भारत में विख्यात है ।

सामाजिक कल्याण के उपाय

7.54 एन.एल.सी. अपनी समाज कल्याण की गतिविधियों से समाज के पात्र वर्गों के लिए आशा की किरण सिद्ध हुआ है।

7.55 ने.लि.का. स्नेहा अपार्च्युनिटी स्कूल को अनुदान सहायता देने के अतिरिक्त आधारिक संरचना मुहैया कराता है - यह ने.लि.का के. संरक्षण में एक संस्था है जिसे स्नेहा अपार्च्युनिटी सर्विसेज द्वारा मानसिक रूप से अपंग बच्चों के लिए दिवस-देखभाल केन्द्र (डे केयर सेंटर) के रूप में चलाया जाता है । यह स्कूल बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है और उन्हें योग, खेलों, आर्ट एवं क्राफ्ट, बुनाई, लकड़ी का काम, बागवानी, स्क्रीन प्रिन्टिंग, गुड़िया बनाना जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करता है ताकि वे स्वावलम्बी बन सके और अपनी जीविका उपार्जित कर सकें ।

7.56 ने.लि.का. नेयवेली हेल्थ प्रोमोशन एंड सोशल वैलफेअर सोसायटी (एन.एच.पी.एस.डब्ल्यू.एस.) को भी संरक्षण दे रहा है । यह संस्था नेयवेली के विशाल परिसर में प्रशिक्षण देकर और रोजगार के अवसर प्रदान करके मानसिक रूप से अपंग लोगों, विधवाओं तथा निस्सहाय लोगों के लाभ के लिए सेवाएं मुहैया कराता है । इस संस्था के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :-

* पुनर्वास
* कृत्रिम अंग केन्द्र
* शिक्षण कार्यक्रम कम्प्यूटर प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, तथा परिवार कल्याण शिक्षा ।
* सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, शराब सेवन करने वालों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम तथा बधिरों के लिए स्कूल चलाना (श्रवणी) ।

पुरस्कार

7.57 ने.लि.का. ने अपने को केवल उत्पादन तथा उत्पादकता तक ही सीमित नहीं रखा । इसमें प्रशिक्षण, सुरक्षा, समाज कल्याण आदि के क्षेत्र में भी इतना ही अच्छा कार्य किया है । इसका पता विभिन्न क्षेत्रों में इसे प्राप्त पुरस्कारों से चलता है। ने.लि.का. ने विभिन्न क्षेत्रों में कुल मिलाकर 110 पुरस्कार जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए आई.आई.आई.ई. पुरस्कार, विशिष्ट सेकेंड्री ईंधन / तेल तथा सहायक बिजली खपत, सर्वोत्तम उत्पादन और उत्पादकता के लिए स्वर्ण पदक पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, उत्पादकता पुरस्कार, अच्छे औद्योगिक संबंध पुरस्कार आदि अर्जित किए हैं । इसे राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद द्वारा स्थापित वर्ष,2002 का सर्वोत्तम प्रशिक्षण प्रैक्टिस पुरस्कार मिला है तथा डब्ल्यू.आई.पी.एस. में योगदान के लिए स्कोप से सर्वोत्तम उद्यम पुरस्कार प्राप्त हुआ है ।

अध्याय-8

कोयला खान भविष्य निधि और अन्य योजनाएं

कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948

8.1 कोयला खान भविष्य निधि योजना, जो कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनाई गई थी, भारत में कोयला खानों के सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि के लाभ प्रदान करती है । कोयला खान भविष्य निधि में कर्मचारी अपनी परिलब्धियों के 12% की दर से अंशदान करते हैं तथा नियोजकों द्वारा भी बराबर की राशि का अंशदान किया जाता है । पिछले वर्ष की भविष्य निधि की शेष राशि पर प्रतिवर्ष 8 % की दर से ब्याज दिया गया था । इस निधि में एकत्रित संपूर्ण राशि वित्त मंत्रालय और सी.एम.पी.एफ. के न्यासी बोर्ड द्वारा जारी किए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेशित की जाती है । यह निधि न्यासियों के त्रिपक्षीय बोर्ड, जिसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों और केन्द्रीय/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, के अधीन होती हैं और यह बोर्ड इसका प्रशासन करता है । इस योजना का विस्तृत ब्यौरा नीचे की तालिका में दर्शाया गया है :-

विवरण	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 (सितम्बर,2003 तक)	2004-2005 अनुमानित
योजना के अधीन कोयला खानों/संयत्रों की संख्या (वर्ष के अंत तक)	971	971	971
वर्ष के दौरान जीवित सदस्यों की संख्या (लाख में)	6.49	6.46	6.40
वर्ष के दौरान स्वैच्छिक अंशदान सहित अंशदान (करोड़ रु. में)	1758.82	900	1800.00
निधि के सदस्यों को दी गई ब्याज की दर	9.00%	8.00%	8.00%
वर्ष के दौरान अग्रिम (करोड़ रु. में)	290.00	271.00	500.00
वर्ष के दौरान भविष्य निधि की वापसी (करोड़ रु. में)	1535.24	830.00	1800.00
(i) निपटाए गए मामलों की संख्या (वापसी)	34189	13740	35000
(ii) प्राप्त मामलों की संख्या (वापसी)	34440	15014	35000
अधिकारियों की संख्या	43	40	38
कर्मचारियों की संख्या	1194	1172	1080

कोयला खान पेंशन योजना, 1998

8.2 कोयला खान भविष्य निधि संगठन के इतिहास में कोयला खान पेंशन योजना, 1998 प्रारंभ करना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 5-3-1998 को अधिसूचित किया गया है ।

8.3 कोयला खान पेंशन योजना 31-3-1998 से लागू की गई है और उक्त तारीख को सदस्यों की संख्या 7,82,578 थी, जो देश की विभिन्न कोयला खानों में कार्यरत थे। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-

(i) निधि का संग्रह और उसे कायम रखना :-

पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल है :-

(क) नियत दिन को कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की निवल परिसंपत्ति ;

(ख) कर्मचारी के वेतन के दो तथा एक तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि, जो निधि में कर्मचारी और नियोजक के बराबर - बराबर शेयर के कुल अंशदान हैं, कर्मचारी की निधि से नियत दिन से अंतरित किया जाना है ;

(ग) 1 अप्रैल , 1989 अथवा कार्यभार ग्रहण की तारीख , इनमें से जो भी बाद में हो, से 31-3-1996 तक कर्मचारी के वेतन के 2% के बराबर राशि और 1 अप्रैल, 1996 से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, कर्मचारी के कल्पित वेतन की 2% राशि उसके वेतन से अंतरित की जायेगी ;

(घ) कर्मचारी के वेतन के आधार पर परिगणित एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि, कर्मचारी के वेतन से 1-7-1995 अथवा नियुक्ति की तारीख से , इसमें से जो भी बाद में हो, अंतरित की जानी है ;

(ड.) कर्मचारी के वेतन के एक तथा दो तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का केन्द्र सरकार द्वारा नियत तारीख से अंशदान किया जाना है ;

(च) इस योजना के नये सदस्य के द्वारा योजना के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार राशि जमा की जाएगी ।

न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त एक बीमांकक द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष पेंशन निधि का मूल्यांकन करवाने की जिम्मेदारी आयुक्त की है ।

(ii) **इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-**

(क) वे सभी कर्मचारी, जो समाप्त कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और 31.3.1998 को कर्मचारियों की नामावली में थे ।

(ख) ऐसे सभी कर्मचारी जो 31-3-1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए ।

(ग) इस योजना के सभी नए सदस्य जिन्होंने पीएस-1 और पीएस-2 प्रपत्र में, जैसी भी स्थिति हो, पेंशन निधि की सदस्यता को चुना था ।

(iii) **लाभ :-**

(क) मासिक पेंशन
(ख) विकलांगता पेंशन
(ग) मासिक विधवा अथवा विधुर पेंशन
(घ) बाल पेंशन
(ड.) अनाथ पेंशन
(च) अनुग्रह अदायगी

8.4 2002-2003 के दौरान केन्द्र सरकार ने पेंशन योजना में 23.17 करोड़ रुपए का अंशदान किया है । 2003-2004 (संशोधित अनुमान)में रू. 23.17 करोड़ रू. और 2004-2005 (बजट अनुमान) में 25.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन योजना चलाने हेतु प्रशासनिक व्यय के रूप में 2003-2004 (संशोधित अनुमान) में रू. 3.49 करोड़ रुपए का अंशदान और 2004-2005 (बजट अनुमान) में 3.98 करोड़ रुपए का अंशदान करने की संभावना है ।

8.5 निम्नलिखित सारणी योजना के विस्तृत मानदंड दर्शाती हैं :-

विवरण	2002-2003 वास्तविक	2003-2004 अनंतिम (सितम्बर, 2003 तक)	2004-2005 अनुमानित
(i) कोयला खान पेंशन योजना की सदस्यता	7.76	7.70	8.00
(ii) पेंशन योजना में वर्ष के दौरान नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकार द्वारा किया गया अंशदान एवं ब्याज (करोड़ रुपए में)	1052.92	600.00	1200.00
(iii) लाभों का संवितरण (समाप्त परिवार पेंशन योजना और पेंशन योजना) (करोड़ रु. में)	88.86	70.00	150.00
(iv) (क) परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभ (अब समाप्त) के निपटाए गए मामलों की संख्या	358	149	300
(ख) निपटाए गए पेंशन के मामले	33,372	18,722	45,000
(v) (क) प्राप्त हुए परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभ के मामलों की संख्या	326	197	225
(ख) प्राप्त हुए पेंशन मामलों की संख्या	34,827	19,345	40,000
(vi) निपटाए गए अन्य लाभों के मामलों की संख्या	25	1	10
(vii) प्राप्त हुए अन्य लाभों के मामलों की संख्या	26	1	10

कोयला खान जमा राशि सहबद्ध बीमा योजना,1976

8.6 कोयला खान जमा राशि सहबद्ध बीमा योजना 1.8.1976 से लागू की गई थी । इस योजना में यह व्यवस्था है कि यदि योजना के किसी सदस्य की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को उसके भविष्य निधि खाते में पिछले तीन वर्षों में जमा शेष राशि के औसत के बराबर धनराशि, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000/- रुपए होगी; दी जाएगी ।

8.7 इस योजना के अनुसार, नियोजकों द्वारा कुल मजदूरी के 0.5% की दर से अंशदान किया जाना अपेक्षित है । केन्द्र सरकार के लिए भी नियोक्ताओं द्वारा किए गए अंशदान के 50% के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित है ।

8.8 इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार ने 2002-2003 में 1.55 करोड़ रुपए की राशि दी है । इस योजना में 2003-2004 हेतु संशोधित अनुमान के अंर्तगत 1.32 करोड़ रू. तथा 2004-2005 (ब.अ.) के अंतर्गत 1.35 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के अनुरक्षण के लिए प्रशासनिक व्यय के रूप में 2003-04 (सं.अनु.) तथा 2004-05 (बजट अनुमान) में, प्रत्येक में 0.25 करोड़ रू. का अंशदान करने की संभावना है ।

8.9 नीचे की तालिका योजना के विस्तृत मानदंड को दर्शाती है ।

कोयला खान जमा राशि सहबद्ध बीमा योजना

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**2002-2003 वास्तविक**	**2003-2004 अनंतिम (सितम्बर, 2003 तक)**	**2004-2005 अनुमानित**
(1)अंशदान की कुल राशि (नियोक्ता का और सरकारी अंशदान)	3.91	1.97	4.50
(2)केन्द्रीय प्रशासनिक खाते में प्राप्त कुल राशि	5.36	3.00	6.00
(3)जमा राशि सहबद्ध बीमा योजना में से किया गया निवेश और सावर्जनिक लेखें में जमा राशि	9.12	4.50	9.00
(4)बीमा निधि में से किया गया निवेश (केन्द्रीय प्रशासनिक लेखा)	3.24	3.50	7.00

(5)बीमा निधि (केन्द्रीय प्रशासनिक लेखा) में से किया गया कुल निवेश	26.99	17.00	41.00

जमा राशि सहबद्ध बीमा योजना के प्रशासन संबंधी खर्च को नियोजकों द्वारा वहन किया जाता है, जो इसके लिए कुल मजदूरी का 0.1% की दर से अंशदान करते हैं । सरकार द्वारा भी इस प्रयोजन के लिए नियोक्ता के अंशदान के 50 प्रतिशत की अर्थात् कुल मजदूरी के 0.5 % का अंशदान करना अपेक्षित है । इस योजना के लिए स्वतंत्र रूप में कोई कर्मचारी नियोजित नहीं किए जाते हैं । इस योजना में समान मदों पर आनुपातिक व्यय की हिस्सेदारी प्रभारित की जाती है ।